खण्ड-177, अंक-1
शुक्रवार, 2 भाद्रपद, शक संवत् 1878
(24 अगस्त, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 177 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३४)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खाँ, श्री
अमरेशचन्द्र पाँडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ़ अली खाँ, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभानराय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कलाशप्रकाश, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री

छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़जलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजूराम, श्री

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री

लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
बसी नक़वी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्शसिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री शारदा प्रसाद, चेयरमैन, टाउन एरिया, पलिया, जिला लखीमपुर-खीरी पर सांघातिक आक्रमण

१—श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को सूचना मिली है कि श्री शारदा प्रसाद, चेयरमैन, टाउन एरिया, पलिया, जिला लखीमपुर-खीरी को अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार कर घायल कर दिया है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—जी हां, इस सम्बन्ध में तीन व्यक्तियों का चालान किया गया है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

२—श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उपर्युक्त घटना के केवल कुछ ही दिन पहले उपर्युक्त चेयरमैन महोदय के घर को गुन्डों के दल ने घेरा और लगभग २०० राउन्ड फायर भी किये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं।

३—श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)—क्या यह भी सही है कि उपर्युक्त घटना घटित होने की पूर्ण सम्भावना की सूचना जिलाधीश, लखीमपुर-खीरी को पहले से दे दी गई थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं। जिलाधीश को दो तार मई में प्राप्त हुए थे, जिनमें आवेदक ने अपनी जान खतरे में बताई थी। शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिये धारा १०७/११७ Cr. P. C. के अनुसार कार्यवाही की गई थी।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार उन तीन व्यक्तियों के नाम बतलाने की कृपा करेगी कि जो गिरफ्तार हुए हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिन सज्जन को गोली से घायल किया गया उनको घायल करने वालों की तरफ से पहले धमकी का पत्र मिला था और वह पुलिस अधिकारियों को दिया गया था ? और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—वहां इन दोनों सज्जनों में काफी दिनों से पार्टीबन्दी थी और दोनों तरफ से इस तरह की शिकायतें थीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो सज्जन घायल हुये हैं, वह घायल होने के पहले उसी दिन या उससे एक आध दिन पहले यहां माननीय मंत्रियों से मिले थे और उन्होंने अपनी इस आशंका की सूचना उनको दी थी ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १–३ श्री जगन्नाथमल्ल ने पूछे।

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, उनका एक पत्र इस घटना के एक दिन पहले आया था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि सरकार ने जिस पार्टीबन्दी का जिक्र किया है उसमें जो सज्जन घायल हुये हैं उन्होंने अपना आवेदन-पत्र जिलाधीश को और माननीय मंत्री महोदय को यह दिया था कि वह जिला कांग्रेस कमेटी की आपस की पार्टीबन्दी है, जिसकी वजह से झगड़ा पैदा हो रहा है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, यह सज्जन, पलिया या किसी ऐसे नाम के टाउन एरिया के चेयरमैन हैं और उस टाउन एरिया में पार्टीबन्दी की वजह से वहां शहर के लोगों का जीवन दूभर हो रहा है। इस घटना के चार दिन पहले जिस घटना का जिक्र किया गया कि शारदाप्रसाद घायल हुये एक दूसरे के विरुद्ध दोनों आदमियों ने अपने घरों से एक दूसरे पर गोली चलायी जिसकी वजह से दोनों पार्टियों पर १०७ और ११७ का मुकदमा चल रहा है और चूंकि इस वक्त उनका अदालत में मुकदमा चल रहा है इस विषय में कुछ कहना मुश्किल है कि कौन निर्दोष है और कौन सदोष है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा कहा कि दोनों तरफ से गोलियां चलीं तो क्या उन गोलियों के चलाने वाले दोनों फरीकों पर कोई मुकदमा चल रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दफा १०७ और ११७ का मुकदमा दोनों पार्टियों पर चल रहा है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १०७ व ११७ की कार्यवाही केवल पुलिस की तरफ से अन्देशे के तौर पर की जा रही है न कि गोली चलाने के एवज में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अन्देशा इस बात का था, जो कुछ हुआ वह हुआ और भी हो सकता है उसमें अन्देशा आ सकता है लेकिन जो पहले उन्होंने काम किया था वह भी उसमें शामिल है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलायेगी कि दोनों तरफ से जो गोली चली उसमें कितने लोग घायल हुये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—घायल कोई नहीं हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्ति घायल हुआ है उसने जो प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेजा था उस पर सरकार की ओर से क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—वह सारे पत्र जिला अधिकारियों के पास भेज दिये गये थे और जो इस वक्त मुकदमा चल रहा है उसमें कोई बाधा न पहुंचे इस दृष्टि से देखते हुए जो कार्यवाही होगी, वह की जायगी।

सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर्स की नियुक्ति

****४—श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह बात सही है कि सरकार ने एक कमेटी Public Prosecutors की Senior Public Prosecutor चुनने के लिये सन् १९५१ में बनाई थी ? यदि हां, तो इसका क्या नतीजा निकला ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां। कमेटी की सिफारिश के आधार पर ३ सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर नियुक्त किये गये।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी ने पूछा।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बतलायेगी कि उस कमेटी के मेम्बर कौन-कौन थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

कर जांच आयोग एवं स्थानीय वित्त जांच समिति के प्रतिवेदनों पर विचारार्थ लखनऊ में विभिन्न राज्यों के स्वशासन विभाग के सचिवों का सम्मेलन

**५—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि ६ अगस्त को लखनऊ में कर जांच आयोग और स्थानीय वित्त जांच समिति के प्रतिवेदनों पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार-विनिमय करने के लिये, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, आन्ध्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों के स्वशासन विभाग के सचिवों का कोई सम्मेलन हुआ था ?

स्वशासन उपमन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)— जी हां।

**६—श्री रामदुलारे मिश्र—उपर्युक्त सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार की ओर से था या राज्य सरकार की ओर से ?

श्री कैलाशप्रकाश—भारत सरकार की ओर से।

**७—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सही है कि विभिन्न राज्यों के उपर्युक्त सचिवों ने कर जांच आयोग एवं स्थानीय वित्त जांच समिति के प्रतिवेदनों पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसकी रिपोर्ट Central Council of Local Self Government Ministers के सामने रक्खी जायगी। अभी तक उसकी कोई प्रतिलिपि सरकार के पास नहीं आई है।

गोरखपुर नगरपालिका के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

**८—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास गोरखपुर नगरपालिका के कुछ कर्मचारियों की गबन अथवा विभागीय कार्य ठीक न करने की शिकायतें सरकार के पास आई हैं ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां।

**९—श्री केशव पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि इस वर्ष गोरखपुर नगरपालिका कमेटी ने बजट ही पास नहीं किया और बहुमत से मेम्बरों ने बजट प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया था ?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक सरकार को विदित है, बोर्ड ने इस वर्ष (१९५६-५७) का बजट सर्वसम्मति से पास किया था।

**१०—श्री केशव पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि सरकार द्वारा बहाल किये गये गोरखपुर नगरपालिका के मुअत्तल कर्मचारियों को नगरपालिका ने काम पर नहीं लगाया ? यदि नहीं, तो सन् १९५६ में ऐसे कितने मामले गोरखपुर नगरपालिका में हुये इस बात की सरकार जांच करा कर बतायेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—केवल इक्जीक्यूटिव आफिसर का एक ऐसा मामला है जिसमें सरकार द्वारा आदेश दिये जाने के बावजूद प्रेसीडेंट ने उन्हें चार्ज नहीं दिया।

अन्जुमने तरक्किये उर्दू के सम्बन्ध में परिप्रश्न

**११—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अंजुमने तरक्किये उर्दू नामक किसी संस्था को उर्दू की तरक्की के लिये मान्यता प्रदान की है ?

शिक्षा उपमन्त्री (डाक्टर सीताराम))—जी नहीं।

**१२—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या इस संस्था को सरकार ने कोई आर्थिक सहायता दी है ? यदि हां, तो कब-कब और कितनी-कितनी ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार इस संस्था को कोई सहायता देती है और अगर देती है तो कितनी ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—यह प्रश्न स्टेट सरकार के बारे में था, केन्द्रीय सरकार की हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री रामसेवक यादव—क्या सरकार इस संस्था को उर्दू जबान की तरक्की के लिये कोई आर्थिक सहायता देना पसन्द करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां, जितना सम्भव है सरकार सब कुछ कर रही है। उनके लेखकों को पुरस्कार देती है। जहां पर्याप्त मात्रा में छात्र पढ़ने के लिये प्राइमरी स्कूलों में ही उनके लिये भी यह करती है। तो मैं समझता हूं कि जितना सम्भव है सरकार कर रही है।

श्री रामसेवक यादव—अन्जुमने तरक्कियें उर्दू संस्था के बारे में मैं पूछ रहा हूं, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह— यह कोई साहित्यिक संस्था नहीं है और साहित्य के क्षेत्र में यह संस्था कोई काम नहीं करती है। इसलिये इसे आर्थिक सहायता देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)— क्या इस संस्था ने आर्थिक सहायता के लिये सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं, कभी नहीं दिया।

श्री रामदुलारे मिश्र—इस संस्था का प्रधान कार्यालय कहां है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं शायद लखनऊ में है।

तारांकित प्रश्न

*१—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[७ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

क्रिमिनल ट्राइब्स-सेटेलमेंट, कल्यानपुर की गवर्नमेंट टेलरिंग फैक्टरी के मैनेजर द्वारा कपड़ा विक्रय में भ्रष्टाचार

*२—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्रिमिनल ट्राइब्स सेटेलमेंट, कल्यानपुर की गवर्नमेंट टेलरिंग फैक्टरी के मैनेजर ने बिना सरकारी आज्ञा प्राप्त किये और बिना टेन्डर लिये किसी फर्म को कुछ कपड़ा किसी फर्म विशेष के हाथ कम कीमत पर बेंच दिया जिसमें सरकार को ३०,००० रुपये का घाटा हुआ और जांच से पता चलने पर मामला सरकार के पास जुलाई, १९५४ ई० में भेजा गया? यदि हां, तो सरकार ने उस मामले में क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सीताराम—जी हां, सरकार ने संबंधित व्यक्ति को तुरन्त मुअत्तल कर दिया तथा उसके खिलाफ अनुशासन कार्यवाही करने की आज्ञा जारी की। इस सम्बन्ध में पूछ ताछ करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है तथा उसे तुरन्त प्रस्तुत करने की आज्ञा की गई है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार मुअत्तल करने की तारीख बतलाने की कृपा करेगी?

डाक्टर सीताराम—आज से ९ महीने पहले वह अधिकारी मुअत्तल हो चुका है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार का ध्यान आडिट रिपोर्ट ५४ के पेज १४ पर इस ओर गया है कि—

"It was reported by the then District Magistrate of Kanpur that this cloth passed into the black market. The case was reported to Government by audit in July, 1954."

तो जब केस गवर्नमेंट को जुलाई, १९५४ में रिपोर्ट हुआ तो क्या कारण है कि १९५४ से इतने दिनों तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और ९ महीने पहले वह मुअत्तल किया गया था और अभी तक उसकी मुअत्तली ही है और कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां, रिपोर्ट आने पर शिक्षा विभाग की तरफ से जांच कराई गई और ऐसा मालूम हुआ कि प्राइमा फेसी केस ठीक है तब सस्पेंड किया गया। हाईकोर्ट की नजीर हो चुकी थी कि सस्पेंशन भी पनिश्मेंट है। जब पर्याप्त सबूत हो तब सस्पेंशन करना चाहिये।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो कर्मचारी मुअत्तल है वह किस पद पर काम करता था और उसको कितना वेतन प्रतिमाह मिलता था?

डाक्टर सीताराम—वह रीजनल सहायक अधिकारी थे और उन्हें सेटिलमेंट के लिये नियुक्त कर दिया गया था और उनका वेतन-क्रम २०० से ४०० रुपये था।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किस अधिकारी के द्वारा वह जांच की जा रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह—जब कलेक्टर के यहां से रिपोर्ट आयी तो चार्जशीट बनाने के लिये डाइरेक्टर, हरिजन सहायक विभाग को उनके खिलाफ जांच करने के लिये नियुक्त किया गया और उन्होंने चार्जशीट बनाई और वह चार्जशीट उनको दी गई और उसमें और जांच अभी जारी है जो शायद यहां बतलाना अभी ठीक न होगा।

देवरिया जिले के स्कूलों में कृषि-शिक्षा

*३--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया जिला के किन-किन स्कूलों को कृषि योग्य कितनी-कितनी जमीनें प्राप्त हुई हैं?

डाक्टर सीताराम--जी हां, वांछित सूचना संलग्न सूची 'क' में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६६-६७ पर)

*४--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त किन-किन स्कूलों में कृषि अध्यापक काम कर रहे हैं, और कब से और उन्होंने क्या प्रगति की है?

डाक्टर सीताराम--जी हां, वांछित विवरण संलग्न सूची 'ख' में है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६८-७१ पर)

*५--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कितने स्कूलों में कृषि कराने के औजार तथा अन्य साधन प्राप्त हो गये हैं?

डाक्टर सीताराम--जी हां, ६८ विद्यालयों में कृषि के औजार तथा अन्य साधन प्राप्त हैं।

श्री रामसुभग वर्मा--कौन-कौन किस्म के औजार किन-किन विद्यालयों को दिये गये हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह--यह बतलाना बड़ा मुश्किल है कि किस किस विद्यालय को कितनी खुरपी और किसको कितनी हंसिया दी गई। ६८ विद्यालयों को औजार दिये गये हैं।

श्री रामसुभग वर्मा--कौन से विद्यालय हैं जिनको कृषि के औजार नहीं दिये गये हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह--जिनके औजार दिये गये हैं उनकी सूची मौजूद है, और जिनके नाम इसमें नहीं हैं उनको नहीं दिये गये हैं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को आदेश दिया गया है कि जिन विद्यालयों के पास कृषि के लिये भूमि नहीं हो उनकी मान्यता छीन ली जाय या एक साल के लिये रोक दी जाय?

श्री हरगोविन्दसिंह--कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया है।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन विद्यालयों के पास बड़ी जोत है उनको सरकार ट्रैक्टर देने पर विचार कर रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी नहीं।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो औजार आदि कृषि स्कूलों को दिये गये हैं उनमें बैल खासतौर से स्कूल की बिल्डिंग्स में ही बंधते हैं जिनसे स्कूलों म पढ़ने वालों की बड़ी भारी दिक्कत होती है?

श्री हरगोविन्दसिंह--इससे पहले ऐसी कोई सूचना या शिकायत नहीं आयी।

यू० पी० मिनिमम वेजेज ऐडवाइजरी बोर्ड की बैठकों के सम्बन्ध में परिप्रश्न

*६--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने १९५३ में जो दूसरा मिनिमम वेजेज बोर्ड बनाया था उसकी अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं और कब-कब तथा उसने अब तक क्या कार्य किया ?

श्रम मन्त्री (आचार्य जुगलकिशोर)--यू० पी० मिनिमम वेजेज एडवाइजरी बोर्ड १९५३ की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई।

दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह ऐडवाइजरी बोर्ड किस उद्देश्य से कायम किया गया था ?

आचार्य जुगलकिशोर--ऐडवाइजरी बोर्ड के कायम करने का यह उद्देश्य था कि जो सब कमेटियां मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत बनायी जायं उनकी रिपोर्ट को कोआर्डिनेट करे और गवर्नमेंट को सलाह दे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बतायेगी कि इस बोर्ड की बैठक पिछले तीन साल से किन कारणों से नहीं हो पायी है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस कमेटी के काम से लाखों मजदूरों के कल्याण से संबंध है सरकार इस बात का प्रबन्ध करेगी कि कमेटी की मीटिंग ठीक हो और आवश्यकता नहीं है तो कमेटी को तोड़ दिया जाय ?

आचार्य जुगलकिशोर--जैसा मैंने कहा बोर्ड की आवश्यकता उसी वक्त मालूम पड़ती है जब कोई मसला मिनिमम वेज का तय करने को आता है। हमारे यहां ऐसा कोई मसला नहीं आया। सन् १९५३ से पहले मिनिमम वेजेज ऐक्ट जितनी इंडस्ट्रीज पर लागू हो गया था उसके बाद किसी और पर लागू कराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या यह सच है कि जो सदस्य इसमें नियुक्त किये गये थे उनका समय समाप्त हो गया ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां। समाप्त हो गया।

श्री सूर्य्य प्रसाद अवस्थी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वे नये सदस्यों के साथ कोई बोर्ड बनाने जा रहे हैं ? अगर हां, तो कब तक ?

आचार्य जुगलकिशोर--इस संबंध में जैसा कि मालूम हुआ है पार्लियामेंट में एक मिनिमम वेजेज ऐक्ट के सिलसिले में कोई बिल आने वाला है और उसके अन्तर्गत संभव है कोई एक बोर्ड का भी सुझाव हो, उसी का इंतजार किया जा रहा है।

वर्किंग जर्नलिस्ट ऐक्ट के प्रवर्त्तन की मांग

*७--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार वर्किंग जर्नलिस्ट ऐक्ट को पूरे का पूरा लागू करने का विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब से ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां। यथा शीघ्र जैसे ही इसके अन्तर्गत नियम बन जायं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार को यह मालूम है कि वर्किंग जर्नलिस्टस में इस बात की बहुत मांग है कि शीघ्र से शीघ्र इस ऐक्ट को लागू किया जाय ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां। लागू तो यह हो गया है। केवल कुछ दिक्कतें ऐसी हैं कन्सीलियेशन आफिसर्स को यह हिदायत दे दी गई है कि वह ऐक्ट के सिलसिले में कोई डिसप्यूट आवे तो विचार कर सकते हैं। परन्तु ऐडजुडिकेशन के संबंध में कुछ ऐसे नियम बनाये जा रहे हैं जो कि सेंट्रल ऐक्ट के मुताबिक हों क्योंकि प्रदेशीय ऐक्ट के मुताबिक वह रूल्स नहीं बन सकते ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह नियम कब तक बन जायेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर---सेंट्रल गवर्नमेंट से लिखा पढ़ी की जा रही है और उसके बाद ही वह बनाये जायंगे।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय सरकार ने जो सुझाव यदा कदा प्रदेशीय सरकार को दिये हैं, उनमें कांक्रीट प्रोपोजल्स क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने पहले कह दिया कि अभी मालूम नहीं क्या आदेश हैं। उसके बाद यह पूरक प्रश्न उठता नहीं है।

कारखानों के मैनेजमेंट में मजदूरों का हिस्सा

*८---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कारखानों के मैनेजमेंट में मजदूरों को उनका उचित हिस्सा दिलाने के लिये वह क्या कदम उठा रही है क्या सरकारी कारखानों के मैनेजमेंट में मजदूरों को हिस्सा दिया गया है ? अगर हां, तो क्या ?

आचार्य जुगलकिशोर---इस मामले पर अभी सरकार विचार कर रही है ।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बतायेगी कि उसने कारखानों के मैनेजमेंट में मजदूरों को उचित हिस्सा दिलाने के लिये क्या कदम उठाया ह ?

आचार्य जुगलकिशोर---जैसा कि उत्तर में बताया गया है इस पर विचार हो रहा है। कोई निश्चय अभी तक नहीं हो सका है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि विचार समाप्त हो करके निर्णय कब तक हो जायगा ?

आचार्य जुगलकिशोर---विचार हो रहा है। जब विचार समाप्त हो जायगा उसक बाद बतला सकूंगा कब तक और कार्यवाही हो सकेगी।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कारखानों के मैनेजमेंट में मजदूरों को उचित हिस्सा मिल सके, ऐसा कोई आदेश या कोई चिट्ठी केंद्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को भेजी है ?

आचार्य जुगलकिशोर---मैं ठीक तौर से नहीं कह सकता ऐसी चिट्ठी आयी है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कुछ बातें हुई हैं जिससे मालूम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ न कुछ मैनेजमेंट और लेबर में कोआर्डिनेशन हो जाय। लेकिन कोई आदेश नहीं आया है, जहां तक मुझे खयाल है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---आठवें प्रश्न में एक प्रश्न यह है कि क्या सरकारी कारखानों के मैनेजमेंट में मजदूरों को हिस्सा दिया गया है ? उत्तर से स्पष्ट नहीं होता कि क्या इस पर भी सरकार विचार कर रही है। और अगर सरकार विचार कर रही है तो सरकारी

कारखानों के मैनेजमेंट में मजदूरों को हिस्सा देने में क्या देर और दिक्कत है यह सरकार बताने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर---यह विचार तो सभी प्रश्नों पर है। जहां तक लेबर मैनेजमेंट का सवाल आता है यदि वहां पर हुआ तो संभव है कि गवर्नमेंट की जो फैक्टरीज हैं उनमें भी कुछ इस तरीके की योजनायें रखी जायं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कारखानों के मैनेजमेंट में मजदूरों को उचित हिस्सा मिल सके इस संबंध में प्रांतीय सरकार क्या कोई बिल इस हाउस के सामने लाने का विचार रखती है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी---क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसी कारखाने में इस तरह का कोई समझौता हुआ है कि जिसमें वहां के मजदूरों को मैनेजमेंट में राय देने का अधिकार मिले ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, मोदी इंडस्ट्रीज में हुआ है, लेकिन यह नहीं कि मैनेजमेंट में कोई हिस्सा लें, परन्तु आपस के जो झगड़े होते हैं उसमें कोई समझौता आसानी से हो सके बिना किसी ऐक्ट के ऊपर निर्भर होते हुये इस तरह का समझौता हुआ है।

श्री बलवन्तसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने इस उसूल को मान लिया है कि मजदूरों को उनके कारखाने के मैनेजमेंट में हिस्सा दिया जाय ?

आचार्य जुगलकिशोर---उसूल के मानने का सवाल नहीं है। यह तो समय के ऊपर निर्भर है कि यह नीति कब अख्तियार की जाय, कहां के लिये फायदेमन्द होगी ? इसमें सिद्धांत की बात गवर्नमेंट के सामने नहीं है। यह तो एक अच्छी चीज होगी अगर लेबर और मैनेजमेंट में ऐसा समझौता हो जाय जिससे मैनेजमेंट में वह भाग ले सकें।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी---क्या माननीय श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी कारखानों में अबतक किसी में इस तरीके का कोई समझौता किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर---जहां तक इस प्रदेश में सरकारी कारखाने हैं, मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि वहां पर कोई इस तरह का इन्तजाम हुआ।

हाथरस में रामचन्द्र-न्यू-काटन मिल को आर्थिक सहायता की आवश्यकता

*९---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में दी रामचन्द्र न्यू काटन मिल कब से पुनः चालू हुई है और उसमें कितने मजदूर काम करते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---यह मिल १ दिसम्बर, १९५५ ई० से पुनः चालू हुई है और इस समय इसमें ८४० श्रमिक कार्य कर रहे हैं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मजदूरों को कितने दिनों का वेतन बकाया है और इसके बिलम्ब का क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर---इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन मालूम हुआ है कि जून तक उनको वेतन मिल गया है।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मजदूरों को वेतन दिलाने के लिये पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के अनुसार कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो उसका क्या असर हुआ ?

आचार्य जुगलकिशोर—अभी लेबर कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई है, उसके आने के बाद यदि उचित समझा जायगा तो कार्यवाही की जायगी ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार इसको सुचारु रूप से चलाने के लिये आर्थिक सहायता देगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसकी कोई मांग नहीं आई है । मैं नहीं कह सकता कि सरकार क्या सहायता दे सकती है ।

श्री तेजप्रतापसिंह—इस मिल के पुनः चालू होने पर उन मजदूरों द्वारा कोई रिप्रेजेंटेशन आया है कि उनमें से बहुत से रिट्रेंच कर दिये गये हैं और उनको स्थान नहीं दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—मैं इस समय नहीं कह सकता हूं कि इस तरह का कोई रिप्रेजेन्टेशन आया है। मैं मालूम करके बाद में बतला सकता हूं ।

*१०-१२—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—[७ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

कानपुर नगरपालिका के अनट्रेण्ड अध्यापकों का आवेदन-पत्र

*१३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर नगरपालिका के अनट्रेंड अध्यापकों की ओर से अभी हाल ही में कोई आवेदन-पत्र व डेपुटेशन उसकी सेवा में पेश हुआ था ? यदि हां, तो उसने उनकी मांगों के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम—जी हां ।

ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी उन मुख्य-मुख्य मांगों को बताने की कृपा करेंगे जो डेपूटेशन ने उनकी सेवा में उपस्थित की थीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जिन टीचर्स को नोटिस दिया गया था उनका एक डेपूटेशन आया था और वह इस बात पर तैयार था कि उनके लिये ट्रेनिंग का प्रबन्ध कर दिया जाय तो वह संतुष्ट हो जायेंगे। लिहाजा उसका प्रबन्ध कर दिया गया है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ट्रेनिंग किस प्रकार की होगी और कितने दिन तक दी जायगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—एच० टी० सी० ट्रेनिंग जो नार्मल स्कूलों में होती है वही दी जायगी। जो पांच वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं और ३५ वर्ष से ऊपर हैं उनकी ट्रेनिंग एक वर्ष की होगी और जो ३५ वर्ष से नीचे और ५ वर्ष से जिनकी सर्विस कम है उनको दो वर्ष की ट्रेनिंग दी जायगी।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगरपालिका के अनट्रेंड अध्यापकों की तादाद क्या है ?

डाक्टर सीताराम—अनट्रेंड अध्यापकों की संख्या ११८ थी।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दो साल की ट्रेनिंग कानपुर में ही होगी या बाहर होगी और एक साल की ट्रेनिंग कहां पर होगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—वह ट्रेनिंग तो नार्मल स्कूलों में होगी जहां भी स्थान मिल जायगा। बकिया जो हैं उनके लिये कानपुर में ही इंतजाम किया जा रहा है ।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन अनट्रेंड अध्यापकों को ट्रेनिंग में कोई स्टिपेंड दिया जायगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसमें जो एक वर्ष के हैं उनको नहीं दिया जायगा, दो वर्ष वालों को देंगे।

श्री तुलाराम रावत—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनमें से कितने ऐसे हैं जिनकी सेवायें पांच साल से अधिक हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—मेरा खयाल है कि ५० तो ऐसे हैं जो ५ वर्ष से कम के हैं और बकिया शायद ५ वर्ष से ज्यादा वाले हैं परन्तु निश्चित संख्या नहीं बतायी जा सकती है।

श्री परमेश्वरीदयाल (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अध्यापक एक साल की ट्रेनिंग लेंगे और जो २ साल की ट्रेनिंग लेंगे उनके वेतन-क्रम में कोई अन्तर होगा ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जब ट्रेनिंग का समय एक साल से दो साल बढ़ाया गया तो वेतन-क्रम में कोई अन्तर नहीं किया गया और ऐसा समझा गया कि एक साल की ट्रेनिंग एच० टी० सी० और जे० टी० सी० के लिए कम है इस लिये दो साल कर दिया गया था। दूसरी सुविधा यह दी गयी थी कि १५ वर्ष की सर्विस से ज्यादा के जो टीचर्स हैं उनके लिए एक वर्ष की ही ट्रेनिंग पर्याप्त समझी जाय।

श्री शिवनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये टीचर्स जो ट्रेनिंग के लिये भेजे गये हैं उनको छुट्टी दी गयी है या वैसे ही भेजा गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—वे तो अनट्रेन्ड टीचर्स टेम्पोरेरी थे। उनको छुट्टी देने का कोई कायदा नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या यह सम्भव नहीं है कि दोनों तरह के अध्यापकों को कानपुर शहर के अन्दर ही ट्रेनिंग दी जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं।

गोंडा जिले के बलरामपुर नार्मल स्कूल में हरिजन तथा पिछड़ी जाति के प्रशिक्षार्थी

*१४—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में नार्मल स्कूल, बलरामपुर में १९५५-५६ में कितने शिक्षार्थी लिये गये हैं और उनमें हरिजन तथा पिछड़ी जाति के अलग-अलग विद्यार्थी कितन ह ?

डाक्टर सीताराम—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१५—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त नार्मल स्कूल में १९५६-५७ में कितने विद्यार्थी लिये जायेंगे और उनमें हरिजन तथा पिछले वर्ग के कितने छात्र लिये जायेंगे, उनकी संख्या क्या है ?

डाक्टर सीताराम—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री गंगाप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना हाउस में कब तक दी जायगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जितनी जल्दी प्राप्त हो जायगी।

मिर्जापुर जिले में हरिजन छात्रवृत्ति के लिये दिया गया अतिरिक्त धन

*१६--श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर में कितना अतिरिक्त धन (Additional Grants) हरिजन छात्रवृत्ति के रूप में ३१ मार्च, १९५६ तक वितरण न हो कर पुनः प्रदेशीय सरकार को वापस कर दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--कोई धन वापस नहीं किया गया ।

*१७--श्री रामकृष्ण जैसवार (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मन्त्री पुनः यह धन जिले में जकर वंचित छात्रों की सहायता करने की कृपा करेंगे ।

श्री हरगोविन्दसिंह--प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की वेतन वृद्धि के लिये प्लानिंग कमीशन की कथित योजना

*१८--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या प्लानिंग कमीशन ने प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की वेतन वृद्धि किये जाने के हेतु कोई योजना प्रदेशीय सरकार के पास भेजी है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*१९--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)--[१९ सितम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न ५० केअन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२०--[१४ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२१--[२१ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

नवीन शिक्षा क्षेत्र गोरखपुर में फैजाबाद जिले को सम्मिलित करने पर आपत्ति

*२२--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या शिक्षा मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि शिक्षा विभाग ने शिक्षा सम्बन्धी नये गोरखपुर रीजन में कौन-कौन से जिलों को रखने का विचार किया है ?

डाक्टर सीताराम--गोरखपुर रीजन में निम्नलिखित जिले सम्मिलित किये गये हैं ।

१--गोरखपुर,
२--देवरिया,
३--बस्ती,
४--आजमगढ़,
५--गोंडा,
६--बहराइच,
७--फैजाबाद ।

*२३--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या शिक्षा मंत्री फैजाबाद जिले को लखनऊ रीजन में ही रखने पर विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जो बतायेंगे कि जब कि फैजाबाद और गोरखपुर की आबहवा और भौगोलिक स्थिति में कठिनाई है तो फैजाबाद को अन्य रीजन में करने में उनको क्या कठिनाई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--उसमें कठिनाई यह होगी कि अगर फैजाबाद गोरखपुर रीजन से निकाल कर किसी दूसरे रीजन में कर दिया जाय तो गोरखपुर के रीजन में स्कूलों और जिलों की संख्या बहुत कम हो जायगी ।

श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी थोड़े दिन हुये कि फैजाबाद जिले के कुछ एम० एल० एज० ने यह प्रार्थना-पत्र दिया था कि गोरखपुर रीजन में जाने से फैजाबाद को कुछ कठिनाई हो जायगी तो उस प्रार्थना-पत्र पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसला हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह--कठिनाई तो कुछ को होगी ही । अगर हर एक जिले में रीजन नहीं बन सकता है तो कुछ जिलों के आदमियों को दूसरे रीजन में शामिल होना ही होगा । लेकिन प्रशासकीय दृष्टि से हर एक रीजन में ८-९ जिले रखे गये हैं और इसलिए यह सम्भव नहीं हो सका कि फैजाबाद को रीजन बनाया जाय या इसको किसी दूसरे रीजन में रखा जाय ।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहले जो सूची बनी थी उसमें सुल्तानपुर जिला भी गोरखपुर रीजन में था और किस बिना पर वह वहां से हटाया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--ऐसी बात कम से कम मुझे तो नहीं मालूम है ।

*२४-२६--**श्री जगपतिसिंह** (जिला बांदा)--[२१ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२७-२८--**श्री झारखंडेराय**--[१४ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२९--**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)--[११ सितम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३०--**श्री रामेश्वरलाल**--[२१ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३१--**श्री तेजासिंह** (जिला मेरठ)--[२१ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३२--**श्रीमती सज्जनदेवी महनोत** (जिला गोंडा)--[१४ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

आदर्श संस्कृत विद्यालय

*३३--**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह कुछ संस्कृत के आदर्श विद्यालय बना रही है ? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां ?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां । ९८ आदर्श विद्यालय बनाने की योजना है । ये विद्यालय प्रदेश के विभिन्न जिलों में होंगे । स्थान अभी निश्चित नहीं हुए ।

*३४--श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतायेगी कि इन आदर्श संस्कृत विद्यालयों की रूपरेखा क्या होगी और इस पर सरकार का कितना विशेष धन व्यय होगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह--इन आदर्श संस्कृत विद्यालयों में निम्न विशेषतायें होंगी:--

(अ) शास्त्री एवं आचार्य परीक्षा पर्यन्त अध्यापन का प्रबन्ध,

(ब) अंग्रेजी तथा गणित आदि संस्कृतोत्तर विषयों के अध्यापनार्थ कम से कम एक बी० ए० परीक्षोत्तीर्ण अध्यापक की नियुक्ति,

(स) अध्यापकों को सरकार द्वारा निश्चित वेतन-क्रम प्राप्त होगा,

इस योजना के लिए द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ७५,००० रु० वार्षिक व्यय की व्यवस्था की गई है ।

*३५-३६--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--[२१ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३७-३८--श्री रामसुन्दरराम (जिला बस्ती)--[२१ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

लेबर वेलफेयर आफिसर्स की नियुक्ति

*३९--श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी--क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे कारखाने (फैक्टरीज) हैं, जिनमें "यू० पी० फैक्टरीज वेलफेयर आफिसर्स रूल्स सन् १९५५" लागू हो सकता है ?

आचार्य जुगलकिशोर--१०९ ।

*४०--श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी--क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९५६ तक कितने कारखानों में उपर्युक्त रूल्स के अनुसार वेलफेयर आफिसर्स नियुक्त हो चुके हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--९२ ।

*४१--श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी--क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन कारखानों ने उपर्युक्त रूल्स के अनुसार वेलफेयर आफिसर्स नहीं नियुक्त किये हैं, उनकी संख्या कितनी है और उपर्युक्त रूल्स न मानने के कारण उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

आचार्य जुगलकिशोर--इस समय ऐसे कारखानों की संख्या १५ है । कुछ के विरुद्ध अभियोग चलाया गया है तथा कुछ को वेलफेयर आफिसर नियुक्त करने के लिये लिखा गया है ।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी--अध्यक्ष महोदय, अगर उत्तर प्रदेश में एक संशोधन कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि आसानी होगी । १०९ में से ९२ निकलते हैं तो मेरे हिसाब से १७ आते हैं लेकिन इसमें १५ लिखा हुआ है । अगर उसको माननीय मंत्री जी १५ मान लें तो ठीक है ?

आचार्य जुगलकिशोर--मैं समझता हूं कि १५ ही सही है । एक मिल और दूसरी मिल को प्रेस जो ऐशबाग का है उसके कुछ आफिसर्स को ट्रेनिंग के लिये भेजा गया था । सम्भव है वे आ गये हों लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है । इसीलिये १५ लिखा है ।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी---क्या माननीय श्रम मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां राजकीय १५ कारखानों में वेलफेयर आफिसर्स नये नियुक्त किये गये हैं उनमें कितने सरकारी हैं और कितने गैर-सरकारी ?

आचार्य जुगलकिशोर---जहां तक मेरी सूचना इस वक्त है दो सरकारी हैं।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी---क्या माननीय श्रममन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन कारखानों में अभी तक वेलफेयर आफिसर्स नहीं रखे गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही या उनको पत्र किस सन् में लिखे गये ?

आचार्य जुगलकिशोर---इसके लिये तो मुझे सूचना चाहिये। मैं तारीखें देख कर बतला सकता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---इस बात को देखते हुए कि चूंकि लेबर वेलफेयर आफिसर्स मिल मालिकों के हाथ में होते हैं वे ठीक से काम नहीं कर पाते हैं इसलिए क्या सरकार उनको अपने अधीन लेने की बात सोच रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---यह सवाल तो अभी सरकार के सामने नहीं है।

महिला मंगल योजना केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में परिप्रश्न

*४२---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महिला मंगल योजना में इस वर्ष कितने केन्द्र नये खोले जा रहे हैं और एक केन्द्र पर कितना व्यय होता है ?

आचार्य जुगलकिशोर---इस वर्ष महिला मंगल योजना के अन्तर्गत १२० नये केन्द्र खोले जायेंगे। एक महिला मंगल केन्द्र पर औसतन १,७२० रुपया व्यय होता है।

*४३---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में किन-किन स्थानों पर नये केन्द्र खोले जा रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---अलीगढ़ जिले में राज्य सरकार की महिला मंगल योजना चालू नहीं है। अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

*४४---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले की संचालिका, महिला मंगल योजना की न्यूनतम योग्यता शिक्षा तथा प्रतिष्ठा क्या रखी गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जिला संचालिका, महिला मंगल योजना की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष परीक्षा है। इसके अतिरिक्त उन्हें ग्रामीण वातावरण से परिचित, सेवा कार्य में रुचि तथा गांवों में दौरा करने तथा रहने की क्षमता होनी चाहिये।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार निकट भविष्य में अलीगढ़ जिले में महिला मंगल योजना केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---अलीगढ़ जिले में सभा कल्याण बोर्ड की तरफ से सेन्टर्स खुले हुये हैं। हमारी नीति यह है कि जहां सेन्टर्स खुले हुये हैं हम वहां पर केन्द्र न खोलें।

श्री कमलासिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि १२० केन्द्र जो खोले जायेंगे वह कहां-कहां खोले जायेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर---वह उन्हीं जिलों में खोले जायेंगे जहां इस समय खोले गये क्योंकि हमारी संख्या १० की हर जिले की हैं। कहीं पांच है कहीं सात हैं। इस प्रकार ३१ जिलों में ये १०-१० हो जायेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जितने भी केन्द्र इन जिलों में खोले जायेंगे उन सबके लिये उनके पास ट्रेन्ड महिलायें हैं जो महिला मंगल योजना का कार्य कर सकती हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, ट्रेनिंग उनको देते हैं और कुछ ट्रेन्ड हैं जो अभी ट्रेनिंग समाप्त कर चुकी हैं और उनकी नियुक्ति होने वाली है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी ये जिले की जो संचालिकायें होती हैं इनका वेतनक्रम क्या होता है ?

आचार्य जुगलकिशोर---१२० रुपये से शायद ३०० रुपये तक है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको ट्रेनिंग देने के लिये कोई क्वालिफिकेशन है और चूंकि वह कम मिलती हैं तो उन क्वालिफिकेशन्स को कुछ रिलेक्स करने का सरकार का विचार है ?

आचार्य जुगलकिशोर---ऐसी कोई समस्या हमारे सामने तो नहीं आयी है कि लड़कियां नहीं मिलती हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो योजनायें संचालित होती हैं और जो प्रदेशीय सरकार द्वारा कार्य होता है इन दोनों का को-आर्डिनेशन स्थापित करने के लिये क्या प्रयत्न किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, प्रयत्न किया गया है। प्रदेश में एक शोसल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड नियुक्त किया गया है जिसमें कुछ नुमाइन्दे गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। और कुछ सेन्टर की तरफ से रखे जाते हैं। उनका सम्मिलित बोर्ड इस काम की देखभाल करता है।

श्री जगन्नाथमल्ल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो केन्द्र खोले जायंगे उनमें कौन-कौन से कार्य होंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर---जो खोले गये हैं उन्हीं के मुताबिक और केन्द्र भी इसी तरह से खोले जायेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को यह मालूम होगा कि इन केन्द्रों में क्या हो रहा है।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संचालिकायें लड़कियां रखी जा रही हैं या भद्र महिलायें रखी जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---मैं समझता हूं कि २० वर्ष से ज्यादा को लड़कियां कहेंगे अथवा महिलायें, यह मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं।

श्री जगन्नाथमल्ल---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हुए कि मुझे यह मालूम नहीं है कि इन केन्द्रों में क्या हो रहा है, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन केन्द्रों में क्या हो रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर--यह तो बहुत लम्बा प्रश्न है, आप कहें तो मैं थोड़ा सा बतला दूं। (श्री अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त होने पर) इन केन्द्रों में छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके लिये बाग वाड़ी है। वहां कुछ और स्त्रियां हैं उनको सामाजिक शिक्षा और दस्तकारी सिखलाई जाती है। स्वास्थ्य संबंधी कार्य उनको बतलाये जाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर समय-समय पर होते हैं।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि महिला मंगल की जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें कुल कितनी छात्रायें हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--दो सेन्टर्स चल रहे हैं--ज्योलीकोट और सहारनपुर में। ट्रेनीज की संख्या क्या है यह मैं नहीं कह सकता।

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५ के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति ने अपनी २३ अगस्त, १९५६ की बैठक में निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५ के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय--

सामान्य विवाद	२९ अगस्त, १९५६ को जोत चकबन्दी नियमावली पर विवाद समाप्त होने के उपरान्त से ३० अगस्त, १९५६ को सवा बजे तक।
खंडों पर विचार तथा पारण	३० अगस्त, १९५६ को सवा दो बजे से।
	३१ अगस्त, १९५६ को सदन के उठने तक।

हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक की प्रवर समिति के निर्वाचन के कार्यक्रम में परिवर्तन

*श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं अपने बिल के बारे में प्रार्थना करूंगा कि उसमें अभी कुछ नाम रह गये हैं तो मैं आपकी इजाजत से यह कहूंगा कि अगर कांस्टीट्यूशन की धारा १८९(१) मान ली जाय तो इलेक्शन की कोई जरूरत न होगी--

"Save as other wise provided in this Constitution all questions at any sitting of a House of the Legislature of a State shall be determined by a majority of votes of the members present and voting."

यह सवाल रूल्स कमेटी के सामने भी आया था। इसके अतिरिक्त एडवोकेट जनरल की राय भी मेरे सामने है। मैं चाहता हूं कि उसको भी पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--खैर, वह तो मुझे मालूम है।

श्री रामसुमेर--मेरा कहना यह है कि अगर उस तरीके से किया जाता है तो किसी इलेक्शन की आवश्यकता नहीं मालूम होती।

श्री अध्यक्ष--जब तक नियमावली का नियम ९९ बना हुआ है तथा उसका जो दूसरा खंड दिया हुआ है कि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से यह हो तब तक मैं समझता हूं कि मैं वैसा ही नियमानुसार करने के लिये बाध्य हूं। जहां तक बहुमत का प्रश्न है नियमों में यह भी दिया हुआ है कि यदि माननीय सदस्य चाहें तो किसी भी नियम को निलंबित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

कर सकते हैं। यदि सदन की यह इच्छा है कि इसके बारे में सदन में ही राय ले ली जाय, और बहुमत से कर दिया जाय तो मैं सदन की राय लेकर नियम ९९ को निलंबित करने को तैयार हो जाऊंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी की इस बारे में क्या राय है ?

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसी एक खास मामले की बात है उसके ऊपर चाहे आपत्ति हो या न हो, लेकिन इस प्रकार के महत्वपूर्ण नियम के बारे में जब कोई बात आती है तो ऐसा लगता है कि उसके परिवर्तन करने का नतीजा गलत हो सकता है, क्योंकि वह नजीर सी बन जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि जब तक कोई असाधारण स्थिति न हो तब तक किसी नियम को निलंबित करना अच्छा न होगा। जहां तक किसी एक खास मामले की बात है उसको आपस में बातचीत करके तय किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—इसमें एक प्रथा का प्रश्न है और आपत्ति इसलिये भी अधिक है कि एक महत्वपूर्ण प्रथा का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना सही भी है कि एक दफा प्रथा तोड़ी जाय तो अन्य अवसरों पर भी उसे तोड़नी पड़ेगी। तो आपस में बातचीत करके ही कोई सदस्य नाम वापस ले ले और चुनाव की आवश्यकता न रहे तो ठीक है। समय तो निकल चुका है वापसी का, लेकिन मैं थोड़ा सा समय और दे सकता हूं दो रोज का कि अगर आपस में बातचीत करके इनमें से कुछ नाम वापस हो जायं तो वह वापसी वैध हो जाय ? मैं २९ तारीख तक का समय और दे देता हूं और २९ तारीख तक अगर यह न हो तो प्रवर समिति के चुनाव की व्यवस्था मैं करूंगा।

†कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री नारायण दत्त जी तिवारी का एक तार आया है जिसमें लिखा है

"Heavy rains motor road blocked myself stranded beg House defer consideration Kumaun University bill till next Friday"

ऐसी परिस्थिति में नियम १७५ बिजनेस पोस्टपोन करने के लिये है, जिस नियम के अनुसार वे चाहते हैं कि अगले शुक्रवार के लिये यह विषय रख दिया जाय, क्योंकि वे सदन में आ नहीं सकते हैं। यह मैं सूचना के लिये इस सदन के सामने रखता हूं, लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहें तो नियम १७५ के अनुसार एक प्रस्ताव ला सकते हैं कि इसको पोस्टपोन किया जाय। उन्होंने प्रार्थना की है लेकिन उसके लिये एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। अगर कोई प्रस्ताव लाने के लिये अधिकृत हों तो वे प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं।

(श्री जगन्नाथमल्ल के खड़े होने पर)

क्या आप अधिकृत हैं प्रस्ताव लाने के लिये ? अगर उन्होंने आपसे कहा हो तो आप प्रस्ताव ला सकते हैं।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—उन्होंने कहा है कि अगर मैं नहीं आ सकूं तो उसको स्थगित करा दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—यह केवल सूचना मात्र है यदि आप प्रस्ताव नहीं लाते हैं तो उस पर विचार जारी रहेगा। श्री शिवनारायण जी उस दिन भाषण दे रहे थे। अब विधेयक पर विचार जारी होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†१० अगस्त, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन बोल रहा था कि विद्यार्थियों के रक्षण के लिये भी इस यूनिवर्सिटी में प्रबन्ध किया गया है। इस ऐक्ट में छात्रों के कल्याण के लिये डीन आफ स्टुडेंट्स वेलफेयर का भी प्रबन्ध किया गया है। मान्यवर, आज कुमायूं यूनिवर्सिटी खोलने का अर्थ यह होगा कि शहरी इलाकों जैसे लखनऊ, इलाहाबाद को छोड़ कर उस बन के इलाके में और एकान्त स्थान में लोग पढ़ने के लिये जायेंगे। श्रीमन्, मैदान में इतनी गरमी पड़ती है कि ६ घंटे काम करना भी कठिन मालूम होता है और पहाड़ पर कम से कम १८ घंटे तक हर विद्यार्थी काम कर सकता है और यहां जो शहरों के अन्दर सिनेमा हाउसेज आदि की लक्जरिअस लाइफ है, इन तमाम चीजों से छुट कर और एकान्त में रह कर साधारण जीवन, उच्च विचार जो सिद्धांत हमारे देश का रहा है उस पर अमल करके वह एक सुन्दर और आदर्श विद्यार्थी बन सकता है। उससे यह लाभ होगा कि आज हमारे देश में जो गुणवानों की कमी है, जो विद्वानों और पंडितों की आवश्यकता है, मान्यवर, आपकी इजाजत से मैं कहना चाहता हूं कि उसी हिमालय की चोटी पर वेदिनी नामक एक स्थान है जहां पर वेदों की रचना की गयी। मुझे पूर्ण आशा है कि कुमायूं यूनिवर्सिटी अगर कायम हुई तो हमारे देश के लिये वहां से बहुत अच्छे-अच्छे रचयिता और विद्वान निकलेंगे।

दूसरी बात मान्यवर जहां तक एजुकेशन प्लानिंग की है, यह नहीं होगा कि हर काम सेंटर में ही हो रहा है बल्कि प्रांत के हर भाग में एजुकेशन का उचित स्थान होगा अगर यहां पर यूनिवर्सिटी खुल गयी। एक विद्यार्थी जो अल्मोड़े या गढ़वाल का है वह बी० ए० ज्वाइन करने के लिये लखनऊ या इलाहाबाद आता है तो उसका खर्चा इतना ज्यादा पड़ता है जिसे बरदाश्त करना उसके घर वालों के लिये मुश्किल होता है कुमायूं के एक विद्यार्थी के गार्जियन की तनख्वाह यदि २०० रु० मासिक है तो उसका बच्चा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसकी पढ़ाई में ही उसकी तनख्वाह का आधा भाग खर्च नहीं हो जाता है बल्कि उससे बेशी ही खर्च हो जाता है। लेकिन लखनऊ में ५०-६० रुपये की आय वाले का बेटा उसके साथ खाना खा सकता है, उसके साथ रह सकता है और सिम्पली सिटी का जीवन बिता सकता है लेकिन गढ़वाल से एक लड़का आता है तो उसको खाने के लिये पैसा चाहिये और बिस्तर वगैरा सब चीज लेकर आना पड़ता है और अधिक खर्च पड़ता है। पहाड़ के लोग गरीब हैं किसी भी जाति के हों ब्राह्मण हों, ठाकुर हों, या हरिजन हों वहां अधिकतर लोग गरीब हैं, उन को मैंने स्वयं देखा है वह बड़ी कठिनाई से जीवन बिताते हैं। इसके बाद मैं आपकी इजाजत से कहता हूं कि यह विश्वविद्यालय जो पहाड़ में खुलेगा उससे हमारे देश में अच्छे-अच्छे विद्वान और वैज्ञानिक पैदा होंगे और जो एटामिक इनरजी आदि की रिसर्च करेंगे, वहां अच्छे विद्यार्थियों को अवसर मिलेगा और ठंडे वातावरण में वह कार्य कर सकेंगे। यह बिल जो माननीय नारायण दत्त जी ने पेश किया है हम ने और हमारी कांग्रेस बेंचेज के लोगों ने इसका समर्थन किया है वह भी एक वैसा ही कानून है जैसा लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा यूनिवर्सिटीज का है और कोई खास अन्तर इसमें नहीं है। हम कह सकते हैं कि यह छोटा सा बिल जो तिवारी जी ने पेश किया है उसमें उन्होंने वही ढांचा रखा है जिस को हम ने चलाया है। मैं समझता हूं कि उनके और हमारे सोशलिस्टिक पैटर्न आफ स्टेट में कोई अन्तर नहीं है, उन्होंने केवल एक चेंज किया है कि वहां के चांसलर बजाय गवर्नर के चीफ जस्टिस होंगे, हमारे यहां हेड आफ दि स्टेट जो राज्यपाल हैं उनको चांसलर रखा गया है। केवल एक अन्तर उन्होंने किया है, बाकी करीब-करीब वैसा ही है। मैं समझता हूं इसमें पहाड़ वालों के लिये ठंडे वातावरण में शिक्षा की अच्छी सुविधा होगी और अच्छे विद्वान और अच्छे पंडित वहां से हमें मिल सकेंगे और पहाड़ी जिलों की शिक्षा का प्रश्न हल हो सकेगा। अन्त में मैं आप की इजाजत से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं इस पर कुछ बहस करूं मैं जरा आप से जानना चाहता था कि अगर इस सदन ने यह प्रस्ताव

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

स्वीकार नहीं किया कि यह जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय तो यह बिल सदन में स्टैंड करेगा या नहीं और इस पर क्या कोई दूसरी कार्यवाही होगी या नहीं, यह जरा बता दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि वह तो फिर खत्म हो जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं एक प्रस्ताव रखना चहता था क्योंकि इस पर कुछ भ्रम सा था कि यह रहेगा या नहीं। मैं श्री नारायणदत्त तिवारी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि वे इसको स्वीकार कर लें कि बजाय इसके कि यह जनमत के लिये भेजा जाय कि यह बिल रहे और बाद में इस सदन में इस पर विचार हो जाय और यह यहां से पारित हो जाय ऐसा प्रस्ताव मैं रखना चाहता हूं। मैं ऐसा लिखकर भी बाद में दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--वैसे तो मेम्बर इंचार्ज ही एक मोशन ला सकता है और वह वे ले आये हैं। नियम ९७ में यह दिया हुआ है कि अगर सेलेक्ट कमेटी के लिये प्रस्ताव है तो विधेयक को पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजने का संशोधन लाया जा सकता है और विचार करने का प्रस्ताव तो सेलेक्ट कमेटी के लिये या जनता के मत को प्राप्त करने का संशोधन आ सकता है लेकिन कन्सीडरेशन का प्रस्ताव जो उन्हें मूव करना था नहीं किया गया इसलिये प्रवर समिति को भेजने का संशोधन अब नहीं आ सकता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, मैं अब श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने जो यह प्रस्ताव उपस्थित किया है, कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ को तीन मास के लिये जनमत संग्रहार्थ घुमाया जाय इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जिन भावनाओं से माननीय नारायण दत्त तिवारी जी इस बिल को लाने के लिये प्रेरित हुये हैं उस पर काफी विवाद इस सदन के सामने हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, अब हिन्दुस्तान स्वतंत्र हो गया है और हम सबका यह उद्देश्य है कि हमारे देश के अन्दर गांव के रहने वाले ग्रामीणों के बच्चे भी उच्च शिक्षा पा सकें उस की पूरी-पूरी कोशिश हम सबको करनी चाहिये और यह तभी हो सकता है जब कि हमारे इतने बड़े प्रदेश के अन्दर हर जगह यूनीवर्सिटीज हो जायं ताकि वहां के गांवों के बच्चों को भी यूनीवर्सिटी शिक्षा पाने का सौभाग्य प्राप्त हो सके।

मैं तो कुमायूं के विश्वविद्यालय के लिये ही नहीं, मेरठ में भी एक यूनीवर्सिटी की स्थापना के लिये सरकार से कहूंगा कि उस पर विचार करे और जहां तक कि इन पर्वतीय प्रदेशों का सवाल है वहां के ट्रांसपोर्ट को देखते हुये, वहां की गरीबी को देखते हुये और वहां पर जो शिक्षा की प्रगति हुई है जो कि अध्यक्ष महोदय किसी से छिपी हुई नहीं है उसको देखते हुए यह नितान्त आवश्यकीय है कि वहां एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। वहां पर ८० फीसदी लोग आज पढ़े लिखे हैं लिखने पढ़ने से अध्यक्ष महोदय मेरा मतलब यह है कि प्राइमरी एजूकेशन मिडिल तक की शिक्षा बहुत ज्यादा तादाद में लोगों ने हासिल की है और करते हैं और हमारे पहाड़ों में कोई भी जिला चाहें अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, गढ़-वाल हो, टेहरी हो या देहरादून हो इन सब जिलों में हम यह देखेंगे कि बहुत से हमारे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल बहुत काफी तादाद में हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि शिक्षा की चाह वहां के लोगों को बहुत ज्यादा है और जब स्कूल खोलने का प्रश्न कभी किसी गांव में उत्पन्न होता है तो वहां के मर्द ही नहीं वहां की औरतें भी अगर दान का प्रश्न होता है तो दान देती हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि यदि सरकार की ओर से जो आज विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने की है उसमें कुछ भी हमको सहारा मिले तो पर्वतीय प्रदेश के सब लोग जिसमें देहरादून भी शामिल है यूनीवर्सिटी की स्थापना में पूरी-पूरी मदद करने को तैयार हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जब अंग्रेज लोग हिन्दुस्तान में थे तो आपने देखा होगा कि वहां की आबोहवा के कारण अपने बच्चों को पर्वतीय प्रदेशों में पढ़ाने के लिये बहुत से स्कूल खोल रक्खे थे। मंसूरी में इतने स्कूल हैं कि वहां के लड़कों से ही मंसूरी की चहलपहल रहती है। उन स्कूलों की बिल्डिंग्स नैनीताल में गवर्नमेंट हाउस से भी बड़ी हैं जैसे सेंट जोसफ़ की और प्लेंडर्स स्मिथ कालेज की। शिमला की भी यही हालत है। मंसूरी में भी यही हालत है। अंग्रेज लोगों के बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते थे। इसलिये कि शायद वे मैदानों की गरमी को बरदाश्त नहीं कर सकते थे और अच्छी शिक्षा नहीं पा सकते थे। इर्फेंट स्टेज ही ऐसी है कि अगर उस अवस्था में हमारे बच्चे तन्दुरुस्त हों, अच्छा पढ़ सकें, उनका आउटलुक ज्यादा अच्छा हो सके, इसकी कोशिश अंग्रेज लोग करते थे। वहां की आबोहवा अच्छी है, वहां एकांत है और मैं समझता हूं कि अगर वहां पर नैनीताल के अन्दर एक विश्वविद्यालय खुल जाय तो मुझे पूरा इस बात का विश्वास है कि हमारे प्रदेश के ही नहीं सारे हिन्दुस्तान के लोग जो अपने बच्चों को पहाड़ों पर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहते हों वे उनको वहां पर शिक्षा दिला सकेंगे।

मैं रीजनल बेसिस पर, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं चाहता हूं कोई टुकड़े-टुकड़े करके विश्वविद्यालय खोले जायं। पर जहां मांगें हैं वहां यह सचमुच चाहते हैं कि गांव के रहने वाले लोग विश्वविद्यालय से फायदा उठा सकें, गरीब लोग भी पढ़ सकें। तो मोटा अनाज खा करके जिस प्रकार आज अपनी छोटी शिक्षा को पाते हैं, प्राइमरी, मिडिल स्कूल की शिक्षा, तो वही लोग अध्यक्ष महोदय मोटा अनाज खा करके विश्वविद्यालय की शिक्षा पा सकते हैं। और यहां उन्हें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जबकि वहां के लड़के यहां की गरमी को बरदाश्त करते हैं और आकर पढ़ते हैं। और यहां पर वही लोग आ सकते हैं जिनके पास पैसा है, वही लोग अपने बच्चों को पैसा दे करके शिक्षा दे सकते हैं। सिर्फ कुमायूं में विश्वविद्यालय हो जाय उससे ही कुछ नहीं हो जायगा बल्कि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे विद्यार्थी जो गांवों से आते हैं जिनके पास फीस के लिये पैसा नहीं है उनकी फीस का भी इन्तजाम करना होगा, उन्हें हर तरह से आर्थिक मदद देने की व्यवस्था नियमों में रखनी पड़ेगी। सिर्फ विश्वविद्यालय खुल जाने से ही काम नहीं चलेगा। आज भी नैनीताल में आपने देखा बिड़ला साहब ने एक कालेज खोला है उसमें बड़े लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं, उसमें दो सौ, ढाई सौ रुपये महीने का खर्च प्रति विद्यार्थी पर पड़ता है। उससे भी हमारे बच्चे फायदा नहीं उठा सकते। इसी तरह से सेंट जोजेफ कालेज है, फ्लेंडर्स स्मिथ कालेज है जो अब बिड़ला कालेज के नाम से है, इन सब में एक विद्यार्थी को शिक्षा के लिये बहुत ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है। तो मेरा कहना है कि अगर वहां विश्वविद्यालय कायम किया जाय जैसा मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है, तो पर्वतों से ही नहीं बल्कि और जगहों के गरीब बच्चे कम खा करके, और उनको रियायत दे करके, अपनी शिक्षा को हासिल कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय मैं क्या कहूं मुझे बड़ी भारी खुशी है माननीय शिव नारायण जी ने इस बिल का हार्दिक समर्थन किया और हमें तो बड़ी हमदर्दी उनके साथ है, क्या करें तीन चार दफा इम्तहान दिया लेकिन बदकिस्मती से गड़बड़ हो गया। लेकिन मैं समझता हूं कुमायूं में विश्वविद्यालय अगर खुल जाय तो वहां वह पास हो जायंगे।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—इतना खराब स्टैन्डर्ड उसका होगा ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—स्टैन्डर्ड का सवाल नहीं। बल्कि लखनऊ में और मैदान में इतनी गर्मी हो जाती है जिसकी वजह से परेशान हो जाते हैं। लेकिन पहाड़ों में रह कर शांतिपूर्ण वातावरण में रह करके पढ़ेंगे तो अवश्य उस विश्वविद्यालय से पास हो जायंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यहां के कुछ लोग यह चाहते हैं कि वह पास न हों। हमारे यहां ऐसा नहीं होगा। हम लोग माननीय शिवनारायण जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारा

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

समर्थन किया । यह तो मानी हुई बात है कि पहाड़ों पर शुद्ध वातावरण रहता है और वहां अध्ययन काफी अच्छा हो सकता है। हमारे ऋषि मुनि लोग सब अपने ज्ञान के लिये हिमालय में जाते थे और हमारे प्रधान मंत्री भी पर्वतीय प्रदेशों से आये हुये हैं और पं० गोविन्द वल्लभ पंत जी भी वहीं से आये हुये हैं। हर किस्म के लोग यहां पर होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। आखिर हमारे प्रदेश के अन्दर बड़ी बड़ी विभूतियां भी हुई हैं। और अध्यक्ष महोदय सवा दो बजे जो आपकी जगह बैठते हैं वह भी हमारे पर्वतीय प्रदेशों से आये हुये हैं। ज्यादातर जो बैठते हैं वह भी उसी प्रदेश के हैं। मैं यह नहीं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि सारी विद्वता हम ही लोगों में भरी हुई है। हम लोग तो इसलिये पढ़ पाये कि हमारे पिता एक स्कूल के मास्टर थे।

श्री अध्यक्ष—कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहाड़ों पर यूनिवर्सिटी नहीं है इसीलिये वहां ऐसे विद्वान निकलते हैं, और यदि वहां होती तो विद्वान न निकलते ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर हमारे यहां यूनिवर्सिटी होती तो हमारे यहां बहुत से पं० जवाहरलाल नेहरू और पं० गोविन्द वल्लभ पंत पैदा होते। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वहां कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हम तो पढ़ पाये हैं, मैं ही क्या और भी बहुत से हैं, वह केवल इसलिये पढ़ पाये कि जैसे मेरे पिता स्कूल के मास्टर थे और स्कूल के मास्टरों को यह शौक होता है कि अपने बच्चों को पढ़ावें, उनको मौका होता है कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इसलिये जिनको आप पढ़ा लिखा वहां पायेंगे वह ऐसे होंगे ज्यादातर, जिनके माता पिता स्कूल मास्टर होंगे या सर्विसेज में होंगे। पर जिस तरह से हमारे बच्चे हाई स्कूल और इन्टरमिडिएट को पास करने के लिये गांव से शहर में आते हैं, अपने घरों से मोटा अन्न लाकर अपनी शिक्षा पाते हैं, अगर विश्वविद्यालय नैनीताल में खोल दिया जाय तो मैं समझता हूं कि बच्चों की तन्दुरुस्ती भी अच्छी होगी और विद्या का अध्ययन भी अच्छी तरह से कर सकेंगे

एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि नैनीताल में विश्वविद्यालय हो जाने से मेडिकल कालिज हमारे यहां नहीं खुल पायेगा। उसका कारण यह है कि हमारे यहां बीमारियां बहुत कम होती हैं। आखिर मेडिकल कालिज खोलने के लिए बीमारियों के केसेज भी तो होने चाहियें। तो शायद इस किस्म के मेडिकल कालेज तो न खुल सकें, लेकिन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री के काम के लिये स्कूल कालिज खोले जा सकते हैं, प्रिसीजन का वर्क हो सकता है, जिस प्रकार स्विटजरलैन्ड में प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का काम हो सकता है। यह हमारा क्षेत्र ऐसा है जहां पर टेक्नीकल कालिज खोले जा सकते हैं जो विश्वविद्यालय के साथ अफिलिएट कर दिये जायं। तो मैं समझता हूं कि इससे अधिक कोई उपयुक्त स्थान नहीं होगा। आज मुझे दुख है कि हमारे गढ़वाल में कोई डिग्री कालेज नहीं है कि गढ़वाल के लड़के ग्रेजुएट हो सकें। टेहरी के अन्दर डिग्री कालिज नहीं है कि जहां लड़के डिग्री पा सकें। हां, नैनीताल में है और अल्मोड़ा में भी छोटा सा है। पर अध्यक्ष महोदय विश्वविद्यालय के खुल जाने से उसका वाइडर स्कोप हो जायेगा और जैसा कि माननीय नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि रुद्रपुर का ऐग्रीकल्चर कालिज है जो वहां खुल गया है वह भी उस विश्वविद्यालय से अफिलिएट हो सकता है और अन्य इसी प्रकार की संस्थायें अफिलिएट की जा सकती हैं और वहां हमारे प्रदेश के, हिन्दुस्तान के लोग एक कूल ऐटमास्फेयर में जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हों उन्हें यह मौका मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं और क्या कह सकता हूं। हम लोगों को शिक्षा की इतनी चाह है, कोई इसको यह न समझे कि मैं कोई पोलिटिकल मूव कर रहा हूं शायद शिवनारायण जी को यह शक हो गया था कि राजनैतिक चाल है, ऐसी बात कोई नहीं है। हमारी बहुत दिनों से यह चाहना है कि हमारे बच्चे पढ़ें। घर से भी हम पैसा लगा सकते हैं, सिर्फ सरकार की सहायता

चाहिये। यदि इसको कोई इलेक्शन स्टन्ट या पोलिटिकल मूव न समझा जाय तो मैं कहूंगा कि जो हमारे से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना में सहायता हो सकेगी वह हम करेंगे और मुझे इस बात का गर्व रहेगा कि इस कुमायूं विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये इस सदन के सामने जहां सभी सदस्य हैं, मैं उनको अपनी तरफ से विश्वास दिला सकता हूं कि अगर इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाय तो मैं अपनी सारी जायदाद इस यूनिवर्सिटी की स्थापना में, जो कुछ भी मेरे पास प्रापर्टी है, वह इसमें दे सकता हूं और मैं ही नहीं, मेरे घर वाले सब इसमें सहमत हो जायेंगे कि अगर हमारे गांवों के तमाम विद्यार्थी और गरीब विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिल सके तो सब कुछ इसमें दे दिया जाय।

मेरी ही बात नहीं, सारी जनता इसमें साथ देने के लिये तैयार होगी और जो मूव आज नारायण दत्त तिवारी जी ने किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। इसमें कोई पोलिटिकल मूव या राजनैतिक बात नहीं है। हमारे यहां के हरगोविन्द पंत जी हैं, और भी माननीय सदस्य हैं जो बोले हैं और मुझे आशा है कि और भी हमारे माननीय सदस्य हैं वह भी अपने हृदय से इसका स्वागत करेंगे। यही नहीं कि स्वागत करेंगे बल्कि अगर रुपये पैसे की सहायता की जरूरत हुई तो हम जितने विधान सभा के सदस्य हैं, जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, स्टेट के बाहर हैं अगर सब मिलजुल कर इस काम के लिये रुपया पैसा इकट्ठा करें तो कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। चाहे नैनीताल में विश्वविद्यालय खोला जाय, अच्छी जगह और भी हो या फिर रानीखेत एक ऐसी जगह है कि जहां अंग्रेजों ने ११ करोड़ रुपया उस वक्त खर्च किया और उसे बसाया है, सुन्दर बनाया है, हिमालय उसके सामने पड़ रहा है। एक सुन्दर वातावरण में ऐसे कालेज खोले जा सकते हैं जिनमें हमारे विद्यार्थी पढ़ सकते हैं और वहां पर टेक्नीकल सब्जेक्ट्स जैसे ऐग्रीकल्चर, हार्टीकल्चर आदि की शिक्षा भी दी जा सकती है। यहां पर मुख्य मंत्री जी भी हैं, शिक्षा मंत्री जी भी हैं, यदि उनका हमारे साथ सहयोग हुआ, उनका आशीर्वाद हुआ तो कुमायूं में यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जायगी और इसलिये नहीं कि रीजनल बेसिस पर बल्कि इसलिये कि हमारे बच्चे बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो प्रस्ताव नारायण जी ने रखा है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी उसको हम हमेशा देने के लिये तैयार हैं।

*श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नारायणदत्त जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बिल इस सदन में प्रस्तुत किया है एक नई यूनिवर्सिटी कुमायूं में खोले जाने के लिये। मैं इसका समर्थन इसलिये नहीं करता हूं और उन बुनियादों पर नहीं करना चाहता हूं जो आरगूमेंट्स इस सदन में उपस्थित किये गये हैं, खासकर के हमारे पहाड़ी इलाके के एम० एल० एज० की तरफ से। मैं जरूरत नहीं समझता हूं कि गांव के विद्यार्थियों के लिये एक यूनिवर्सिटी पहाड़ों में खोली जाय। इसमें मैं कोई तथ्य नहीं समझता हूं। लेकिन मैं भारतवर्ष के दृष्टिकोण से, और संसार के दृष्टिकोण से नितांत आवश्यक समझता हूं कि इस हिमालय की गोद में, जहां प्रस्थान है इंसान की निगाह आखिरी समय पर जब कि वह इस दुनिया से प्रस्थान करना चाहता है, उसकी ओर उसका कदम उठता है। मैं चाहता हूं कि जहां प्रकृति ने अपने नियमों को चारों ओर इस प्रकार छाया हुआ है कि उनका तारतम्य इंसान की जिन्दगी से होना नितान्त आवश्यक है। अगर वह चाहता है कि उसके शरीर का विकास हो, उसकी बुद्धि का विकास हो और उसकी आत्मा का विकास हो, जब तक वह इन चारों ओर छाये हुये इन प्रकृति के नियमों के साथ हिलमिल कर एक साथ सहयोग और प्रेम से आगे नहीं चलता है तब तक सच बात तो यह है कि इंसानियत का विकास संसार में नहीं हो सकता है।

अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के अन्दर मानवता आगे बढ़े, दुनिया विकास की ओर कदम बढ़ाये तो यह नितान्त आवश्यक है कि हमारी यूनिवर्सिटी बड़े-बड़े शहरों और तिजारत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

के केंद्रों में न होकर जहां प्रकृति की सुन्दरता चारों ओर छाई हुई है और शांति, एकान्त और सेलीट्यूड जहां पैर है, वहां पर हों तो वहां पर प्रकृति के नियमों से इंसान का गहरा संबंध होकर वहां ईश्वरीय नियमों के अधीन मानव का विकास हो सकता है।

मैं समझता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी का जो प्रस्ताव है, मैं नहीं चाहता हूं कि जिस प्रकार की यूनिवर्सिटीज आज हमारे उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में फंक्शन कर रही हैं और जो प्रोडक्शन वे कर रही हैं वही प्रोडक्शन यदि कुमायूं यूनिवर्सिटी का होगा तो मैं इस राय का हूं कि हमारे यहां किसी भी यूनिवर्सिटी के खोलने की गुंजाइश नहीं रह गई है। यह तो हम फिजूल रुपया बरबाद करने में लगा रहे हैं। जब तक हमने इंसान के बच्चे को इंसान नहीं बनाया, जो रोटी के टुकड़े के लिये अपने को गिरा देता है, अपने ईमान और धर्म को रोटी के टुकड़े के लिये बेच देता है, जो अपने मुल्क की इज्जत को बेच देता है, मैं ऐसी शिक्षा नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी वह यूनिवर्सिटी हो जो हिमालय के उच्च चट्टानों की तरह उच्च चरित्र, दृढ़ चरित्र के आदमी निकालें। हमारे यहां के नवयुवक और नवयुवतियों ने हिमालय की उच्च शिखरों को पार करके दुनिया के अन्दर शांति स्थापित करने के लिये दुनिया के कोने-कोने में जाकर अपनी जिन्दगी को व्यतीत किया। मानवता का संदेश लेकर दुनिया को प्रेम के सूत्र में बांधने के लिये जिन्होंने बड़े-बड़े दुख सहे और जिन्होंने बड़ी-बड़ी कुर्बानियां त्याग और तपस्या की है। मैं चाहता हूं कि उस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास उस हिमालय की गोद में अवश्य हो। इसलिये ही नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि चीन जैसा बड़ा भारी देश जिसमें ६० करोड़ जनता निवास करती है, चीन जो कि हमारे भारतवर्ष का पड़ोसी राष्ट्र है, जहां कि हिमालय के उस ओर चीन और इस ओर भारतवर्ष जैसे विस्तृत देश एशिया के ऊपर छाये हुये हों उन देशों में आपस में सांस्कृतिक संबंध होना नितान्त आवश्यक है। अगर भविष्य में हम दुनिया के अन्दर जीना चाहते हैं, अगर हम संसार के अन्दर सम्मान और आदर के साथ रहना चाहते हैं तो जरूरी है कि भारतवर्ष और चीन का आपस में बहुत गहरा सांस्कृतिक संबंध हो। चीन एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता और संस्कृति भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर खड़ी है। वह देश उस इज्म को फालो करता है जिसको भारतवर्ष ने जन्म दिया था। वे लोग उस शांति के पाठ को आज भी मानते हैं और उन्होंने अपने देश को संगठित करने के लिये बड़ा त्याग और बड़ी तपस्या की है।

हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज आज भारतवर्ष के अन्दर हैं वे भारतवर्ष की बड़ी-बड़ी जरूरतों को आज पूरा नहीं कर पाती हैं। वे यूनिवर्सिटीज आज बंगाली, मद्रासी और पंजाबी भावना पैदा करती हैं। वे भारतवर्ष के बुद्धिमान असाम्प्रदायिक नवयुवकों को पैदा नहीं करतीं। आज हम अपने प्राविंशिलिज्म में, अपने लोकलिज्म में बंटे हुये हैं। भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता के लिये यह जरूरी है कि हमारी एक इस प्रकार की यूनिवर्सिटी हो। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ प्रार्थना करूंगा, इसलिये नहीं कि हम पहाड़ी गरीब हैं, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि इसलिये कि हमें देश के अन्दर चरित्र के उन स्टोन पिलर्स को पैदा करना है, हमें उस प्रकार के दिमागों को उत्पन्न करना है जिस प्रकार हमारे पुराने ऋषि और महर्षियों ने उस हिमालय की कन्दराओं में एक लम्बे अर्से तक त्याग और तपस्या करके संसार को एक सभ्यता का दान दिया। इन्सान मोटा और तगड़ा हो सकता है। उसका दिमाग तगड़ा और तन्दुरुस्त हो सकता है। लेकिन अगर उसका चरित्र खोखला है तो वह इंसान उस पेड़ की तरह है जिसका तना तो बहुत मोटा है लेकिन अन्दर से बिलकुल खोखला है और हवा के एक झोंके के सामने टिक नहीं सकता। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे देश में चरित्रवान् नवयुवक हों। जिस इंसान ने अपना चरित्र खो दिया वह इंसान इंसान कहलाने के काबिल नहीं। हमें आज आत्मवाद की ओर भी आगे कदम बढ़ाना है। हमारा ही देश था जिसने आत्मवाद की पताका को फहराया। लेकिन पश्चिम के शक्तिशाली देशों ने उस आत्मवाद को ढक लिया और हमने अपनी पोथियों तक ही उसे महदूद रखा। हमने अपने चरित्र में उसको प्रैक्टिस नहीं किया। इसीलिये

हमारा देश गुलाम हुआ। परन्तु आज मौका है। आज अगर स्वतंत्र देश के नागरिक इस बात को महसूस करते हैं, अपनी कमियों को अगर आज भी हम महसूस करते हैं, कल का भूला हुआ अगर आज भी ठीक रास्ते पर आ जाय तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि हमें छोटी-छोटी बातों में, पार्टी पालिटिक्स में, तुच्छ मांगों को पाने के लिये नहीं बल्कि अपने मुल्क की उन जरूरियात को देश को गहराई में ले जाने वाली जरूरियात को पूरा करना चाहिये।

एक बात यहां मैं तजुर्बे की बताना चाहता हूं जिससे लोग यह न समझें कि चन्द्र सिंह रावत यहां सदन में झूठे स्टेटमेंट कर रहा है और लोग खुद हिमालय में जाकर यात्रा करके उसकी सच्चाई की परीक्षा कर सकते हैं कि जब आप हायर आल्टीट्यूड पर जाते हैं तो आपका दिमाग भी विस्तृत हो जाता है। आप ऊंची-ऊंची दैवी शक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, उनके दिमागों की प्रेरणा छोटे-छोटे झंझटों से मुक्त होने में लगती है और आपके दिमाग ऊंची ऊंची बातों पर विचार करने लगते हैं। इंसान को बरबाद करने की कोई भावना पैदा नहीं होती। वहां समाज के विभाजन, मुल्क के टुकड़े-टुकड़े करने की बात नहीं पैदा हो सकती, वहां इंसान के बच्चे का शोषण करने की कोई भावना उस वातावरण में नहीं पैदा हुआ करती। जहां दैवी शक्तियों का विकास होता है, वहां इंसान प्रकाश की ओर मुखातिब होकर आगे कदम बढ़ाना चाहता है और उसके हृदय में एक ही प्रेरणा होती रही है कि इंसान के बच्चे को इंसान की हैसियत से दुनिया की ताकतों के साथ बैठाना चाहिये। इसलिये मैं उस भावना को दृढ शिला पर आधारित रखने के लिये कहता हूं कि वहां एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी खुले और वहां उस यूनिवर्सिटी में विश्व के कोने-कोने से विद्यार्थी आकर भारतवर्ष के उस तत्वज्ञान को प्राप्त करें जो किसी जमाने में हमारे पुरुषों ने संसार को दिया और जिसका एक रिजरवायर हिमालय में बनाया था और उस अमृत को दुनियां में चारों ओर बिखेरा था। इतनी बात कह कर मैं इस यूनिवर्सिटी बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बलवीरसिंह (जिला मेरठ)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। मैं राय ले रहा हूं आप विरोध कर दीजिये।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को और आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुछ और माननीय सदस्यों को इस विधेयक पर अपना भाषण व्यक्त करने का अवसर मिला। यूं तो यह बात सही है कि गैरसरकारी दिनों पर भी सरकार को अधिकार नहीं होना चाहिये, लेकिन मैं उस भावना का थोड़ा सा विरोधी हूं और मैं ऐसा समझता हूं कि इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी को थोड़ी उदारता से काम लेना चाहिये था कि जिस समय कुछ माननीय सदस्यों ने उनसे अनुरोध किया कि यह गैरसरकारी दिन है और इसमें कुछ और बोलने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष—वह जबान से नहीं कहना चाहते थे, किन्तु क्रियाशील वह थे। उन्होंने क्रिया में करके दिखा दिया।

श्री गेंदासिंह—खैर, मैं उस बात को छोड़ देता हूं। मैं माननीय नारायणदत्त जी के विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं। यदि सारे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

और उच्च शिक्षा की कोई सुनियोजित योजना इस सदन के सामने होती तो उस में फिर इस बात की गुन्जाइश होती कि प्रायरिटी किस को दी जाय। कुमायूं को प्रायरिटी दी जाय या मेरठ को दी जाय। परन्तु हमारे सामने प्रश्न है कुमायूं का। मैं तो अदब के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि राजनीति की दुहाई देना इस विधेयक के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। राजनीति को इतना अपवित्र समझना मैं अपना धर्म नहीं समझता। मैं समझता हूं कि राजनीति बहुत पवित्र चीज है और उस राजनीति में अपने निर्वाचकों की जो जनहित की भावना है, अपने निर्वाचकों का सही प्रतिनिधित्व करना, अपने निर्वाचकों के हित की बात सोचना, अपने निर्वाचकों को ऊंचे उठाना अगर इस में राजनीति भी हो तो होनी चाहिये। राजनीति को मैं बुरी चीज नहीं समझता। अगर नारायणदत्त जी ने राजनैतिक उद्देश्य ही समझा हो और यह समझा हो कि इस बात को करके कुमायूं के समझदार लोगों का या उनका जो सभ्य लोग हैं, समझ-बूझ के लोग हैं समर्थन उन्हें प्राप्त होगा तो मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत उचित काम किया और इसमें उनका अनुकरण अगर और सदस्य भी करें तो मैं उसको बुरा नहीं मानूंगा और मैं यह आग्रह भी करूंगा कि दूसरे लोग भी उसको बुरा न मानें। आखिर हम किस लिये यहां आये हैं। हम इसलिये आये हैं कि हम को जिन लोगों ने भेजा है उनकी किसी प्रकार से अच्छी सेवा हम कर सकते हैं उसके लिये हम इस विधान सभा का और सरकार का उपयोग करें। तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि नारायणदत्त जी ने इस प्रकार का विधेयक ला कर देवरिया वालों को, मेरठ वालों को, झांसी वालों को और चाहे जिस तरफ के लोग हों उनको एक रास्ता दिखलाया, उनकी आंख खोली और एक तरह से उन्होंने यह संकेत किया कि ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व अपने निर्वाचन क्षेत्र का सभी को करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि क्या गोरखपुर के बाद देवरिया भी चाहते हैं।

श्री गेंदासिंह—जन संख्या के कारण मैंने कहा। गोरखपुर में यूनिवर्सिटी बनने के लिये तो मैं आभारी हूं और कहता हूं कि गोरखपुर में यूनिवर्सिटी हो जाने के बाद देवरिया में यूनिवर्सिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं नारायणदत्त जी को इसके लिये बधाई देता हूं। मैंने शुरू में ही यह कहा कि हमारे सामने कोई योजना इस समय नहीं है कि हम इसमें प्राथमिकता कुमायूं को दें या मेरठ को। प्रश्न केवल इस समय कुमायूं का है। जो नारायणदत्त तिवारी जी का विधेयक है उसमें स्वयं उन्होंने बड़ी समझदारी का काम किया है। उन्होंने कुमायूं के समझदार लोगों पर यह छोड़ दिया कि वे उस विधेयक पर अपना मत व्यक्त करें। अगले तीन महीने तक वह विधेयक देश में घूमेगा और सारे देश के लोगों का मत जानने का सरकार को अवसर प्राप्त होगा। तो यह भी नारायणदत्त जी की जिद नहीं है कि उनका जो विधेयक है उस विधेयक पर तुरन्त विचार कर लिया जाय और उसे तुरन्त स्वीकार कर लिया जाय। बल्कि उनका कहना यह है कि यदि कुमायूं यूनिवर्सिटी के विरुद्ध सारे देश की ऐसी भावना हो और सारे देश का यह मत हो कि कुमायूं में यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिये तो इन तीन महीनों के बाद यह बात हो सकती है कि नारायणदत्त तिवारी जी को भी इसकी मालूमात हों और देश को मालूमात हो, और सरकार को मालूमात हों...

श्री अध्यक्ष—मैं उसे अपने प्रदेश में ही घुमाऊंगा, सारे देश में नहीं घुमाऊंगा।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं कुमायूं के लोगों पर भी भरोसा रखता हूं। कुमायूं के लोग सारे देश की दृष्टि से देखेंगे और वह उस पर अपना मत व्यक्त करेंगे। फिर मैं समझता हूं कि सरकार को कोई परेशानी इससे होने वाली नहीं है और न सारे देश के लिये कोई परेशानी की बात होगी। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि

सरकार और माननीय सदन नारायणदत्त जी तिवारी के इस विधेयक की और उनकी इस भावना की कदर करे और जिस प्रकार से वह चाहते हैं उसी प्रकार से उसको स्वीकार कर लें। फिर हमें यह अवसर मिलेगा कि हम कुमायूं के अतिरिक्त जिन स्थानों पर यूनिवर्सिटी की आवश्यकता समझते हैं उनके बारे में भी कुछ सोचें और हमारी इस आदरणीय विधान सभा को उस पर विचार करने का अख्तियार है और दूसरे भी माननीय सदस्यों को इस प्रकार के अधिकार से वंचित नहीं करेंगे। वह भी इस पर सदन का ध्यान दिला सकते हैं, परन्तु इस विधेयक के साथ उदारता का व्यवहार होना चाहिये। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस भावना का विरोध न करे और कुमायूं के लोगों के ऊपर सरकार ने ध्यान दिलाने का काम छोड़ दिया है कि कुमायूं के समझदार लोग इस विधेयक के सम्बन्ध में क्या मत रखते हैं। हमारा विश्वास है कि वह जो कुछ भी सलाह देंगे वह बहुत जिम्मेदारी के साथ देंगे जिससे देश का कल्याण होगा।

*श्री तुलाराम रावत (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक तिवारी जी के इस प्रस्ताव की भावना का प्रश्न है उसमें किसी के दो मत नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में यह भावना रहती है कि शिक्षा का उत्थान हो। हमारे प्रदेश में ही नहीं, बल्कि सारे देश में शिक्षा बढ़े। परन्तु शिक्षा के उत्थान के साथ-साथ हमको यह भी देखना है कि हमारे मीन्स क्या हैं। हमको यह देखना है कि हमारे सामने इस समय पंचवर्षीय योजना चल रही है। हमको बड़ी-बड़ी योजनाएं कार्यान्वित करनी हैं। इन योजनाओं में भी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये प्राविजन किया गया है, परन्तु यदि एक विश्वविद्यालय जैसा कि तिवारी जी का प्रस्ताव है कि कुमायूं में स्थापित किया जाय तो उससे अधिक बर्डन हमारे बजट पर आ जायगा, जिसका नतीजा यह होगा कि हमारे बड़े बड़े काम रुक जायेंगे। ऐसी परिस्थिति में इस समय यह कहना कि वहां पर विश्वविद्यालय खोल दिया जाय कोई उचित बात नहीं होगी। हम चाहते ह कि विश्वविद्यालय वहां ही नहीं, बल्कि प्रदश के जो पिछड़े हुये इलाके हैं, जहां पर विश्वविद्यालय नहीं हैं जहां पर पढ़ाने में अड़चन पड़ती है और जहां पर विद्यार्थी विश्वविद्यालय या कालेजों में भरती नहीं हो पाते हैं, वहां सब जगहों पर शिक्षा की ऊंची संस्था खुलनी चाहिये। परन्तु हमें अपने मीन्स को अवश्य देखना है।

हमारे मित्र माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि ३ महीने के लिये इसे जनमत के लिये घुमाया जाय और अगर जनता की राय हो तो वह विश्व-विद्यालय जरूर स्थापित हो। मान्यवर, मैं उनको और अपने माननीय मित्रों को बतलाना चाहता हूं कि अगर जनमत किसी कार्य के लिये कहे तो क्या वह वग़ैर मीन्स के हो सकता है, हमारी सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि हम इसे कर सकें। एक मोटी सी मिसाल है कि अगर हम एक घर को चला रहे हैं और घर के सब बच्चे, सब लोग चाहते हैं कि हर एक के पास साइकिल हो, सब के पास एक एक नौकर हो, तो क्या यह सम्भव हो सकता है? मालिक को सोचना पड़ता है कि हमारे पास क्या मीन्स हैं। पहाड़ी इलाकों के लोग अधिक ग़रीब हैं, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने की जिस व्यक्ति या विद्यार्थी में लगन है वह चाहे जिस स्थान पर हो, वहीं प्राप्त जरूर करेगा। क्या मैं उनकी इस विचारधारा से यह समझूं कि लखनऊ में चूंकि विश्वविद्यालय है इसलिये यहां के सब लोग ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या सब ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं? ऐसी बात नहीं हो सकती। जिसमें पढ़ने की लगन है वह चाहे एक धोती पहनकर या एक बार खाना खाकर गुजर करे, चाहे वह पहाड़ का रहने वाला हो या मैदान का, वह अवश्य पढ़ेगा। तो यह दलील कि अगर पहाड़ पर विश्वविद्यालय खोल दिया जाय तो शिक्षा का प्रसार अधिक होगा, ठीक नहीं है। नैनीताल में और कई जगहों पर डिग्री कालेजेज हैं, जिनमें उच्च शिक्षा दी जाती है। क्या वहां के विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं उन कालेजों में पढ़ कर उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तुलाराम रावत]

एक बात यह कही गई है कि पहाड़ी इलाका ऐसा है जहां अंग्रेजों ने स्कूल स्थापित किये। हर माननीय सदस्य को विदित है कि अंग्रेजों ने जो कुछ किया वह पहाड़ पर अपने लिये किया। वे मैदान की जलवायु से आकृष्ट नहीं होते थे इसलिये पहाड़ों पर स्कूल आदि खोले। तो पहाड़ की जलवायु में उन्होंने अपने को फिट करने के लिये ऐसा किया। यह हम भी चाहते हैं कि वहां विश्वविद्यालय खुले, लेकिन उसके लिये समय और साधन की आवश्यकता है।

यह भी कहा गया है कि पहाड़ी इलाके में बड़े-बड़े ऋषि-मुनि पैदा हुये हैं। ऐसी बात नहीं है। जहां तक मेरी अक्ल काम करती है, हमारे उच्चकोटि के दार्शनिक पुरुष ज्यादातर मैदानी इलाकों में हुये हैं। उदाहरणार्थ हमारे कबीर, तुलसी, सूर और यहां तक कि महात्मा बुद्ध जैसे लोगों का जन्म मैदानी इलाकों में ही हुआ। तो ऐसी बात कहना कि केवल वहां पर बुद्धिमान् और उच्च कोटि के पुरुष पैदा होते हैं, ठीक नहीं है। यह तो भाग्य का फेर है तथा अपना-अपना श्रम है। जो व्यक्ति श्रम करेगा वह आगे बढ़ेगा। हमारे माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या पहाड़ों में पैदा हुए? वे यहीं इलाहाबाद के रहने वाले हैं, काश्मीर खानदान के अवश्य हैं। पूरी हुकूमत को चलाने वाले पहाड़ों के रहने वाले ही नहीं हैं। काबुल में सभी घोड़े ही घोड़े हों, ऐसी बात नहीं है वहां गधे भी हैं। हम यहां भी ऐसा ही देखते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपको ऐसा कहना उचित नहीं है। इन शब्दों को आपको वापस लेना चाहिये।

श्री तुलाराम रावत—मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि हम यहां बैठे हुए हैं लेकिन हमारी नजर बाहर भी जा सकती है और हम कह सकते हैं कि काबुल में गधों की तरह पहाड़ों में भी लोग हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं माननीय सदस्यों से आपका कोई तात्पर्य नहीं है।

श्री तुलाराम रावत—जी नहीं, मैं किसी भी माननीय सदस्य के लिये नहीं कह रहा हूं।

तो ऐसी बात कहना मुनासिब न होगा। जब आपके सामने बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं, जब आप चाहते हैं कि आपका उत्थान हो, सामाजिक और आर्थिक दशा आपकी सुधरे, आपके भोजन कपड़े का प्रबन्ध हो।

श्री जगन्नाथमल्ल—प्वाइंट आफ आर्डर सर, जो लोग यहां पर मौजूद नहीं हैं, जो उसका जवाब नहीं दे सकते क्या उनके लिये कोई अपशब्द इस्तेमाल किया जा सकता है?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं उन्होंने किन्हीं व्यक्तियों के लिये ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। वे एक सिद्धान्त बता रहे थे कि लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। उसके लिये उन्होंने गदहा शब्द का प्रयोग किया। मैं समझता हूं ऐसे शब्द को प्रयोग करना चाहिये जिसमें किसी को बुरा न लगे।

श्री तुलाराम रावत—मान्यवर, मैं कह रहा था कि हमें पहले अपनी आर्थिक दशा को सुधारना है। हम अभी स्वतन्त्र हुए हैं, अपने देश और प्रदेश में हमें उत्थान के कई काम करने हैं। उसकी जिम्मेदारी भी केवल हमारी नहीं बल्कि केन्द्र की भी है। अगर हम किसी चीज को चाहते हैं और केन्द्र नहीं चाहता, दूसरे सूबों के लिये वह नहीं चाहता कि वे भी पिछड़े रहें और दूसरों की तरफ हाथ फैलायें। ऐसी हालत में सारे देश और प्रदेश को देख कर ही काम करना होता है। ऐसी बात नहीं है कि हम यह चाहते हों कि पहाड़ी रीजन में या कुमायूं में विश्वविद्यालय कायम न हो, परन्तु जहां तक माननीय नारायणदत्त

जी के विचारों का सम्बन्ध है वह ठीक ही है और हम चाहते हैं कि प्रत्येक जिले में एक-एक विश्वविद्यालय हो। लेकिन इस समय हमें अपने आर्थिक स्तर को उंचा करना है, अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा करने के लिये हमें अभी ऐसे कामों को स्थगित करना होगा। इसलिये मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे इस समय इसको वापिस ले लें और जब उचित समय आये और जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाय तो माननीय सदस्य की इच्छा को अवश्य पूर्ति होगी।

*श्री बलवन्तसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का संबंध है, मैं समझता हूं कि हर एक माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि अपने प्रान्त में शिक्षा की अच्छी से अच्छी संस्थायें बनायी जायं, किन्तु देखना हमें यह है कि आया आजकल की जो यूनिवर्सिटी शिक्षा है वह हमारे देश के लिये उपयुक्त है या नहीं है और उसे हमको आगे बढ़ाना चाहिये या नहीं। अपने प्रान्त में मैं कुछ यह देख रहा हूं कि हमारे यहां यूनिवर्सिटी बनाने की एक होड़ सी लगी हुई है। जिधर देखिये उधर से यूनिवर्सिटी बनाने का एक सुझाव आ जाता है और उसके लिये प्रयत्न किया जाता है। अभी थोड़े दिन हुए हमारे यहां गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनी और अभी मांग की जा रही है मेरठ में यूनिवर्सिटी बनाने की और मेरे भाई श्री नारायण दत्त जी ने तो कुमायूं यूनिवर्सिटी के लिये एक बिल ही सदन के सामने ला दिया।

देखना यह है कि जो इस समय की यूनिवर्सिटी की शिक्षा है आया वह देश के लिये लाभकारी है या नहीं है। जब आप यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं तो पहले आपको यह तो देखना ही पड़ेगा कि जो यूनिवर्सिटीज इस समय अपने प्रदेश में स्थापित हैं वे यूनिवर्सिटीज इस देश और प्रदेश के लिये लाभकारी हो रही हैं या नहीं। मैं समझता हूं कि उनसे हमारे देश को कोई विशेष लाभ नहीं है। जब हम इस बात को अच्छी प्रकार से सोच लें और इस बात को देख लें कि यूनिवर्सिटी शिक्षा को आगे बढ़ाना है या नहीं, तभी इस ओर कदम बढ़ाना चाहिये। क्योंकि आपके सामने कई यूनिवर्सिटी कमीशन बने, उनकी रिपोर्ट आपने सामने आयी। मैंने यह देखा कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा जितनी प्रदेश के लिये और देश के लिये उपयोगी हो सकती थी उतनी उपयोगी नहीं है। हम रात दिन देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज से जो हमारे विद्यार्थी निकलते हैं वे एक प्रकार से सोसाइटी के विरुद्ध रेबेल होकर निकलते हैं और सोसाइटी पर एक बोझ और भार स्वरूप हो जाते हैं। सोसाइटी के लिये जितने अच्छे नागरिक बनने चाहिये उतने अच्छे नागरिक वे नहीं बन पा रहे हैं। तो क्या आपका यह इरादा है कि यूनिवर्सिटीज अपने देश में विकृत नागरिक पैदा करें? मैं तो यह कह सकता हूं कि मेरे प्रदेश में और मैं तो समझता हूं कि तमाम देश में इस बात की आवश्यकता है कि हमारे यहां की जो शिक्षा पद्धति है उसमें पर्याप्त मात्रा में बदलाव करना चाहिये और हमारी शिक्षा ऐसे ढंग की होनी चाहिये, जिससे हमारे बच्चे अच्छे और सुन्दर नागरिक बन कर निकलें। आप यूनिवर्सिटी तो चाहते हैं लेकिन क्या आपने पहले अपने यहां प्राइमरी शिक्षा का समुचित रूप से प्रबन्ध कर लिया? क्या आपने अपने यहां सेकेंडरी एजुकेशन का अच्छे प्रकार से प्रबन्ध कर लिया? एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम लोग बड़े गरीब हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि वे गरीब पहाड़ी जो आज अपने हाथ से काम करने के लिये तैयार हैं और वे अपनी रोजी भी कमाते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वे पहाड़ी भाई यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करें और अपने हाथ से काम करने में नफरत करें जैसे कि आजकल के यूनिवर्सिटी से निकले हुए विद्यार्थी हाथ से काम करने में नफरत करते हैं? और इस तरह से उनकी गरीबी और भी वीभत्स मात्रा में बढ़ जाय? मैं तो समझता हूं कि कोई भी समझदार आदमी इस बात की तरफ नहीं जायगा कि जो कमी आज हमारे यूनिवर्सिटीज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवन्तसिंह]

में मौजूद है उसकी तरफ और चला जाय। मैं तो समझता हूं कि सभी समझदार आदमी जो पहाड़ों के हैं और कुमायूं प्रान्त के हैं वे इस बात को सोचेंगे कि किस प्रकार से हमारे कुमायूं प्रान्त की गरीबी दूर हो सकेगी। मैं समझता हूं कि उसका बेहतर से बेहतर इलाज यह हो सकता है कि वहां बजाय यूनिवर्सिटी बनाने के, जो रुपया यूनिवर्सिटी में खर्च होगा उसके बजाय वहां यातायात के अच्छे साधन बनाने में खर्च किया जाय। वहां आप छोटे-छोटे कल-कारखाने लगाइये जिस प्रकार से कि कल-कारखाने स्वीटजरलैण्ड वगैरह में हैं, जिससे वहां के लोगों की गरीबी दूर हो और वहां के लोग थोड़ा बहुत अपने लिये पैसे कमा सकें जिससे वे लोग अच्छे नागरिक बन सकें। अभी आपने देखा कि हमारे उपाध्याय जी ने बतलाया कि वहां पर कालेजेज की कमी नहीं है। मसूरी में बहुत से कालेज हैं। आपके नैनीताल में भी बहुत से कालेजेज हैं लेकिन हम देखते हैं कि वहां वह कालेज तो हैं पर उन कालेजेज से वहां के लोगों को इतना लाभ नहीं है जितना कि श्री चन्द्रसिंह जी ने अभी बताया, वहां की समस्या कालेजेज की नहीं है बल्कि वह यह है कि उनके पास कालेजेज में पढ़ने के साधन नहीं हैं। मैं तो इस बात का स्वागत करूंगा कि जो हमारे पहाड़ी प्रान्त के गरीब बच्चे हों उनके लिए हम इस बात की कोशिश करें कि उनको पढ़ने के लिए वे जहां भी जायं वजीफा आदि दिया जाय बजाय इसके कि कई लाख रुपया हम अपने प्रदेश का इस विश्वविद्यालय में लगा दें। अगर इस तरह से कुछ लाख रुपये की एक निधि बना दी जाय और उससे वहां के गरीब बच्चों को वजीफे दिये जायं तो यह सुझाव वहां के गरीब लोगों को कहीं ज्यादा लाभदायक होगा। हम समझदार आदमी हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम अपने पहाड़ी इलाके के भाइयों का लाभ कैसे कर सकते हैं, हम किसी होड़ में आकर न बहें, बल्कि जैसा सुझाव श्री चन्द्रसिंह जी ने दिया कि हमारे पहाड़ों में ऐसे स्थान है कि जहां पर बैठ कर हम अच्छे और उच्च आध्यात्मिक विचारों का सृजन कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के साधन प्रकृति ने और कहीं नहीं पैदा किये हैं।

मैं जर्मनी की बात बताना चाहता हूं कि हिटलर के जमाने में वहां ऐसा प्रबन्ध किया गया और ऐसे स्थान नियत किये गये कि जहां पर विद्यार्थी जायं और वहां जाकर वे कुछ दिनों ठहरें, उनके लिए सस्ते से सस्ता ठहरने और खाने-पीने का प्रबन्ध किया गया था और वहां वह स्वास्थ्य लाभ करते थे। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करना चाहें उनके लिए वहां ऐसी लाइब्रेरीज का इन्तजाम हो और वहां वह उच्च अध्ययन द्वारा आत्मिक लाभ कर सकें, उनके खाने-पीने का इन्तजाम हो, पहाड़ों में खाने-पीने की बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन अगर कोई वहां जाकर आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है तो पर्याप्त मात्रा में उसे वहां भोजन आदि नहीं मिल पाता, मैं सुझाव दूंगा कि वहां इस प्रकार के सदन हों, पुस्तकालय हों और गवर्नमेंट की ओर से कुछ भोजन आदि का भी इन्तजाम हो तो जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं उनको बहुत सुविधा हो सकती है। तब आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं और स्वास्थ्य लाभ करना चाहते हैं उनको बहुत आसानी होगी। पहाड़ ऐसा स्थान है जहां पर प्रकृति की गोद में रहकर मनुष्य को भगवान् की याद आती है और मनुष्य को वहां आध्यात्मिक लाभ की एक प्रेरणा मिलती है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आप अपने को जरा विधेयक में सीमित रखें, ऐसे सुझाव तो आप बाद को दे सकते हैं।

श्री बलवन्तसिंह—मुझे खेद है कि कुछ विषयान्तर हो गया लेकिन मैं समझता हूं कि यह जो मौजूदा यूनिवर्सिटी का बिल है जिसको कि माननीय नारायणदत्त जी ने पेश किया है उसकी आवश्यकता नहीं है और मैं उसका विरोध करता हूं, यह समय के अनुकूल नहीं है।

*श्री त्रिलोकीनाथ कौल (जिला बहराइच)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए हाजिर हुआ हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस प्रस्ताव पर काफी रोशनी डाली है, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है मगर मैं अपने ख्यालात जाहिर करने के लिये हाजिर हुआ हूं। नैनीताल में कुमायूं यूनिवर्सिटी खोले जाने का समर्थन करने की सब से बड़ी मेरी जो वजह है वह यह है कि नैनीताल एक ऐसी जगह है कि जहां बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा रहता है। वहां की आबोहवा और वहां का मौसम यह सब सेहत के लिये जरूरी है। हमारे बच्चों की सेहत पर जो ज्यादा पढ़ने वाले हैं जाहिर है कि असर कैसा खराब होता है। ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि बचपन से बुढ़ापा उनका शुरू हो जाता है। जवानी उनको देखने को नसीब नहीं होती। इस नुक्तेनजर से न सिर्फ कुमायूं और पहाड़ के रहने वालों के लिये, बल्कि कुल सूबे और कुल देश के लिये वहां यूनिवर्सिटी कायम हो जाने से फायदा होगा। मेरे भी दो लड़के वहां पढ़ते हैं। मैं देखता हूं कि जो सेहत पर उनके असर हुआ है वह काबिले तारीफ है। मुझे मालूम है कि वहां के स्कूलों में नैनीताल के लड़के कम पढ़ते हैं और कलकत्ता, बम्बई, बिहार और मद्रास के लड़के अधिक पढ़ते हैं और उनके वालदेन की मंशा यही होती है कि उनके स्वास्थ्य को फायदा पहुंचे। तो इस नुक्तेनजर से नैनीताल में एक यूनिवर्सिटी कायम होना कुल हिन्दुस्तान और कुल यूनिवर्सिटी के लिये मुफीद होगा।

एक साहब ने इस बात पर जोर दिया कि गवर्नमेंट को अपने पैसे को देखना है और हर योजना की ओर, हर सीगे की ओर गवर्नमेंट को देखना है कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है। यह बात ठीक है, लेकिन आपकी पंचवर्षीय योजना में बहुत कसीर रकम ऐसी है जो तालीम के लिये रख दी गई है और उस तालीम की योजना में यूनिवर्सिटी कायम करना भी है और उसके लिहाज से मेरे नजदीक जो संकल्प इस हाउस के सामने है यह निहायत मुनासिब है और इसको मंजूर करना चाहिये।

दूसरे एक ख्याल और भी है कि पहाड़ के ऊपर रहने से जो यूनीवर्सिटी के लड़के शहरों में घूमते हैं और उनमें एक किस्म की पढ़ाई की तरफ से लापरवाही पैदा हो जाती है वह पहाड़ की ऊंची चोटियों पर रहने से नहीं होती। माना कि खर्चा वहां ज्यादा है यहां के मुकाबले में, लेकिन जो लोग फायदा उठा सकते हैं उनको काफी लाभ होगा।

तीसरे पहाड़ों को अंग्रेजों ने बड़ी मेहनत से और बड़ा सर्वे करके इस तरह आबाद किया। अब इस जमाने में हमारे राजा महाराजाओं के न रहने से, हमारे यहां के बड़े-बड़े ताल्लुकेदारों के न रहने से वहां की रौनक और वहां की आमदनी बहुत कम हो गई है और मैं जब कभी पहाड़ जाता हूं वहां बेचारे यही शिकायत करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी कायम हो जाने से कुछ थोड़ी सी रौनक में इजाफा होगा। नैनीताल हमारा बड़ा अच्छा शहर है जहां दूर-दूर के लोग आते हैं। हमारी गवर्नमेंट का फर्ज है कि उसकी पुरानी रौनक को कायम और जिन्दा रखे।

एक साहब ने देहाती मसल की याद दिलाई कि क्या काबुल में गधे नहीं होते। तो उन्होंने गधे का लफ्ज ले लिया और यह ख्याल जाहिर किया कि क्या गधे पहाड़ों पर नहीं होते। इसमें कोई शक नहीं है कि पहाड़ पर भी गधे होते हैं और पहाड़ों के नीचे भी गधे होते हैं फर्क सिर्फ तादाद का ही है कि कहीं कम होते हैं और कहीं ज्यादा। लिहाजा मेरे नजदीक इस प्रस्ताव को हाउस को मंजूर करना चाहिये, यह बहुत ही मुनासिब है। खर्चे की कोई बात नहीं है। खर्चा जो पंचवर्षीय योजना है उसमें हर मद के लिये अलग-अलग रकमें कायम की गई हैं और वह रकम जो कि तालीम के लिये कायम की गई है उसमें से खर्चा हो सकता है। इन सब बातों को देख कर मेरे नजदीक इस मद पर खर्च करना बुरा नहीं है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस पर काफी बहस हो चुकी है। मैं भी अपनी राय इसके समर्थन में जाहिर करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त जी का जो कुमायूं में विश्वविद्यालय खोलने का विधेयक है नैनीताल में, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। यह एक बहुत आवश्यकीय मांग सारे पर्वतीय प्रदेश की थी जिसको आज नारायणदत्त जी ने इस सदन में पेश किया। बहुत अर्से से सारे पर्वतीय प्रदेश में इसके बारे में बातें होती रहीं, कई दफा कमेटियां बनती रहीं, बल्कि जो नैनीताल में डिग्री कालेज बनाया गया उसमें भी सरकार ने सही रूप में एक आश्वासन दिया था कि इसको एक दिन विश्वविद्यालय बना दिया जायगा। मेरा इस डिग्री कालेज से व्यक्तिगत भी सम्बन्ध है, क्योंकि यह जो डिग्री कालेज है, देवसिंह विष्ट डिग्री कालेज, मेरे पिता के बड़े भाई के नाम से ही है। यह कालेज जब खोला गया था तो हमारे पूज्य श्री गोविन्द-बल्लभ पन्त जी ने भी और हमारे माननीय मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने आश्वासन दिया था कि पर्वतीय प्रदेश में यह कालेज एक दिन अवश्य विश्वविद्यालय बन कर रहेगा। इसी आशा को लेकर यह डिग्री कालेज उस समय स्थापित किया गया था और जब इसका उद्घाटन हुआ उस समय भी अपने भाषण के दौरान में वहां की जनता को बहुत अंशों में यह पूर्ण आश्वासन दे दिया था कि एक दिन यह डिग्री कालेज पर्वतीय विश्वविद्यालय बन कर ही रहेगा। तो आज जो चर्चा नारायणदत्त जी ने की है इसका बहुत पुराना इतिहास है। मैं आशा करता हूं कि इन मंत्री महोदयों ने जो वहां की जनता को आश्वासन दिया था आज नारायण-दत्त जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प से उस बात की फिर पुष्टि होगी और सरकार उसको गम्भीरता-पूर्वक विचारेगी। क्योंकि यह बहुत आवश्यकीय विषय है जिससे कि पहाड़ की जनता का आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, हर एक किस्म का उत्थान इस पर निर्धारित है। मैं आशा करता हूं इन विचारधाराओं को लेकर यह सदन इस मसले को हल करने की कोशिश करेगा। न कि यह सोचे कि पर्वतीय प्रदेश अब तक तिरस्कृत रहे तो वैसे ही अब भी रहने चाहिये। या जैसे अब तक यहां की जनता को लुक डाउन करते रहे उसी प्रवृत्ति से इस मसले को भी हम सोचते रहें तो हम किसी सही नतीजे पर कभी भी नहीं पहुंच सकते। देखना यह है कि जब हमने गोरखपुर में रीजनल यूनीवर्सिटी खोली, सरकार कहती है हमारे पास धनाभाव है। यह मैं मानता हूं। नैनीताल के लिये यह कहा जा सकता है कि वहां विश्वविद्यालय अभी धनाभाव के कारण नहीं बन सकता। मगर यदि आज धनाभाव है तो जब धन हो जाय, सरकार प्रयत्नशील हो, तो दो, तीन, चार साल में वहां यूनीवर्सिटी बन सकती है। तो मैं इतना ही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब गोरखपुर में रीजनल बेसिस पर यूनिवर्सिटी बन सकती है बावजूद इसके कि धनाभाव था तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि पर्वतीय प्रदेश के लिये धनाभाव ही ऐसा महान् कारण समझा जाय कि वहां यूनीवर्सिटी बन ही न सके। तो सरकार की अगर मंशा हो तो बन सकती है और उसका न बन सकने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह बहुत नितांत आवश्य-कीय समझा जाता है।

मैं पहले दिन की डिबेट में नहीं था, लेकिन जैसा मैंने आज पूर्व वक्ताओं के भाषणों को सुना करीब-करीब सभी ने यह माना है और इस बारे में दो राय नहीं है कि पर्वतीय प्रदेश में जहां इतनी गरीबी है, एक फीसदी भी वहां ऐसे आदमी नहीं हैं जो ऊंची शिक्षा दे सकें। जैसे, अभी हमारे मदनमोहन जी उपाध्याय ने कहा, जो नौकरियों में हैं, जो कोई स्कूलों में मास्टर हैं, ऐसे ही इने-गिने आदमी हैं जिनके लड़के बी० ए०, एम० ए० की शिक्षा पा सकते हैं या उच्च पदों में जा सकते हैं। पर अधिकांश जनता वहां की ऐसी है जिनको पूरी मात्रा में न तो भोजन मिलता है, न तो वस्त्र मिलता है, न खाने पीने को मिलता है और न रोजी का कोई जरिया है। तो ऐसी उच्च शिक्षा देना उनके लिए स्वप्नवत चीज है। अगर उनसे आशा की जाय कि उनके बच्चे इलाहाबाद और लखनऊ में आकर पढ़ें तो यह एक गलत सी बात होगी। खास कर जब कि हम एक सोशलिस्ट-पैटर्न आफ सोसाइटी की बात करते हैं, गरीबों का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं, पिछड़े वर्ग

का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं, हरिजनों का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं, स्त्री समाज की शिक्षा की बात करते हैं, तो यह जो सब से पिछड़ा इलाका जहां शिक्षा होने की अब तक कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसे इलाके में एक यूनिवर्सिटी का खोलना इस बात का परिचय देना होगा कि हम सही रूप में समाजवादी ढांचा इस देश में लाना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इसी विचारधारा को लेकर वहां की वस्तुस्थिति को अच्छी तरह से जानकर इस बात को यह सदन महसूस करेगा कि यह विचार ऐसी एक आवश्यक चीज है जिसको हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये और जहां तक सम्भव हो सके, जितनी भी जल्दी हो सके उसको कार्यान्वित करने की कोशिश करनी चाहिये।

नैनीताल में यह जो डिग्री कालेज है जिसके लिए मैंने अभी कहा, उसके लिए आश्वासन दिया गया था कि वह विश्वविद्यालय बन जायगा। इसके अलावा मैं पहाड़ का होने से एक तो पहाड़ के लिए मेरे रोम-रोम में प्रेम है, दूसरे इस डिग्री कालेज से थोड़ा सा मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध होने से और ह्यूमेनिटेरियन प्वाइंट आफ व्यू से और साथ ही भारत-वर्ष का नागरिक होने के नाते, भारतवर्ष को मातृभूमि मानकर उस प्रेम के नाते भी मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक बड़ी दूरदर्शिता का काम होगा, बुद्धिमत्ता का काम होगा कि एक ऐसी सुन्दर जगह यूनिवर्सिटी ऐसी चीज बने जिससे न केवल हमारे प्रान्त को ही लाभ होगा बल्कि भारतवर्ष को भी लाभ होगा। अंग्रेज के बारे में भले ही हम कुछ कहें, लेकिन जैसा कि कहा गया है कि "गिव दि डेविल हिज ड्यू" वह कई मानों में विद्वान् भी थे और दूरदर्शिता के साथ और गम्भीरता से सोच कर काम किया करते थे। उनके बच्चे हमेशा इन पहाड़ी प्रदेशों में पढ़ा करते थे, यह उनका पिछले दो सौ वर्ष का इतिहास है, और वह ज्यादा धनराशि खर्च करके कलकत्ते से, रंगून से, कराची से, बम्बई से हर जगह से अपने बच्चों को नैनीताल में पढ़ने को भेजा करते थे। उनके जमाने में अंग्रेजी स्कूल हुआ करते थे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि वह सब स्कूल खत्म हो गये महज इसलिए कि वह हमारी अर्थ-व्यवस्था नहीं रह सकी, वह आर्थिक ढांचा हमारा नहीं रहा कि अंग्रेजी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ सकते, लेकिन अंग्रेज जो इतनी दूर से बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे तो व्यर्थ ऐसा खर्चा नहीं करते थे, उसमें कोई तथ्य था, एक लाभ था। अब भी, ऐसी व्यवस्था हो जाने पर भी वहां तीन ऐसे कालिजेज अंग्रेजों के चल रहे हैं। फ्लेंडर्स स्मिथ तो खत्म हो गया और भी दो तीन खत्म हो चुके हैं। सेंट जोसेफ्स कालेज, बाय डायोसेसन, गर्ल डायोसेसन, सेंट मेरीज कनवेंट, आल सेंट्स कालिज ये अभी भी चल रहे हैं। अब भी ऐसे लोग हैं जो धन खर्च कर सकते हैं। तो आज कल की व्यवस्था में भी सारे भारतवर्ष से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा देने के लिए जो भी आवश्यकताएं समझी जाती हैं हर एक किस्म की आवश्यकतायें नैनीताल में पूर्णरूपेण प्राप्त होती हैं।

श्री अध्यक्ष—अब बाद में आप भाषण जारी रखेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि पर्वतीय प्रदेशों में आबहवा ठंडी होने से वहां का वायुमंडल भी ठंडा होता है, जिसमें अध्ययन करने के लिये वहां विद्यार्थी को अधिक मात्रा में स्फूर्ति मिलती है और वह स्थिर बुद्धि से अध्ययन कर सकता है। इसके अलावा वहां कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिससे उसे अध्ययन करने में बाधा हो और न कोई ऐसा डिस्टरवेन्स है जो मैदानी इलाकों में होते हैं और मैं खास कर इस बात पर जोर दे रहा था कि जो ऊंचाई वाले हिस्से होते हैं वहां पर आदमी को स्वाभाविक तौर से ज्यादा अध्ययन करने के लिये एक साधन प्रकृति से पर्याप्त मात्रा में मिलता है, क्योंकि जितने भी हमारे ऋषि-मुनि हुये हैं, वह सब अध्ययन करने के लिये पर्वतीय प्रदेशों में जाया करते थे। यह कहा भी जाता है कि जो आजकल

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]

पर्वतीय प्रदेशों के नागरिक हैं वह ऋषि-मुनियों की औलाद हैं। उनका कहना यह था कि जो ऊंचाई वाले हिस्से में रहते हैं उनको ब्रह्मचर्य पालन करने में सुविधा होती है, वहां लोग अल्पाहार करते हैं और ८–९ हजार फुट की ऊंचाई पर रहते हैं तो स्वाभाविक तौर से उनका ब्रह्मचर्य की ओर रुझान होता है।

इस बात को मैं सही रूप में प्रदर्शित नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन ऐसा लोगों का कथन है कि जो लोग ऊंचाई के प्रदेशों में रहते हैं वह अल्पाहार करते हैं, वह ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर होती है, एकाग्र चित्त व शुद्ध वायुमंडल मिलता है तो इस तरह के स्वस्थ और शांत वायुमंडल में बुद्धि का काम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसके विपरीत मैदानी हिस्सों के लिये कहा जाता है कि यहां पर एक तो लोग भोजन ज्यादा करते हैं, इसलिये आलसी ज्यादा होते हैं और गर्मी वहां पर ज्यादा पड़ती है इसलिये उनके स्वभाव में आलसपन आ जाता है, और वह बुद्धि से इतना अच्छा काम नहीं कर सकते हैं जितना कि हाई आल्टीट्यूड्स में रहने वाले लोग कर सकते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्लाइमेटिक रीजन्स ऐसे हैं कि वह पर्वतीय प्रदेशों के नागरिकों के लिये ही हितकर न हो कर सारे भारतवर्ष के लोगों के लिये लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, अतः भारतवर्ष के बड़े-बड़े विद्वान भी वहां जाकर लाभ उठा सकेंगे।

मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पर्वतीय प्रदेशों में यद्यपि जनसंख्या बहुत कम है, करीब २२ लाख वहां की आबादी है मगर सरकार को सिर्फ आबादी के ही आधार पर निर्णय नहीं करना चाहिये बल्कि वहां की सुविधाओं और असुविधाओं को भी देखना चाहिये। पर्वतीय प्रदेशों का क्षेत्रफल १७–१८ हजार स्क्वायर मील है। इसलिये इतने बड़े क्षेत्र के लिये एक यूनिवर्सिटी का होना नितांत आवश्यक है।

इसके अलावा आप यदि गम्भीरता पूर्वक देखें तो मालूम होगा कि पहाड़ों की समस्यायें मैदानों की समस्याओं से भिन्न हैं। जैसे कि पर्वतीय प्रदेशों में जाड़ों में विन्टर वैकेशन्स होते हैं इसलिये कि जाड़ों में वहां बरफ पड़ती है, लेकिन मैदानों में इसके विपरीत गर्मियों में समर वैकेशन्स होती हैं क्योंकि वहां पर मई-जून में गर्मी बहुत पड़ती है और लू चलती है। अगर यहां पर एक यूनिवर्सिटी खुलेगी तो यहां पर इसी तरह से प्रबन्ध हो सकेगा अन्यथा जो ४७ जिलों का संबंध पहाड़ी जिलों के साथ कर दिया गया है उससे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जाड़ों में हमारे यहां छुट्टी हो जाती है और गर्मियों में नहीं होती हैं। तो जो करीक्यूलम रखा जाता है वह ऐसा होता है, जिससे कि उनका काफी नुकसान पढ़ाई में होता है और बहुत कम दिन उनको पढ़ाई के मिलते हैं। अगर इसको और गम्भीरता से हम देखें तो जितने भी कोर्सेज ४७ मैदानी जिलों के हैं वही कोर्सेज इन चार पहाड़ी जिलों के लिये भी थ्रस्ट किये जाते हैं, क्योंकि वहां की समस्या के अनुसार वहां के लिये अलग कोर्सेज नहीं बनाये गये हैं। पहाड़ों की समस्या बिल्कुल भिन्न है और मेरे विचार से वहां की समस्याओं के मुताबिक ही वहां के लिये कोर्सेज होने चाहिये न कि जो और अन्य ४७ मैदानी जिले हैं उनके साथ जोड़ कर वहां के लोगों को उन कोर्सेज को पढ़ाया जाय।

मैं जो वहां की यूनिवर्सिटी के बारे में कहने जा रहा हूं उस यूनिवर्सिटी का जो आधार होगा वह मैं नहीं चाहता कि जैसी और यूनिवर्सिटी हमारे प्रदेश में हैं उस तरह का हो। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि यहां की यूनिवर्सिटियों की शिक्षा प्रणाली बहुत संतोषजनक नहीं है और एक यूनिवर्सिटी और बना दी जायगी तो उससे क्या लाभ होगा। तो मैं इस बात पर उनसे सहमत हूं और साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी खोलने से मेरा,

मतलब यह नहीं है कि यहां की ही नकल वहां कर दी जाय बल्कि वहां की परिस्थिति के मुताबिक जो भी विषय वहां के लिये आवश्यकीय समझे जायं उन्हीं के पठन-पाठन के लिये प्रबन्ध किया जाय। जैसे मनोरमा में एक एस्ट्रानोमी का डिपार्टमेंट खोला जा रहा है। पहाड़ों में बहुत से मिनिरल रिसोंसेज हैं उसके लिये जियोलाजी के सब्जेक्ट के लिये इसमें व्यवस्था हो सकती है। वहां फिशरीज की भी उन्नति की जा सकती है। कितनी ही 'rivers snow fed' (नदी बर्फ पिघल पानी की) हैं। उनमें ट्राउड फिशिंग हो सकती है। फारेस्ट्स का तो कोई अन्त ही नहीं है। हिमालय पहाड़ में जंगल बहुत फैले हुये हैं। तो फारेस्ट्री के कालेजेज खुल सकते हैं। हमारे यहां फलों का बहुत विकास हो रहा है और हो सकता है। चौबटिया में, रामगढ़ में सरकार इस दिशा में काफी उद्योग कर रही है। तो हार्टिकल्चर एक ऐसा विषय है जिसको हम यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ सकते हैं। रुद्रपुर में कहते हैं कि एशिया में सबसे बड़ा फार्म है। वहां एक एग्रीकल्चरल कालेज खोलने की भी व्यवस्था थी। तो अगर एग्रीकल्चरल कालेज भी वहां खोल दिया जाय तो वह भी यूनिवर्सिटी का पार्ट हो सकता है। ऐसे ही मुक्तेश्वर में वेटेरिनरी का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें अंग्रेजों के जमाने में बहुत काम होता था। मगर मुझे दुःख है कि वहां अब सरकार बहुत ध्यान नहीं दे रही है और उसका बहुत सा हिस्सा इज्जतनगर को जा रहा है। यह बहुत गलत है। उस इंस्टीट्यूट की उन्नति करनी चाहिये।

रानीखेत में सरकार द्वारा आयुर्वेदिक ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी खोली गयी है जिसमें सारे पहाड़ों के ड्रग्स जमा होते हैं। तो वह भी इस यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा हो सकता है। इसी तरह और भी बहुत सी स्थानीय समस्यायें हैं, जैसे इंडस्ट्रीज के बारे में कई हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि जैसे स्वीटजर-लैन्ड में छोटे-छोटे किस्म की चीजें बनायी जाती हैं जैसे घड़ियां वगैरह, जिनमें ट्रांसपोर्ट में बहुत कम खर्च होता है, प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह; ऐसी चीजों का भी काम पर्वतीय प्रदेशों में खोला जा सकता है। तो इस किस्म के कई विषय वहां की खास परिस्थिति को देखते हुये उस यूनिवर्सिटी में जोड़े जा सकते हैं जिससे उसका जो आकार होगा, वह लखनऊ, इलाहाबाद या अलीगढ़ की यूनिवर्सिटियों जैसा न हो कर पर्वतीय प्रदेश की विशेष समस्याओं को हल करने वाला होगा। क्योंकि वहां की जनता को अगर शिक्षित बनाना है, अगर उनको राजनीतिक शिक्षा देना है तो हर एक चीज का हल एक मात्र यूनिवर्सिटी हो सकती है। ऐसी यूनिवर्सिटी अगर वहां की परिस्थितियों को देख कर बनायी जाय तो मैं नहीं समझता कि कोई भी माननीय सदस्य इस बात पर एतराज करेगा, क्योंकि मैंने जितने वक्ताओं को सुना उन सबका विचार यह था कि जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है वह गलत है। इसलिये अगर हम वहां की परिस्थितियों को देखकर सुधारों को लायें तो मैं आशा करता हूं कि सारा भवन एकमत होकर इसको अवश्य पास करेगा। साथ ही मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि वहां की यूनिवर्सिटी अगर इस किस्म की होगी तो मेरा निश्चित मत है कि नैनीताल में ही जो देवसिंह बिष्ट डिग्री कालेज है यही उसके अनुकूल हो सकता है, क्योंकि यहीं से आधारभूत होकर उसकी व्यवस्था चली थी और यही नारायणदत्त जी की मंशा भी है। इसके अतिरिक्त सेन्ट जोजेफ कालेज, बिड़ला मन्दिर कालेज, शेरवुड कालेज, आल सेंट्स कालेज, रैमनी कान्वेंट कालेज, गर्ल्स डायसेशन कालेज, आयुर्वेदिक ऐंड रिसर्च लैबोरेटरी, रानीखेत, वेटेरिनरी इंस्टीट्यूट मुक्तेश्वर, अस्ट्रानामी लैबोरेटरी मनोरा, एग्रीकल्चरल कालेज रुद्रपुर तथा हार्टीकल्चरल कालेज चौबटिया और रामगढ़ आदि सब उसके अंग होकर यह एक विशाल विश्वविद्यालय बन सकता है, और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में, टेहरी और गढ़वाल में भी डिग्री कालेज बनेंगे। तो इन सब चारों जिलों के कालेजों का यह बड़ा सुन्दर सा विश्वविद्यालय उससे सम्मिलित होकर बन जायगा। यह विषय बड़ा गम्भीर है और माननीय मन्त्री जी इस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

इस विषय पर डाक्टर सिंह, प्रिन्सिपल देवसिंह बिष्ट डिग्री कालेज ने एक बड़ी लम्बी चौड़ी स्कीम सरकार के सामने रखी थी। सरकार ने उस पर विचार किया होगा और उनके सुझावों के

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]

आधार पर यहां डिग्री कालेज अवश्य बनाया जायगा। उनका कहना है कि यह एक टीचिंग यूनिवर्सिटी होगी और इन चारों जिलों के जितने इंस्टीट्यूशन्स हैं यह सब उसके साथ अफीलियेटेड होंगे।

अब रहा सवाल ऐडमिनिस्ट्रेशन का। इस विधेयक में नारायणदत्त जी ने बहुत से सुझाव रखे हैं जैसे चान्सलर व वाइस-चान्सलर की नियुक्ति, लेकिन उसके पहले तो उसका आधार ही तय होना है कि यूनिवर्सिटी को बनना है या नहीं। इस बिल में जो उन्होंने पेज १९ पर प्राविडेंट फंड व पेन्शन आदि की बात रखी है, इसका मैं समर्थन करता हूं यह बहुत अच्छा सुझाव है। और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी इलाहाबाद में अपने भाषण के दौरान में कहा है कि अब हम यूनिवर्सिटी के तमाम अध्यापकों के दो स्केल्स बनाना चाहते हैं ताकि अध्यापकों की आर्थिक अवस्था सुधर सके।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—डिटेल्स तो बाद में होंगी।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—आप ठीक कहते हैं। वह तो सेलेक्ट कमेटी में ठीक हो सकती है। अन्त में मैं जो एक सुझाव सबसे जरूरी है वह रखना चाहता हूं। इस बिल में तीन महीने के लिये अवसर जनमत का मांगा है। मगर मैं समझता हूं कि पर्वतीय प्रदेश में कहीं आयात निर्यात के साधन नहीं हैं वहां जनमत तीन महीने म पूरा नहीं हो सकता इसलिये कम से कम ६ महीने का समय इसके लिये रखा जाय ताकि जनमत इसमें पूरी तरह से लिया जा सके। तीन महीने तो मेरा विचार है कि इसके लिये कम है क्योंकि अपनी कांस्टीटुयेंसी में घूमा तो कम से कम मुझे ढाई महीने का समय लगा जब मैं अपने केवल चार पट्टियों में घूमा, जोहार, दारमा, व्यांस, चौदांस और उसमें मुझे ढाई महीने का समय लगा। फिर कुल पट्टियों में घूमने में तीन महीने में कैसे जनमत लिया जा सकता है? मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी और जनमत के लिये अवश्य कम से कम ६ महीने का समय देगी ताकि उचित रूप से जनता का जनमत इसमें लिया जा सके और मुझे पूर्ण आशा है कि वह जनता एकमत होकर यूनिवर्सिटी की मांग करेगी कि वह यूनिवर्सिटी जरूर बने।

इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि पहाड़ की जनता बहुत गरीब है। नैनीताल एक अच्छा शहर है और अंग्रेजों की हुकूमत में करोड़ों रुपये की बिल्डिंग्स वहां बनी हुई हैं, जैसा रानीखेत में भी मैंने बताया और कितने ही कालेजेज के नाम मैंने लिये, बिरला कालेज, शेरउड कालेज, सेंट जोजेफ कालेज, आल सेंट्स कालेज, देवसिंह विष्ट डिग्री कालेज, इन सब की अगर संपत्ति ली जाय, इन सबके असेट्स लिये जायं तो वह कितने ही करोड़ रुपए का आयेगा, इसके अलावा सरकारी इमारतें वहां करोड़ों रूपये की हैं। तो इस शहर को आबाद रखना भी इस हुकूमत का परम कर्तव्य है। अगर वहां ऐसा इंस्टीट्यूशन न बनाया जायगा तो एक दिन ऐसा आयेगा कि वहां की हालत बहुत खराब हो जायगी। आज जमाना बदल रहा है। लोगों के पास पैसा नहीं है और यहां के लोग हिल माइन्डेड भी नहीं हैं। अंग्रेज हिल माइन्डेड होते थे, लेकिन हिन्दुस्तानियों के पास न इतना धन है और न वे हिल माइन्डेड हो हैं तो इसका नतीजा यह हो रहा है कि वहां की जनता की आर्थिक अवस्था गिरती जा रही है और अगर इस प्रकार की कोई संस्था वहां स्थापित हो गई तो वहां की जनता का आर्थिक स्तर उठ सकता है। तो मैं ज्यादा समय न लेकर सरकार से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लिया जाय और जितनी भी जल्दी हो सके वहां के लिये धन सरकार मुहैय्या करे और इस देव सिंह विष्ट डिग्री कालेज को सरकार यूनिवर्सिटी का रूप प्रदान करे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अभी बोलने वाले काफी हैं इसलिये मैं समझता हूं कि थोड़ी देर बाद प्रश्न उपस्थित किया जाय। मैं दो स्पीचेज का मौका और दे देना चाहता हूं।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हाउस की रुचि को देखते हुए हम लोगों को मौका दिया कि हम लोग भी कुछ अपना मत इस विधेयक के बारे में व्यक्त कर सकें। माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने बड़े परिश्रम के साथ और बड़ी योग्यता के साथ इस विधेयक को बनाया है और कोशिश की है कि सदन में सारे माननीय सदस्य इसका औचित्य समझते हुए इसको पास करने की कृपा करें। यद्यपि हमारे सामने एक कठिनाई है और वह यह है कि जब कोई गैरसरकारी प्रस्ताव या विधेयक सदन में आता है तो सरकारी पक्ष का रुख क्या होगा इसका कुछ पता नहीं लगता। और यह कठिनाई हमारे सामने रहती ही है। इसके कारण इस विषय में हम अधिक कहने में असमर्थ रहते हैं, विशेष डिटेल में उसकी आलोचना या समालोचना हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि कोई अच्छा कार्य या कोई रचनात्मक कार्य हमारे सामने जब आता है तो उसका पूरे तौर से हमें समर्थन करना चाहिये। यह ड्यूटी और यह कार्य तो सरकार का है कि वह अपनी कोई भी राय इसके बारे में बनाये और जैसा भी उचित समझे उसके बारे में निर्णय करे। मैं पूरे हृदय से श्री नारायणदत्त जी के इस विधेयक का स्वागत करता हूं और यह मंगल कामना करता हूं कि जिस योग्यता और परिश्रम से ऐसा सुन्दर प्रस्ताव या विधेयक उन्होंने सामने रखा है वह सफल हो और हमारा सरकारी पक्ष भी उसका समर्थन करे और उसे मानने में कोई कठिनाई न महसूस करे। हम लोग कहते हैं या कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि आज विश्वविद्यालयों के स्थापित किये जाने की मांग बराबर बढ़ती जा रही है। जैसा कि अभी माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा था कि यह मांग बराबर बढ़ती जा रही है और उसी के अनुरूप पर्वतीय प्रदेश के लोगों ने यह प्रस्ताव सामने रखा है कि कुमायूं में भी एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय। मैं समझता हूं कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिये वहां के नागरिकों के लिए यह उचित ही है कि वह प्रगतिशील हों और बराबर यह चेष्टा करें कि हमारे प्रदेश की प्रगति होती चली जाय। तो यह उसके अनुरूप ही है और हमारे बढ़ाव और उत्थान की निशानी है। उसको गलत समझना मैं समझता हूं कि हमारे प्रगतिशील होने की एक मुखालफत है और उसके प्रति अन्याय है।

अब एक आर्गुमेंट यह दी जाती है कि धन की कमी है हमारे प्रदेश में और जब धन की कमी है तब यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि विश्वविद्यालय हर रीजन में स्थापित करते जायं। मैं समझता हूं कि यह कारण कोई बहुत ही पर्याप्त कारण नहीं है क्योंकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको खुद भी यह बात ज्ञात होगी कि अभी कुछ ही महीने हुये हमारे इस सदन ने गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया था और इस प्रकार से हमारे पूर्वी इलाके में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया है। और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय उपमंत्री जी और माननीय शिक्षा मन्त्री जो अकस्मात् पूर्वी इलाके से ही आते हैं और जिन्हें गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की खुशी होगी उन्हें इससे अधिक यह आकांक्षा होगी कि पर्वतीय प्रदेश में भी एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि जो रचनात्मक सुझाव हमारे माननीय नारायणदत्त जी ने रखा है उसको माननीय शिक्षा मन्त्री जी का समर्थन पूरी तरह ही मिलेगा।

[श्री तेजप्रताप सिंह]

अब यह सवाल होता है, यद्यपि यह छोटा सा सवाल है और तुच्छ भावना से प्रेरित है कि विरोधी पक्ष यदि कोई सुझाव रखता है और वह अच्छा सुझाव होता है तो उसको मानने में सरकार के सामने दिक्कत पैदा होती है या नहीं। अगर विश्वविद्यालय कायम हुआ तो उसको कायम करने का श्रेय विरोधी पक्ष को मिल सकता है। यह मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं किसी सरकारी पक्ष के सदस्यों पर। वह तो अच्छी भावना ही रखते होंगे क्योंकि बार-बार वह कहते हैं और सभी सदस्य इस बात को मानते हैं कि यदि कोई रचनात्मक विरोधी सुझाव, विरोधी पक्ष की ओर से आयेगा तो उसका वह स्वागत करेंगे और उस पर चलने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हमारी ओर से कोई रचनात्मक सुझाव सरकार के पास आता है तो सरकार को उसका स्वागत करना चाहिये और कुत्सित भावना से परे उसको उठना चाहिये। इन २, ३ कारणों से यह सिद्ध होता है कि कुमायूं विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिये।

अब आप देखें कि यह विश्वविद्यालय वहीं स्थापित क्यों किया जाय। वैसे तो सारे देश में जगह-जगह विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने चाहिये। हमारा उत्थान तभी हो सकता है जब कि ऊंची शिक्षा हो और हर स्थान पर ऊंची शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। इस तरह से सभी जगह विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने चाहिये। लेकिन अब प्राथमिकटी का प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले हम कहां करें। जैसा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने पर यह कहा गया था कि आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कालेजेज पूर्वी इलाके के दूर पड़ते हैं, याने आगरा से दूर पड़ते हैं और उनका समुचित निरीक्षण और समृद्धि नहीं हो पाती है। इसलिये गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थापित करने की जरूरत सख्त थी, इसी प्रकार पर्वतीय इलाके के लिये लोग हमेशा उच्च शिक्षा पाने के लिये मैदान में दूर तक आते हैं। और जैसा कि आप स्वयं पर्वतीय इलाके से आते हैं, आप जानते हैं कि वहां गरीबी बहुत है, कोई यातायात के अच्छे साधन नहीं है, खेती-बाड़ी के भी अच्छे साधन नहीं हैं और उद्योग-धंधे भी नहीं हैं। इसलिये विश्वविद्यालय को पर्वतीय इलाके में ही पहिले स्थापित होना चाहिये। जैसा कि नरेन्द्र सिंह विष्ट जी ने अभी बतलाया, २२ लाख जनता पर्वतीय इलाके में है जिसके लिये उच्च शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। इतने बड़े जनसमुदाय के लिये एक विश्वविद्यालय होना जरूरी है।

कुछ लोग मैदान के ऐसा कहने में भूल करते हैं कि पर्वतीय इलाके में विश्वविद्यालय स्थापित न करके वह धन जो इसमें लगाया जा सकता है उसे यातायात के साधन समुन्नत करने में लगाना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार से विषयान्तर है। हम मैदानी इलाके के लोग अवश्य चाहते हैं कि कुछ विशेष धन व्यय करके पर्वतीय इलाके में यातायात के साधन ठीक करने चाहिये। इसमें कोई आपत्ति हम लोगों को नहीं है और न यह पर्वतीय और मैदानी लोगों का झगड़ा ही है। मैं उन भावनाओं में नहीं जाना चाहता हूं जो कुछ माननीय सदस्यों ने इस वक्त यहां व्यक्त की है कि पहाड़ी लोग ठीक नहीं हैं, बुद्धि हीन हैं। मैं इसे कोई कारण नहीं मानता कि इसलिये वहां विश्वविद्यालय न बनाया जाय। बल्कि मैं तो उसे और भी जबरदस्त कारण मानता हूं कि उनको उच्च शिक्षा के लिये विश्वविद्यालय वहां होना चाहिये। मैं समझता हूं कि सभी लोग यह महसूस करते होंगे कि पर्वतीय इलाके में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय।

अब मैं थोड़ा सा इस विधेयक के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि इसे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और मुझे यद्यपि इस समय कोई प्रेरणा ऐसी नहीं मिल रही है कि मैं कुछ विवरण में जाऊं क्योंकि आखिर यह सारा परिश्रम ही व्यर्थ न जाय। फिर भी अच्छे काम के सफलीभूत होने की आशा रखनी ही चाहिये। हमारी पर्वतीय यूनिवर्सिटी का रूप कैसा होना चाहिये?

मैंने इसमें देखा कि तिवारी जी ने इसे एक एफीलियेटिंग और टीचिंग कैरेक्टर की यूनिवर्सिटी रखा है । मैं समझता हूं कि यह उचित है यद्यपि मेरी धारणा शुरू से यह रही है कि हमारे विश्वविद्यालय यूनीटरी कैरेक्टर के होने चाहिये क्योंकि जब लोग होस्टल्स में रहेंगे, यनिवर्सिटी के दायरे में रहेंगे तो वहां का ऐटमोसफीयर उन्हें समुन्नत बनाने में सहयोग देगा, इसलिये बड़ी भारी आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय के दायरे में ही रहें तभी अच्छी तरह से शिक्षा-दीक्षा दी जा सकती है। यद्यपि मेरी इच्छा यह जरूर है कि विश्वविद्यालयों का कैरेक्टर यूनिटरी होना चाहिये लेकिन फिर भी मेरा मतभेद माननीय तिवारी जी से इस समय नहीं है क्योंकि आखिर पर्वतीय प्रदेशों की भी कुछ दिक्कतें हैं । वह लंबा-चौड़ा इलाका है, वहां यातायात के साधन भी नहीं हैं । इसलिए अगर नैनीताल में हेडक्वार्टर रक्खा जाता है तो दूर-दूर के लोग वहां कैसे आ सकेंगे । लेकिन अगर गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल और अल्मोड़ा में डिग्री कालेजेज खोल दिये जाते हैं तो वे एफिलिएट हो सकेंगे और वहां की गरीब जनता का उपकार हो सकेगा । इसलिये हम इस विश्वविद्यालय को एफिलिएटिंग कैरेक्टर का ही रक्खें । इसलिये मैं इसके रूप को उचित ही समझता हूं ।

दूसरी एक सैद्धान्तिक बात यह है कि आज कल के विश्वविद्यालय बेकारों की जमात को बढ़ाते चले जा रहे हैं । हमें सोचना है कि यह सवाल कैसे हल हो । मैंने बराबर इस सदन में अपने विचार व्यक्त किये हैं कि हमें कोई न कोई रूप विश्वविद्यालय का ऐसा रखना चाहिये जो समाज के लिये उपयोगी सिद्ध हो सके । आखिर अगर कोई स्नातक विश्वविद्यालय से निकल कर बेकार रहे और समाज के लिये उपयोगी सिद्ध न हो सके तो वह एक तरीके से अपना रुपया और शक्ति बेकार करता है । इस दृष्टि से भी जब हम इस विश्वविद्यालय को स्थापित करें तो मैं ऐसा समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय को स्थापित किये जाने के बाद शिक्षा देते वक्त यह खयाल रक्खा जाय कि इसमें कौन-कौन से विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाय ।

आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र वनों से भरे हुए हैं । वन वहां की बड़ी भारी निधि हैं । यदि हम पर्वतीय इलाके को समुन्नत बनाना चाहते हैं तो वनों के बारे में वहां पर रिसर्च होनी चाहिये । उनको इम्प्रूव करने के लिये विशेष प्रकार की शिक्षा-दीक्षा होनी चाहिये । वहां पर मिनिरल्स भी पाये जाते हैं । उनका भी उपयोग होना चाहिये । उनके बारे में भी इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई होनी चाहिये । तीसरी बात यह है कि वहीं से हमारे मैदानी इलाके में नदियां आती हैं । वहां फाल्स भी पर्याप्त मात्रा में है । इन जल प्रपातों का किस प्रकार उपयोग करें, इसकी शिक्षा-दीक्षा होनी चाहिये । आखिर वहां की गरीबी यह अकेला विश्वविद्यालय तो दूर कर नहीं सकता है । उसको मिटाने के लिये हमें उद्योग-धंधों को पनपाना होगा । अतः वहां से जो स्नातक निकलें वह इसमें भी कुशल हों कि इस समस्या को किस प्रकार से हल किया जा सकता है । तभी हम नये-नये उद्योग-धंधों को स्टार्ट कर सकेंगे और उससे वहां की गरीबी दूर कर सकेंगे ।

मेरे विचार में तो जब हम यह विश्वविद्यालय स्थापित करें तो यह विचारणीय प्रश्न हमारे सम्मुख होना चाहिये कि इसमें किस प्रकार की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था विशेष-रूप से की जानी चाहिये । मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि हमारे बहुत से माननीय सदस्य इसके लिये उत्सुक हैं कि वे भी अपने विचार सदन के सम्मुख रक्खें । अन्त में मैं फिर अपनी मंगल कामना प्रस्तुत करता हूं । वह मंगल कामना यह है कि जो महान कार्य परिश्रम और योग्यता के साथ माननीय तिवारी जी ने इसको प्रस्तुत किया है, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी इस विधेयक को मान लेने की कृपा करें । हां, अन्त में इतना और जरूर कह देना चाहता हूं कि माननीय तिवारी जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि इसे तीन महीने के लिये जनमत संग्रह के लिये भेज दिया जाय और उसे घुमाया जाय, मैं समझता हूं कि जनमत संग्रह तो है ही । हम सब लोग जनमत के ही प्रतीक हैं । हम लोगों में कोई व्यक्ति शायद ही

[श्री तेजप्रताप सिंह]

होगा बोलने वालों में जिसने इसका विरोध किया हो। करीब-करीब सभी इस पक्ष में है कि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय। मसलन, मेरी आकांक्षा हमेशा से यह रही है कि बुन्देलखंड एक पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां एक विश्वविद्यालय झांसी में स्थापित किया जाना चाहिये। वहां कालेजेज भी बहुत से हैं। लेकिन जहां तक यह सवाल है कि बुन्देलखंड में हो, या कुमायूं में हो, या मेरठ में हो, मैं यह चाहता हूं कि सबसे पहले कुमायूं में हों। मैं अपनी उस आकांक्षा को दबा सकता हूं इस माने में कि कुमायूं में विश्वविद्यालय पहले खुलना ज्यादा उपयुक्त है और वहां ज्यादा उपयोगी होगा। इन शब्दों के साथ अपना मत व्यक्त करते हुए मैं यह आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस विधेयक को मानने की कृपा करेंगे।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को जो माननीय तिवारी जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, मैं २२ लाख पर्वतीय प्रदेश के निवासियों की प्रसुप्त और जागृत मनोभावना का व्यक्तीकरण समझता हूं। यह निश्चित है कि पहाड़ी प्रदेश एक पिछड़ा हुआ और निर्धन क्षेत्र है। लाखों आदमी वहां अशिक्षित हैं, वहां शिक्षितों की संख्या बहुत कम है। फिर भी उनकी जो छिपी हुई मनोभावना है कि हम भी अपने प्रदेश के अन्य उप-प्रदेशों के समान उन्नत हो सकें, आगे बढ़ सकें और उनके समक्ष आ सकें, विशेष कर शिक्षा के क्षेत्र में भी। एक पवित्र भावना को प्रकट किया है तिवारी जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करके, इसलिये मैं तिवारी जी को इसके लिये हार्दिक बधाई देता हूं। हम सभी जानते हैं कि पर्वतीय प्रदेश के निवासी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये मैदानों में आते हैं, अपने घरों और अपने इलाके से बहुत दूर इस कारण उनको अधिक खर्चे का बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है जिसे पर्वतीय प्रदेश के निवासियों की गरीबी को देखते हुए हम इस विधेयक में उद्देश्य और कारणों को स्वीकृत करके ही दूर कर सकते हैं। और जैसा कि तिवारी जी ने इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट किया है कि इस यूनिवर्सिटी का नूक्लियस, इसका मूल बिन्दु पर्वतीय प्रदेश में है जिसको केन्द्र बना कर ही हम विश्वविद्यालय की स्थापना वहां कर सकते हैं। आज भी हम देखते हैं कि मैदानी इलाके के बहुत से धनी मानी लोग पता नहीं किन-किन कारणों से अपने बच्चों को नैनीताल पढ़ने के लिये भेजते हैं और वे वहां पढ़ते हैं। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी वहां स्थापित की जाय और विशेष कर उन सुझावों को ध्यान में रखा जाय जिसे माननीय तेजप्रताप सिंह ने हमारे सामने रखा है तो एक उल्टा प्रवाह भी बहुत कुछ माने में शुरू हो सकता है। गंगा ऊपर से नीचे आती है और हम मैदान वाले नीचे से ऊपर बहुत बड़ी संख्या में उन विशेष विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये जाने लगेंगे। इस बात को दृष्टिकोण में रखते हुए भी शिक्षा मंत्री जी को और इस सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक प्राकृतिक दृश्य और पर्वतों के सौन्दर्य और वहां की जलवायु आदि का वर्णन है उस पर श्री रावत व श्री विष्ट जी ने काफी रोशनी डाल दी है, वह तो नित्य ही उस का अनुभव करते हैं हम तो कभी-कभी ही वहां जाकर देखे और समझे हैं। हमें सदन में कुछ इस बात की भी कभी-कभी झलक दिखलाई देती है जिसको व्यक्तिगत रूप से मैं अच्छा नहीं समझता। यहां पर कुछ समीकरण करने और इक्वेशन मिलाने की बात दिखलाई देती है और कही जाती है और वह कुछ इस तरह से कि पूर्व की बात की जाती है तो उसके साथ पश्चिम की बात उठाई जाती है और पहाड़ की बात कही जाय तो उसके साथ मैदान की बात लाई जाती है लेकिन यह प्रवृत्ति हमारे लिए वांछनीय नहीं है और विशेषकर हमारी सर्वतोन्मुख उन्नति के लिए और चतुर्दिश विकास के लिए आवश्यकता इस बात की है कि जो इलाके आगे बढ़े हुए हैं वह बलिदान करें, अपने पिछड़े भाइयों को भी अपने समान उच्च स्तर पर लाने के लिए। इसलिए कुछ माननीय सदस्यों ने मैदान का प्रश्न उठाया—तो मैं वही बता रहा हूं कि बराबर जब किसी एक क्षेत्र की या उपप्रदेश की बात की जाय और उसकी किसी विशेष समस्या को सामने रखा जाय तो दूसरी समस्या के पेश करने के बहाने से न तो उस समस्या का हल

होता है और न इस बात का काट होता है यह तो sabotage करने की चाल है। हमारे साथी, एक लायक दोस्त तो इस बात पर ही अड़े रहे कि यह विश्वविद्यालयों की मांग क्यों बढ़ती जा रही है।

मैं समझता हूं कि यह तो बिलकुल साम्राज्यवादी और सामन्तवादी मनोवृत्ति है। साम्राज्य देश कहें कि आज संसार के सारे देश आजादी चाहने लगे हैं, आज कीनिया और अलजीरिया क्यों आजादी चाहते हैं? वह एक लहर है, वह तो आयेगी। आजादी के साथ जो मुक्त वातावरण पैदा होता है, स्वतंत्रता के आगमन के साथ जब हमारे बन्धन ढीले होते हैं तो ऐसी मांगों का उठना स्वाभाविक है। यह कहना कि यह मांग क्यों उठ रही है यह तो एक अजीब हास्यास्पद दलील है और समस्या के प्रति एक उपेक्षा सी बात है। हमारे सदन के सदस्यों को इस प्रगतिशील विधेयक और प्रगतिशील मांग को जो कि एक बहुत बड़े पिछले इलाके की मांग है और जो उनकी हार्दिक मांग है उस पर सच्चे और ठंडे दिल से विचार करना चाहिए। जहां तक मैंने इस विधेयक को देखा और पढ़ा है इसमें निश्चित रूप से इस तरह के दूसरे विश्वविद्यालय विधेयकों पर एक प्रगति दिखाई देती है और यह एक प्रगतिशील बिल है। आज गो कि इसका समय नहीं है कि मैं इसके विशेष विश्लेषण में जाऊं लेकिन मैं आशा करता हूं कि सरकार इसका स्वागत करेगी और जब यह बहस के लिए आयेगा तो उस समय हम इस पर अधिक विचार विनिमय कर सकेंगे। अन्त में मैं आशा करता हूं और सरकार से इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि सरकार इस बात को दृष्टिकोण में न रखे कि किसी विरोधी सदस्य ने इसको पेश किया है और सरकार के लिए जिसके हाथ में शासन की बागडोर है और जो हुकूमत को चलाने वाले हैं यह उचित नहीं है और मेरा खयाल है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ऐसा दृष्टिकोण रखते भी हैं, वह अन्य विरोध करना चाहे तो करे लेकिन अभी जैसा कि एक सदस्य के मुंह से सुना और जैसा कि विष्ट जी ने कहा कि ३ मास क्या ६ मास लग जायं वह बात हो सकती है, जहां तक जनमत संग्रह के लिए घुमाने की बात है या इसको स्वीकार करने की बात है उस सम्बन्ध में मैं यह जरूर कहूंगा कि यह २२ लाख आदमियों की और एक पिछड़े हुए इलाके की बात है और हमें किसी तरह भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसको ठुकराने और उसकी अवहेलना करना तो दूर की बात है। इन शब्दों के साथ मैं तिवारी जी को हार्दिक बधाई देता हूं और माननीय सदस्यों से सदन के दरख्वास्त करूंगा कि वह इस विधेयक को जरूर स्वीकार करें और सरकार इसको मान्यता प्रदान करे।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---उपाध्यक्ष महोदय, जो श्री नारायणदत्त द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक है उसके समर्थन हेतु मैं खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, देश की उन्नति के लिये और उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये उस देश के नागरिकों की शिक्षा की स्थिति को सुधारना बहुत सी ही अनिवार्य होता है जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपने भाषण द्वारा कहा कि पहाड़ी इलाके या पर्वतीय प्रदेश जो हैं ये आर्थिक और सामाजिक दृष्टि कोण से बहुत ही पिछड़े हुए हैं। यही तर्क प्रस्तुत किया गया उस पिछड़े हुए इलाकों के एक माननीय सदस्य द्वारा कि इस तरह से यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय खोलना नहीं चाहिये। मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसी तर्क पर वहां के लोग शिक्षा, आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, यह अनिवार्य हो जाता है और आवश्यक हो जाता है कि उस पश्चिमी इलाके में जहां पर लोग---गरीब लोग बसते हैं एक इस तरह का विश्वविद्यालय खोला जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार को चाहिये था कि सरकार की दृष्टि इस पर होती कि प्रदेश के कोने-कोने में इस तरह का कार्य शिक्षा का किया जाता जिसमें कहीं पर लोग कमी महसूस न करते। यह सरकार का पुनीत कर्तव्य था लेकिन सरकार का ध्यान उधर नहीं गया। अगर इस सदन के माननीय सदस्य इस बात का प्रयत्न करें कि उस पश्चिमी इलाके में जहां पर शिक्षा का अभाव है वहां पर शिक्षा का विशेष प्रबन्ध इस विश्वविद्यालय द्वारा किया जाय तो शिक्षा मंत्री महोदय और सरकार खुशी से इसका समर्थन करके वहां पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करेंगे।

[-श्री रामसेवक यादव]

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में बार-बार यह कहा गया कि इस विधेयक में कोई नवीनता नहीं है। इस शिक्षा प्रणाली में कोई हेर फेर नहीं किया गया है। शिक्षा में कुछ परिवर्तन होना चाहिये। जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है वह ज्यादातर लाभदायक नहीं है। मैं मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, और मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि तिवारी जी अगर इसमें कुछ नवीनता लाने का प्रयत्न किये होते तो अच्छा होता खासकर औद्योगिक दृष्टिकोण से पहाड़ों में जहां पर शिक्षा की और रोजी-रोटी की कमी है अगर इन चीजों की आकांक्षा को यह बिल पूरा करता तो बहुत ही अच्छा होता। वह तो उसी सूरत में हो सकता है जैसा माननीय तेज प्रताप सिंह और माननीय विष्ट जी ने इस सदन में भाव प्रकट किये कि वहां पर कुछ मिनरल वगैरह के लिये इस तरह की व्यवस्था की जाती तो अधिक अच्छा होता और वहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा-पूरा प्रतिविम्बित करता, लेकिन यह सदन का और मेरा निश्चत और दृढ़ मत है और माननीय तिवारी जी भी इस पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे कि सदन और सरकार की अनुमति पर इस तरह की चीजें हो सकेंगी। तो मैं चाहता हूं कि वहां पर इस तरह की एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाय।

यहां कुछ सदस्यों ने भाव व्यक्त किये कि यूनिवर्सिटीज के खोलने की जो आकांक्षा लोगों में बढ़ती जा रही है यह कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं तो आपके द्वारा इस सदन से विनम्र निवेदन करूंगा और माननीय सदस्य जिन्होंने यह कहा कि यूनिवर्सिटी खोलने का जो मर्ज बढ़ता जा रहा है वह अच्छा नहीं है। यह गलत है। जब कोई प्रदेश तरक्की करेगा तो वहां पर शिक्षा सम्बन्धी तथा दूसरे औद्योगिक किस्म की चीजों की मांग होगी। यह देश और समाज दोनों के लिये हित कर भी है। इस विधेयक में कुछ चीजें जिनकी मैं आशा करता था वह मुझे नहीं मिली। इसमें कुछ नवीनता नहीं है जैसे कि और विधेयक गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और आगरा विश्वविद्यालय के इस सदन ने पास किये। उसमें और इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। वही ढांचा है, कोई नवीनता लाने का प्रयत्न नहीं किया गया। इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने सदैव अपने भाव इस तरह के व्यक्त किये हैं कि विधेयक में सरकार की ओर से यह प्रयत्न किया जाता है कि उस विश्व-विद्यालय में सरकारी प्रभाव ज्यादा रहे। लेकिन मैंने सोचा था कि शायद तिवारी जी के विधेयक में इस तरह की चीज न होगी। लेकिन इसके पढ़ने से मुझे मालूम हुआ इस तरह की चीज इसमें मालूम होती है कि डायरेक्टर आफ एजूकेशन और दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स, और शिक्षा मंत्री, और इस सदन के सदस्य, काउन्सिल के सदस्य, इसके तमाम इस तरह के सदस्य होंगे। चांसलर भी कुछ नौमीनेट करेगा काउन्सिल में, एक्जी-क्यूटिव में। तो इस तरह की सभी चीजें इसमें मौदूद हैं। जैसा माननीय तिवारी जैसे आदमी से आशा की जाती थी कोई प्रगतिशील विधेयक होगा तो वह आकांक्षायें तो पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसमें कुछ वेग चीजें रखी गई हैं।

जहां तक वाइसचांसलर की तनख्वाह का सम्बन्ध है, कोई सफाई नहीं कि क्या उसका वेतन होगा और दूसरे अध्यापकों का क्या वेतन होगा, इसका जिक्र नहीं। एक वेलफेयर डीन के बारे में जैसा कि दूसरे विश्वविद्यालयों में जैसे, गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक जब पास हो रहा था उस समय जिक्र किया गया था, वह इसमें भी है। लेकिन उसके क्या फंक्शन्स होंगे, एक छात्र कल्याण परिषद् की भी गंध मिलती है, वह कैसी होगी, उसका कार्य क्या होगा, कांस्टीट्-यूशन उसका क्या होगा, चुनाव कैसे होगा, इन सब का कोई जिक्र नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, सदैव यह मांग की जाती है कि जैसे विश्वविद्यालयों के छात्रों के द्वारा और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा यह मांग की जाती है कि कुछ विद्यार्थियों की भी उसमें नुमाइन्दगी होनी चाहिये कार्य-कारिणी में या सीनेट में, यह कुछ इस विधेयक में मैं नहीं पाता हूं। मैं तिवारी जी से और सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करें, यह मेरा सुझाव है। इस तरह की चीज जब कि विशेष स्थिति में, एक विशेष जगह के लिये विश्वविद्यालय की कल्पना करते हैं तो इन सब बातों का समावेश हो और नवीन प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय जिससे जो

शिक्षा की आवश्यकतायें होती हैं उनको पूरा करें। तब मैं समझता हूं यह विधेयक बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी होगा। शिक्षा का मतलब यह होता है कि उससे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तीनों प्रकार की प्राप्तियां हो सकें। अगर ऐसा नहीं है तो बेकार है। लेकिन जैसा और दूसरे विश्वविद्यालयों में है अगर उसकी नकल होगी तो उससे कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय सदन से और तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि इसमें इस तरह का संशोधन कर लें और यह यूनिवर्सिटी उस विशेष रूप की यूनिवर्सिटी बना सकें जिससे वहां के लोगों की आकांक्षायें पूरी हो सकें तो ज्यादा अच्छा है। मैं इन शब्दों के साथ नारायणदत्त तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पर्वतीय देश के लोगों की जो हार्दिक इच्छा थी उसके सामने रखने की कोशिश की और मैं चाहूंगा यह जल्द से जल्द विधेयक पास हो और तीन महीने, ६ महीने या सालवाली बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि चुनाव आने वाला है और उसके बाद क्या हो कोई नहीं जानता और यह मामला फिर वर्षों के लिये टल जायगा। इन शब्दों के साथ तिवारी जी के विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री देवनन्दन शुक्ल (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सामने आया है वह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है और जिस प्रदेश के लिए वह विधेयक आया है उस पर इस सदन का विशेष ध्यान जाना चाहिये। यह निर्माण का युग है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत निर्माण की तरफ झुका हुआ है। श्रीमन्, निर्माण पत्थरों से नहीं होगा, सीमेंट से नहीं होगा और ईंट कंक्रीट से नहीं होगा। निर्माण के लिए कल्पना की आवश्यकता है और बिना कल्पना के निर्माण नहीं होगा।

माननीय नारायणदत्त तिवारी ने जो विधेयक परिश्रम, लगन, अध्यवसाय से तैयार करके सदन के सामने उपस्थित किया है इसके लिए उनका कार्य अत्यन्त सराहनीय है और खास-तौर से कुमायूं और बरेली डिवीजंस में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। वह पहाड़ी प्रदेश गरीब होने के साथ-साथ अशिक्षित भी है। वहां के छात्र हिन्दू विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या इस प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के अलावा दूसरे प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं और उनकी आर्थिक हालत अत्यन्त ही शोचनीय है। बड़ी तकलीफ से जिनके गार्जियन्स कुछ पैसा दे पाते हैं, वे दूर के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं। वह भू-भाग ऐसा नहीं है कि उसके छात्र दूर-दूर की जगहों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। वह दोनों डिवीजन, बरेली और कुमायूं डिवीजन में कोई विश्वविद्यालय न होने के कारण वहां की गरीब जनता को शिक्षा पाने की बड़ी असुविधा है, इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि जो विधेयक सदन के सामने उपस्थित है वह जल्द से जल्द पारित किया जाय और उस डिवीजन में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाय।

श्रीमन्, विदेशी शासन के चंगुल में फंसे रहने के बाद हमारे भारतीय नेताओं ने जो हिम्मत करके विदेशी हुकूमत को उजाड़ा, उसके लिए शक्ति और बल उनको कहां से मिला? मैं श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार से, सदन से और आपके द्वारा, प्रेस के द्वारा जनता से यह कहना चाहता हूं कि आज वह सरस्वती का बल था, विद्या का बल था कि विदेशी शिकंजे में पड़े हुए हमारे नेता शिक्षा के बल से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ने के लिए, उसको उखाड़ फेंकने के लिये महा पराक्रम कर सके। यह पराक्रम उनको सरस्वती की बदौलत मिला था। हम मानते हैं कि बरेली और कुमायूं डिवीजन की जनता गरीब है और खास तौर से पहाड़ी प्रदेश के लोग गरीब हैं, वे अपनी गरीबी की समस्याओं को उसी विद्या के द्वारा हल कर सकेंगे।

इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी विचार प्रकट किया कि विश्वविद्यालय पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा तादाद में पैदा करके एजूकेटेड बेगर्स पैदा करते जाते हैं, ऐसी कुछ लोगों की भावना रही। मैं उनसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यदि पढ़े-लिखे ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवनन्दन शुक्ल]

से निकलेंगे, गरीबी में रहेंगे तो उस गरीबी की समस्या को हल करने के लिये उनके पास साहस पराक्रम और बुद्धि-बल रहेगा। मैं इसमें कोई लेशमात्र भी संदेह नहीं रखता कि सारी समस्यायें विद्या के बल से हल हो सकती है। वह पर्वतीय प्रदेश निर्धन है, लेकिन वहां साधन काफी पड़े हुये हैं, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया कि जो यूनिवर्सिटी उस पर्वतीय प्रदेश में कायम हो उसमें कुछ विशेष-विशेष बातों के रिसर्च के लिये धन रखा जाय। जैसे पर्वतों के जंगलों से, पहाड़ों से, पत्थरों से राष्ट्र-निर्माण में क्या-क्या योग मिल सकता है इसकी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन यह तो बाद की और व्योरे की चीज है। इस समय तो सवाल यह है कि कुमायूं और बरेली डिवीजन में यूनिवर्सिटी कायम की जाय या न की जाय। इस समय जो विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है, उसका केन्द्र बिन्दु इसी पर निर्भर करता है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से और जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो विधेयक श्री नारायणदत्त जी ने इस सदन के सामने बड़े परिश्रम और लगन के साथ उपस्थित किया है, वह अत्यन्त सराहनीय है, वांछनीय है और आवश्यक है। इस यूनिवर्सिटी के स्थापित करने की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

इसमें संदेह नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी के कायम करने में कम से कम ३०-४०-५० लाख रुपया चाहिये। अभी हाल में जो यूनिवर्सिटी गोरखपुर में कायम हुयी, उसमें एक व्यक्ति ने अधिक परिश्रम करके ३०-३५ लाख की पूंजी इकट्ठा की और फिर वह सरकार के पास पहुंचा जहां भी यूनिवर्सिटी कायम होती है उसका कम से कम खर्च ५० लाख होता है, इससे कम में यूनिवर्सिटी नहीं स्थापित की जा सकती है। मैं समझता हूं कि जब यह निश्चय हो जायगा कि बरेली और कुमायूं डिवीजन में यूनिवर्सिटी कायम होगी तो जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से, और धनी मानी लोगों के सहयोग से और सरकार की कृपा से पूंजी जल्द से जल्द आ जायगी इसके आने में देर नहीं लगेगी। यदि काम अच्छा हो और काम करने वाले अच्छे हों तो रुपये की कमी नहीं हो सकती है क्योंकि यह तो दान प्रधान देश है और दान की कमी नहीं है। मैं इस भावना को व्यक्त करते हुये इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि कुमायूं जैसे इलाके में एक विश्वविद्यालय खोल दिया जाय, क्योंकि वहां की जनता में गरीबी और अशिक्षा दोनों ही बातें हैं। परन्तु हमें पहले देखना यह है कि वहां का मुख्य प्रश्न क्या है जिससे वहां के मनुष्यों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सकता हो। मैं समझता हूं कि वहां की मुख्य समस्या वहां की आर्थिक स्थिति है। जब तक किसी देश तथा प्रान्त की आर्थिक स्थिति अच्छी नही होती है तब तक वह उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिये यहां की जब तक आर्थिक स्थिति अच्छी न हो यह प्रश्न नहीं उठता है कि वहां पर करोड़ों रुपये खर्च करके यूनिवर्सिटी बनायी जाय। उसके लिये धन की आवश्यकता होगी। जैसे कि शुक्ल जी ने कहा कि रुपया तो आ जायगा, लेकिन आज तक वहां की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयत्न नहीं हुआ है जिससे वहां पर उद्योग धंधे तथा दस्तकारी फैलती और उनकी बेकारी दूर होती, उनके तन को कपड़ा मिलता, भोजन मिलता तथा उनके रहने के लिये घर मिल सकते, इसकी तो चिन्ता नहीं हुयी, परन्तु चिन्ता सर्वप्रथम यह हुयी कि एक विश्वविद्यालय होना चाहिये। परन्तु मुझे आज खेद के साथ कहना पड़ता है कि जहां पर सब सामग्री मौजूद है और हम सरकार से बार-बार निवेदन करते हैं कि हम रुपया व स्थान देने के लिये तैयार हैं और आप मेरठ जिले में एक यूनिवर्सिटी खोल दीजिये परन्तु सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम तो सरकार से प्रार्थना ही करते रहें और यहां कुमायूं डिवीजन के लिये प्रस्ताव आ गया कि वहां यूनिवर्सिटी खोल देनी चाहिये। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा मेरठ जिला इस प्रान्त में वह जिला है जहां के किसान और मजदूरों ने अपने सिरों पर मिट्टी व ईंटें ढो-ढो कर कालेज बना कर अपने बच्चों की शिक्षा के साधन पैदा किये हैं। सारे प्रान्त में किसी भी जिले में इतने कालेज और

स्कूल नहीं हैं जितने मेरे जिले में हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज मेरठ डिवीजन में जितने हरिजन और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उतने सारे प्रान्त के किसी एक जिले या डिवीजन में विद्यार्थी नहीं होंगे। आज नैनीताल में बड़े-बड़े स्कूल हैं। वहां करोड़पतियों और लखपतियों के लड़के विद्या प्राप्ति के लिये जाते हैं और उन्हीं के स्वार्थ सिद्धि के लिये आज वहां विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। लेकिन जहां गरीब, निर्धन और खेतिहर मजदूरों व किसानों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं वहां कोई विश्वविद्यालय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि शीघ्र से शीघ्र हमारे मेरठ जिले में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की कृपा की जाये।

श्री चन्द्रसिंह रावत---प्वाइन्ट आफ आर्डर। क्या यह कुमायूं यूनिवर्सिटी बिल पर भाषण हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य विधेयक पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री हरिसिंह---श्रीमन्, चूंकि मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी का प्रश्न खड़ा कर दिया इसलिये माननीय सदस्यों को जरा परेशानी हुयी। लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करता हूं कि जिस तरह से कुमायूं के लिये विश्वविद्यालय होने से मुझे हर्ष है उसी तरह से आपको भी मेरठ में विश्वविद्यालय स्थापना की खुशी होनी चाहिये और जिस तरह से मैं आपको इसमें सहयोग दे रहा हूं उसी तरह से आपको भी हमें सहयोग देना चाहिये। मैं तो कहता हूं कि एक नहीं दो विश्वविद्यालय आप खोलिये और प्रत्येक डिवीजन में खोलिये, ताकि हमारे प्रान्त में शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार हो।

(इस समय ३ बजकर २९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री जगन्नाथमल्ल---सरकार नहीं सुनती है तो आप भी मेरठ यूनिवर्सिटी का बिल ले आइये।

श्री हरिसिंह---जो काम हम अपनी सरकार से विनयपूर्वक और नम्रता से करा सकते हैं उसके लिये हमें बिल लाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने जनसंख्या की बात करते हुये कहा कि देवरिया में भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिये। एक और माननीय सदस्य झारखंडे राय जी ने यह कह दिया कि जहां की जनता उन्नतिशील है वह पिछड़े हुये इलाकों के लिये बलिदान करे। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि एक तरफ तो आप जनसंख्या की बात करते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं, देवरिया और मेरठ की जनसंख्या करीब-करीब बराबर है जब कि वहां गोरखपुर विश्वविद्यालय मौजूद है। दूसरी बात यह है कि हम पिछड़े इलाकों के लिये बलिदान ही करते रहें और अपनी उन्नति के लिये कुछ न सोचें?

श्री अध्यक्ष---वाद-विवाद व्यक्तिगत नहीं होना चाहिये। आप मेरे द्वारा सदन को सबोधित करके कहिये।

श्री हरिसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हर डिवीजन में विश्वविद्यालय हो जिससे शिक्षा का प्रसार हो। जहां की जनता मांग करे वहां विश्वविद्यालय खोला जाय। परन्तु सोचना यह है कि उसके लिये धन की आवश्यकता होती है। जहां धन भी न हो और सरकार के ऊपर ही सारा बोझ लादा जाय तो शायद यह सरकार के लिये असहनीय होगा। मेरा कहना यह है कि जहां धन उपलब्ध है किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है तो वहां मेरठ जिले में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाना आवश्यक है और मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी इस विनय को स्वीकार करें और मेरठ में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करें। जहां तक कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक का प्रश्न है, मैं उसके लिये पहले ही कह चुका हूं कि हम सभी उसके लिये तैयार हैं क्योंकि वह पिछड़े इलाके हैं और अगर उनकी उन्नति विद्यादान के

[श्री हरिसिंह]

द्वारा हो सकती है तो वह अवश्य होनी चाहिये लेकिन वहां पर्वतीय इलाके में कोई मैदान तो है नहीं। मच्छड़ बहुत हैं, बीमारियां बहुत हैं इसलिये वहां विद्यादान तो नहीं होगा रोगदान हो जायगा। इसलिये इसका विचार करना बहुत आवश्यक है और इसीलिये मैं नारायणदत्त जी से प्रार्थना करूंगा कि वे कुमायूं डिवीजन के लिये नहीं, मेरठ के लिये, यूनिवर्सिटी खोलने के लिये प्रार्थना करें।

*श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके लिये तिवारी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन उस दिन भी और आज भी काफी माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रकट किये हैं अब उसमें बहुत सी कहने की बातें नहीं हैं। आज तक हम यहां देखते रहे हैं कि इस सदन में पूर्वी, पश्चिमी, और पहाड़ी जिलों का वर्णन होता था। आज हमने इस विवाद में देखा कि डिवीजन का प्रश्न सामने आ गया है। लेकिन वास्तविकता से यह सब बातें दूर हैं। यह हमारे प्रदेश का गौरव है कि इसका ढांचा ऐसा है कि इसके उत्तर में पहाड़ी हिस्सा है और इसके तीनों रीजनों गंगा, यमुना के दोआब और दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों की जलवायु एक प्रकार से अलग अलग है, और इन सबका प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है इसको सभी मानते हैं, और शायद तिवारी जी इससे सहमत होंगे।

इस विधेयक से यह जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है कि रीजनल बातें उठ गईं, यह उचित नहीं है। अभी एक सदस्य ने कहा कि एक मेरठ में यूनिवर्सिटी होनी चाहिये और इसका बहुत दिनों से अखबारों में प्रचार भी है और अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि मेरठ में बहुत सा रुपया भी जमा है। हो सकता है। पर्वतीय प्रदेश में रुपया जमा नहीं हो सकता, लेकिन तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके पीछे जो भावना है कि देहरादून, अल्मोड़ा और नैनीताल के सम्पूर्ण कालेजों का उसमें समावेश हो। इस हिन्दुस्तान का इतिहास देखते हैं तो उसमें है कि अंग्रेजों के समय में पर्वतीय प्रदेशों का उतना उत्थान नहीं हुआ, और यहां जो कालेजेज हैं उनमें कलकत्ता और बड़े-बड़े शहरों से विद्यार्थी आकर पढ़ते हैं। हमने शंकराचार्य जी का नाम सुना है। वे बड़े भारी दार्शनिक थे। उन्होंने जन्म तो कोचीन में लिया लेकिन उनकी केदारनाथ जी में मृत्यु हुई थी। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि जितने कालेज वहां हैं कोई भी स्कूल हो वहां के स्थानीय लोगों ने इतना लाभ नहीं उठाया उनसे जितना कलकत्ता और बम्बई आदि के अमीर लोगों के लड़के वहां काफी पैसा खर्च करके वहां की सुन्दर जलवायु में अध्ययन करते हैं। तो उससे वहां के लोगों ने ज्यादा लाभ कहां उठाया है? जो गरीब हैं वे और साधारण घरों के लोग उसका लाभ नहीं उठा सकते। लेकिन इतना होने के बाद भी अगर यह निकट भविष्य में स्थापित हो जाय तो अच्छा होगा। कुमायूं का क्षेत्रफल जिसमें देहरादून शामिल है, उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण एरिया का एक बटा पांच है। यह तो जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि चूंकि एरिया एक बटा पांच है इसलिये वहां यूनिवर्सिटी होनी चाहियें, लेकिन यह यूनिवर्सिटी इसलिये अवश्य होनी चाहिये कि यहां पर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वे सब एक ही जलवायु में हैं। यह यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक दूसरे जलवायु और दूसरे वातावरण में होगी। मैं तिवारी जी से इस बात में सहमत नहीं हूं कि इसका नाम कुमायूं यूनिवर्सिटी रखा जाय। अगर उसका नाम नैनीताल यूनिवर्सिटी या कोई और युनिवर्सिटी रख दिया जाता तो शायद इसमें रीजनल वायस की बात नहीं आती। सर राधाकृष्णन रिपोर्ट का भी जिक्र उन्होंने किया है। उसे देखने का मुझे भी मौका मिला है। उसमें ग्रामीण विश्वविद्यालय नगरों के क्षेत्र में स्थापित करने का विचार नहीं है। उसका एक ढांचा ही दूसरा है जो गांव के सामाजिक या उसके ढांचे के मुताबिक डेवलप कर दिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर ऐसा होता तो ठीक था, जिस उद्देश्य के लिये उन्होंने यह बिल पेश किया है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं, लेकिन मैं सरकार से इस बात को कहूंगा कि इस चीज को इस दृष्टि से ही न किया जाय कि यह यूनिवर्सिटी नैनीताल में ही रहे।

मैं जानता हूं कि प्राचीन काल में भारत के ऋषि महर्षि वहां रहे, कंडव ऋषि वहां रहते थे, जोशी मठ में भी ऋषियों का सदा से स्थान रहा है और स्वामी शंकराचार्य जी का भी वहीं स्थान रहा है और भी दूसरे आश्रम गढ़वाल आदि में रहे हैं। और भी स्थान हैं। देहरादून में एक डिग्री कालेज है, जिसमें पौने दो हजार विद्यार्थी है। पहाड़ के लोगों में प्राइमरी एजूकेशन काफी है, वहां शिक्षा की भूख लोगों में अधिक है, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि अगर वहां यूनिवर्सिटी होगी तो वहां के लोगों को इतना लाभ नहीं होगा जितना कि उत्तर प्रदेश के ही नहीं, बल्कि सारे भारत के लोगों का होगा, क्योंकि भिन्न जलवायु में एक यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी जायगी। उस जलवायु में, जैसा यहां कई माननीय सदस्यों ने कहा, रिसर्च होगा, पुरानी पुस्तकों का अध्ययन होगा और वहां की मिट्टी, पत्थर और दूसरे खनिज पदार्थों आदि का रिसर्च होगा। यदि उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे तो इसके लिये भारत सरकार से भी अनुदान प्राप्त कर सकती है, और अभी हमारे माननीय सदस्य चन्द्रसिंह जी रावत ने कहा कि इसे एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहिये कि जो इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी हो, उसका इंटरनेशनल अस्तित्व हो सकता है। जैसे बंगाल में हम देखते हैं कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की स्थापना की, उसमें और बनारस में बाहर के लोग है, अपने आप उसका एक इन्टरनेशनल अस्तित्व स्थापित हो गया। तो इतना सब होते हुए अगर धनाभाव है तो उसके लिये उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार से कह सकती है और मैं उदाहरण के लिये कहूं। उत्तराखंड में काली कमली वाले का एक आश्रम है उनकी संपत्ति करोड़ों रुपये की है। उतना रुपया एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिये नहीं लगेगा। इसके अलावा लोगों से भी धन प्राप्त किया जा सकता है। भारत सरकार भी इसके लिये दे सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इस विषय में बहुत सी बातें कही गयी हैं लेकिन वहां की जलवायु को देखते हुए और यह कहते हुए कि इससे अधिक लाभ हो सकता है, मैं यह समझता हूं कि इसका निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं इसी सिलसिले में। जब श्री हरगोविन्द पन्त बद्रीनाथ कमेटी के अध्यक्ष थे और मैं भी उसी क्षेत्र में रहता था तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि आप उत्तराखंड में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना कर दीजिये और उसके लिये उन्होंने एक रजिस्टर्ड सोसाइटी भी बनाई थी। और केदारनाथ के पास एक विद्यापीठ की स्थापना भी कर दी गई थी और उनकी तजवीज थी कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में बहुत सा रुपया आता है, जो धनी लोग देते हैं; अगर उसका उपयोग करके एक संस्कृत यूनिवर्सिटी या एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी उस क्षेत्र में कायम की जाय तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि गंगा जमुना भी उसी प्रदेश में बहती है, और उसके साथ-साथ आज भी यातायात के साधन नहीं है। और सरकार ने यातायात के लिये प्रबन्ध नहीं किया है फिर भी हम देखते है कि इस वर्ष लाखों लोग इस उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि बंगाल, मद्रास और अन्य प्रान्तों से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के लिये गये थे। उनकी वह यात्रा बड़ी कष्ट साध्य रही है।

हमारे इसी विधान सभा के सदस्य सूर्यप्रसाद अवस्थी कानपुर के वहां पर गये थे और उन्होंने यह महसूस किया कि वहां पर भी एक समय रहा होगा जब कि वे बड़े-बड़े मन्दिर और मठ हिन्दुस्तान की एकता रखने के लिये या उसकी संस्कृति को स्थिर रखने के लिये स्थापित किये गये होंगे। वहां पर आज भी यह आवश्यकता है कि इस तरह के साधन वहां पर उपलब्ध किये जायं जिससे लोग वहां जाकर धार्मिक यात्रा कर सकें। उन धार्मिक मठ और मन्दिरों की प्राचीन संस्कृति आज भी वहां पर देखी जा सकती है। उसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। अगर सरकार यह कहती है कि उसके पास धन

[श्री गंगाधर मैठाणी]

नहीं है तो हिन्दुस्तान भर के लोग जो अद्वैतवाद की फिलासफी को मानते हैं या अन्य किस्म की फिलासफी को मानते हैं वह अवश्य उन स्थानों के लिये धन दान देंगे। रुपया आ सकता है उसमें कोई कठिनाई नहीं हो सकती है।

मैं अपने अनुभव से आपको बतलाऊं कि ४७ से लेकर ५२ तक एक संस्था से मेरा सम्बन्ध रहा है और उसके लिये मैंने धन का प्रबन्ध किया है और बहुत रईस लोगों ने उसके लिये रुपया दिया है। ८ लाख रुपया ५, ६ वर्षों के अन्दर मैंने एकत्र किया है और उस धन से उस संस्था को बनाया है। आज भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि सरकार इस ओर ध्यान दे तो हम यह समझते हैं कि जितने वहां यात्री जाते हैं वह उन उत्तराखंड में जितने सांस्कृतिक स्थान हैं उनके लिये काफी धन से सहायता कर सकते हैं।

मैं जानता हूं कि कालीदास नाम के बहुत बड़े रईस एक दफा वहां आये थे और उन्होंने कहा था कि वह उत्तराखंड में कुछ रुपया खर्च करके सांस्कृतिक संस्था वहां पर कायम करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस है कि यह बात ७, ८ वर्ष पहले की है जब कि यह सरकार यहां पर विद्यमान नहीं थी। उस जमाने की सरकार से उनकी बातचीत हुई, लेकिन उनको कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल सका। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह शिक्षा का विषय ऐसा है जिसमें हम राजनीति से अलग होकर और दलबन्दी से अलग होकर इस प्रश्न पर विचार करें। अन्त में मैं नारायणदत्त जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम उस उत्तराखंड की आवाज़ को यहां पर सदन में उपस्थित किया है। मुझे आशा है कि सदन उस पर विचार करेगा और हमारी सरकार उत्तराखंड में ऐसी संस्था अवश्य स्थापित करेगी जिससे वहां की प्राचीन संस्कृति जो अभी तक जीवित रही है आगे भी उसी प्रकार से फूलती फलती रहेगी।

श्री शिवनारायण—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन, मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कुछ इस विषय में अपने विचार प्रकट कर दें।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि मैं क्लोजर का प्रस्ताव ले चुका हूं। वैसे उनको अधिकार नहीं है कि बीच में कुछ कहें लेकिन वह चाहते हैं तो मैं सदन की अनुमति होने से उनको इजाजत दे दूंगा।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—यह बड़े सन्तोष की बात है कि हमारे प्रान्त में उच्च शिक्षा के लोग उठ रहे हैं। यह प्रान्त के लिये गौरव की बात है और सचमुच शुभ लक्षण भी है। यह ठीक है कि हमारे प्रान्त में शेष प्रान्तों की अपेक्षा विश्वविद्यालय अधिक हैं और मांग भी अधिक है। लेकिन यदि इतने ही क्षेत्रफल के दुनियां के अन्य देश देखे जावें तो ऐसा भी देखने में आता है कि वहां विश्वविद्यालय की संख्या हमसे भी ज्यादा है। जहां तक विश्वविद्यालयों की संख्या और उनके खोलने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि यह तो, खैर, नहीं हो सकता कि प्रत्येक जिले में विश्वविद्यालय खोल दिया जाय लेकिन जो हमारे संख्या है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि यहां अधिक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता नहीं है। मुख्य प्रश्न विश्वविद्यालयों के खोलने के सम्बन्ध में आर्थिक है। जितनी संख्या विश्वविद्यालयों की हमारे प्रान्त में है इससे अधिक आज हमारे लिये सम्भव नहीं है। उसका कारण किसी क्षेत्र के प्रति उपेक्षा नहीं है, बल्कि आर्थिक है। अभी इसी भवन से दो विश्वविद्यालयों के अधिनियम पास हुये, एक गोरखपुर और दूसरा संस्कृत का। हमारे प्रान्त में शायद कोई टेक्निकल संस्था भी खोली जाय। आप देख रहे हैं कि मेडिकल कालेज भी खोला जा रहा है। हम शिक्षा में आगे

तो बढ़ रहे हैं और हमारे सामने मांग इस समय मेरठ और कानपुर की भी शायद रही है । इस प्रकार से अब भवन के सामने कुमायूं विश्वविद्यालय की भी बात है । मुझे केवल एक बात का सन्देह कुमायूं विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में है कि वह किस चीज का, किस बात की वहां शिक्षा देनी चाहिये । एक पर्वतीय क्षेत्र में आवश्यक शिक्षा क्या होगी, यह बड़े विवाद का प्रश्न हो सकता है । उसके लिये कितने छात्रों की संख्या उपलब्ध होगी, यह भी एक प्रश्न है । तो मुझे इसमें इन्कार नहीं है कि जो नारायणदत्त जी ने अपना प्रस्ताव रखा है कि यह जनमत के लिये घुमा दिया जाय लेकिन मैं समझता हूं कि ३ महीने का समय इसके लिये बहुत कम है । अगर वह ७–८ महीने मान लें तो हम जनमत के लिये इसे प्रसारित कर दें जिससे सरकार को पता चल जाय कि कितना इसमें व्यय होगा और किस प्रकार का यह विश्वविद्यालय होगा । मैं इतना जरूर चाहता हूं कि आजकल की जो यूनिवर्सिटी की प्रथा है उसे छोड़कर हम किसी और प्रकार की यूनिवर्सिटी स्थापित करें तो वह देश के लिये, प्रान्त के लिये, कल्याणकारी होगी । तो मैं समझता हूं कि नारायणदत्त जी मान लेंगे कि यह ८ महीने के लिये प्रसारित कर दिया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं इस आदरणीय सदन के उन माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने तारीख १० अगस्त को और आज दिन भर अपने विचारों को व्यक्त कर इस कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की और सिद्धान्ततः मेरे इस विधेयक का समर्थन किया । इस समय माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो अपने उद्गार प्रकट किये उसके लिये भी उनका आभार मानता हूं कि उन्होंने मेरे इस विधेयक की जो पृष्ठ-भूमि है उसके प्रति अपनी सहमति दिखलायी और यह जानने के लिये कि इसका रूप क्या होगा और इसके संगठन के सम्बन्ध में जो कठिनाइयां आ जाती हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकेगा, इनको जानने के लिये जो उन्होंने अपना मत व्यक्त किया, उसके हेतु भी मैं उनका आभारी हूं ।

श्रीमन्, इस विवाद के प्रसंग में अनेक माननीय सदस्यों ने अनेकानेक प्रश्न उठाये और उनकी शंकाओं का समाधान यथासमय दूसरे माननीय सदस्यों ने कर दिया । इसलिये इस समय उन सभी बातों को दुहराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और जिन बातों को उत्तर स्वरूप अनेक माननीय सदस्यों की ओर से व्यक्त किया जा चुका है । केवल संक्षेप में इतना ही दुहरा देना चाहता हूं कि मैंने जो अपना प्रस्ताव जनमत प्रसार हेतु किया था वह इसलिये किया था कि इस विधेयक में अनेकों त्रुटियां हो सकती हैं । यह भी वांछनीय हो सकता है कि विश्वविद्यालय का दूसरा ही रूप रक्खा जाय और जनमत द्वारा उसको जानने के बाद जब वह प्रवर समिति में जायगा तो उसका स्वरूप परिवर्तन करके नयी धाराओं को बढ़ा कर उसके ठीक स्वरूप को चित्रित किया जा सकेगा ।

जैसा कि आदरणीय विष्ट जी ने कहा कि वहां पर अनेक विशेष विषयों की शिक्षा का प्रबंध हो सकता है । हम सब भी विशेष शिक्षाप्राप्त करने के लिये यहां से दूर ऐसे विश्वविद्यालयों में जाते हैं जो किसी विषेष विषय पर अध्ययन के लिये प्रख्यात हैं । जैसे डिप्लोमेसी के लिये विसकोंट यूनिवर्सिटी तथा इंजीनियरिंग के लिये ओवा और मासाचुसेट यूनिवर्सिटियां हैं । हमारे शिक्षा उपमंत्री जी भी स्वयं दो अमेरिकन विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये बाहर गये । अमेरिका गये । इस प्रकार से विश्वविद्यालय स्पेशलाइज्ड शिक्षा के लिये होते हैं । इस विश्वविद्यालय के शब्द से ही यह स्पष्ट है कि कोई भी विश्वविद्यालय किसी एक स्थान के लोगों के लिये ही सीमित नहीं होता, उसमें विश्वबंधुत्व की भावना होती है । विश्वविद्यालय के कपाट किसी विशेष विद्यार्थी के लिये ही खुले हुये नहीं होते, उसमें तो विश्व का कोई भी विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिये आ सकता है । इसी प्रकार कुमायूं विश्वविद्यालय नाम देने से उसका अर्थ यह नहीं है कि वह केवल कुमायूं के छात्रों के लिये ही विशेष विषयों में शिक्षा प्राप्त करने का स्थान हो अपितु विश्व का कोई भी छात्र यूनिवर्सिटी के विधान के अनुसार, उसके द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार भर्ती होने का अधिकारी होगा । माननीय शिक्षा मंत्री जी की यह बात अवश्य विचारणीय है कि यह पर्वतीय क्षेत्र की यूनिवर्सिटी किस प्रकार की

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हो, उसका स्वरूप क्या हो लेकिन हमें यह भी देखना है कि पर्वतीय क्षेत्र की यूनिवर्सिटी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से अधिक भिन्न नहीं हो सकती। उसको हम एक रूरल फैशन दे सकते हैं। भूगर्भ शास्त्र के सम्बन्ध में या वनस्पति शास्त्र के सम्बन्ध में विशेष शिक्षा की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं, लेकिन आजकल की यूनिवर्सिटियों से उसका बिलकुल एक भिन्न स्वरूप होगा ऐसा भी हम नहीं मान सकते हैं। इसलिये जहां तक विवाद का प्रश्न है, अभी विवाद में न जाते हुए, प्रवर समिति में जब विधेयक जायेगा और वहां से वापस आयेगा तब उस समय सारी बातें बतलाऊंगा। तो उन बातों को छोड़ते हुये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के संशोधन को स्वीकार करता हूं कि यह कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक तीन मास के स्थान पर ८ मास के लिये जनमत हेतु प्रसारित किया जाय। मैं पुनः इस सदन को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस विश्वविद्यालय के सिद्धांत को वे स्वीकार करते हैं और उस कमी को स्वीकार करके उसे दूर करना भी उन्होंने प्रारम्भ कर दिया है। मुझे आशा है कि जो सदन में आज विवाद हुआ वह कुमायूं विश्वविद्यालय की स्थापना का एक शुभ चिन्ह है, उसके निर्माण की आधारशिला है और जितने भी माननीय सदस्यों ने इस कुमायूं विश्वविद्यालय की स्थापना के पुण्य कार्य में अपना आशीर्वाद प्रदान किया है और अपनी सहानुभूति प्रदान की है वे भी प्रदेश के इस पिछड़े हुये क्षेत्र के धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय शिक्षा मंत्री जी को कुछ कहना है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—आप ६ महीना मान लीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं संशोधित रूप में ही इसको ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६, ६ मास के लिये जनमत संग्रहार्थ घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिये विधेयक प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में संकल्प

*श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं—

"सदन का यह निश्चित मत है कि वर्तमान दहेज प्रथा से समाज का बहुत नुकसान हो रहा है, अतः सरकार शीघ्र ही एक बिल पेश करे, ताकि इस कुप्रथा से समाज को बचाया जा सके।"

श्रीमन्, यह जो प्रथा हमारे देश में चल रही है, सदन के सभी सदस्य इसको भलीभांति जानते हैं कि इससे कितना नुकसान हमारे समाज को पहुंचा है। जो लोग अखबारों को पढ़ते हैं उनको अखबारों के जरिये मालूम होता है कि इस प्रथा के कारण कितनी स्त्रियों ने और कितने लोगों ने आत्महत्या की है। श्रीमन्, इस सदन के सभी सदस्यों को भली भांति मालूम है कि यह एक ऐसी प्रथा है, एक ऐसी बुराई है कि जो लड़के वाला है उसके यहां जब कोई लड़की वाला आता है तो वह उस लड़की वाले से दहेज में बहुत ज्यादा रुपया मांगता है, लेकिन वही जब अपनी लड़की के लिये कहीं दूसरी जगह जाता है तो उसकी अकल हवा हो जाती है। जब वही लड़के वाला होता है तब तो उसका मन एकदम बढ़ जाता है और फिर जब वह लड़की वाला हो जाता है तो उसकी अकल दुरुस्त हो जाती है। तो यह एक ऐसी प्रथा है जो मैं समझता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जितनी जल्दी से जल्दी हमारे समाज से हट सके, यहां से हट सके, किसी प्रकार से हट सके, उसके हटने में ही हमारा कल्याण है, श्रीमन्, आप इसको भलीभांति जानते हैं कि बहुत से कहानी लेखकों ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के द्वारा इस कुप्रथा को हटाने का काफी प्रयत्न किया है और इसका जो खराब परिणाम होता है उसको भलीभांति लिखा है। बहुत से सिनेमा जो चलते हैं उसमें भी कुछ लोगों ने इस कुप्रथा और इस खराबी को दिखलाने की कोशिश की है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसके कारण बहुत सी लड़कियां जिनके मां-बाप निर्धन हैं और जितना दहेज देना चाहिये उतना दे नहीं पाते इस कारण से बहुत सी लड़कियां बिना शादी के रह जाती हैं और वह अपने मां-बाप पर एक भार स्वरूप हो जाती हैं, मां-बाप परेशान हो जाते हैं और उन लड़कियों की हालत तो खराब होती ही है और इस परेशानी को देख कर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लड़कियों ने आत्महत्या भी कर ली है और कई जगह तो यहां तक देखा गया है कि जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है उनके विरुद्ध समाज में और बिरादरी में तरह-तरह की बातें मां-बाप पर उछाली जाती हैं कि क्यों वह लड़कियों की शादी नहीं करते और इस पर बहुत से खानदान के खानदान ने आत्महत्या कर ली है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह की प्रथा को किसी तरह से समाज से हटाना चाहिये। मैं समझता हूं इस कानून के बनने के बाद भी यह देखने की जरूरत होगी कि हम इस कुप्रथा को उसके द्वारा रोक सकते हैं या नहीं और उसके बाद में हमें मुमकिन है फिर किसी तरह की तरमीम करनी हो। लेकिन कानून बनाने के साथ सभी माननीय सदस्यों का यह भी कर्त्तव्य है कि इस कुप्रथा को मिटाने का पूरा प्रयत्न करें, जाकर अपने भाषण द्वारा और दूसरे तरीकों से लोगों को समझावें क्योंकि खाली कानून बनाने से हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता। मान लीजिये कि एक कानून बना और उसके बाद भी उससे यह कुप्रथा न मिटी और उसमें भी ब्लेक मार्केटिंग की सम्भावना है, इसलिये कानून के साथ-साथ जनता में इस बात का काफी प्रचार भी किया जाय और उसको काफी शिक्षित किया जाय और उसके दुष्परिणाम बताये जायं तब ही यह चीज रुक सकती है। मैं समझता हूं कि जो भी कानून इस विषय में बनेगा वह तभी सफल होगा वर्ना अगर जनता में वह भावना पैदा न हो तो खाली कानून बनाने से ही वह ठीक तौर से कार्यरूप में परिणत नहीं हो सकता। बहुत से कानून बने हैं, चोरी करना जुर्म है, उसके लिये सजा होती है लेकिन चोरियां होती हैं, भ्रष्टाचार करना जुर्म है, उससे समाज को नुकसान है लेकिन अदालतों में और सब जगह भ्रष्टाचार है और खुल्लमखुल्ला घूस चलती है, तो खाली कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा, हमें कानून के साथ साथ जनता की भावना .....

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---प्वाइन्ट आफ आर्डर, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप सदन से इसके लिये कानून बनवाना चाहते हैं या उससे प्रोपेगेंडा करवाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब वह दे देंगे।

श्री जगन्नाथमल्ल---आप समझे नहीं, मेरी बात यह है कि कानून तो बनाया जाय लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि अगर कानून बने तो उसके साथ अगर जनता में वह भावना न फैलेगी तो वह कानून ठीक से नहीं चलेगा। अब आप शायद समझ गये होंगे। इस पर मैंने उदाहरण भी दिया कि आज कानून बना हुआ है कि जो कत्ल करेगा तो फांसी होगी, लेकिन कत्ल होते हैं, कानून बना है कि डकैती में बड़ी भारी सजा होती है, लेकिन फिर भी डकैतियां होती हैं इसी तरह से भ्रष्टाचार भी जुर्म है उसके लिए सजा है लेकिन कचेहरियों में आज भी खुल्लमखुल्ला घूस ली जाती है। तो मैं कहता हूं कि खाली कानून बनाने से ही ऐसे कानून को कार्यरूप मे परिणत न कर सकेंगे, ऐसा न हो कि जिस तरह से शारदा ऐक्ट बना था, लेकिन वह कभी ठीक से नहीं चल पाया। बाल विवाह होते ही रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस दहेज की प्रथा के बारे कानून बना दें लेकिन बनाने के साथ-साथ जब तक आप शिक्षा नहीं देंगे तब तक यह भावना नहीं भरेगी कि देश्ी

[श्री जगन्नाथमल्ल]

यह बात खराब है। तुम्हारे पास लड़का है और ज्यादा दहेज मांगते हो और अगर लड़की होगी तो ज्यादा दहेज दूसरी तरफ से भी माँगा जायगा। अगर यह भावना भर जायगी तब जाकर मैं समझता हूं कि इस कानून का ठीक-ठीक फायदा हो सकेगा। जितने बड़े-बड़े विद्वान् बंगाल में, हुए---कहानी लेखक, उपन्यासकार ज्यादातर उन्होंने इसी चीज की तरफ ध्यान दिया है और दहेज की कुप्रथाओं का दुष्परिणाम उन्होंने दिखाने का प्रयत्न है जिस से समाज में यह बात आ सके कि यह दहेज कि प्रथा जो है बहुत बुरी है और इस दहेज की प्रथा के कारण हमारे देश व समाज में बहुत बड़ी खराबी आ गई है जिस खराबी को हमें निकालना होगा।

श्रीमन्, मैं बतलाऊं कि इस दहेज के कारण बहुत सी अनमेल शादियां हुआ करती हैं। श्रीमन्, मैं क्या कहूं बहुत जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि आदमी के पास पैसा नहीं है और उसको अपनी लड़की की शादी करनी है वह परेशान है तो उसने मजबूरन ८० वर्ष के बुड्ढे के साथ अपनी कम उम्र की लड़की की शादी कर दी इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं है। वह उस लड़की की सम उम्र का वर तलाश नहीं कर पाता है। अगर वर सम उम्र का तलाश करना है तो उसको पूरा दहेज देना होगा। लिहाजा मजबूर हो कर उसे अपनी लड़की की शादी ज्यादा उम्र के लोग के साथ करनी पड़ी। इसी प्रथा का परिणाम है कि विधवाओं की तादाद बढ़ी। ८० वर्ष के बुड्ढे के साथ जब १४ वर्ष की लड़की की शादी हो जायगी तो वह ८० वर्ष का बुड्ढा आखिर कब तक जिन्दा रह सकता है। वह जल्दी ही मरेगा। यह निश्चित है कि २०-२२ वर्ष की उम्र में ही वह लड़की विधवा हो जायगी। इस दहेज की प्रथा के कारण बेमेल विवाह होते हैं। लड़की को अगर वह बुड्ढा पसन्द नहीं आया तो उसने घर छोड़ दिया। उसको कमाना है तो जा कर उसने वेश्यावृत्ति अपना ली। मैं तो समझता हूं कि समाज में इसके कारण जितने दुष्परिणाम हुए हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रथा को जिस तरह से भी हो हमें हटाना ही होगा चाहे कानून बना कर, चाहे किसी भी तरह हटावें। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर कानून बनावे। मैं समझता हूं कि सभी लोग कानून बना जाने के उपरान्त यह प्रयत्न करेंगे कि किस तरह से उस कानून का ठीक-ठीक पालन हो सके कि यह दहेज की प्रथा मिथ्या है और इसको किसी तरह से मिटाया जाय।

श्रीमन्, यह दहेज वाली बात जो है मैं क्या कहूं मैंने बहुत जगह इस किस्म की चीजें देखी हैं खास तौर से कुछ लोगों में तो यह कुप्रथा इतनी बढ़ी हुई है कुछ जातियों में इतनी बढ़ी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं। जो ऊंची जातियों के कहलाने वाले लोग हैं उनमें तो यह कुप्रथा कूट-कूट कर भरी हुई है। कुछ लोग ऐसे भी देखे जा रहे हैं, कुछ लोगों ने प्रयत्न भी किया है कि बिना दहेज के वे शादी करें लेकिन इसकी मिसाल इने गिने लोगों की मिलेगी। इने-गिने जो सिद्धान्त वाले लोग हैं या जो लोग समझते हैं कि हमको नहीं लेना चाहिये उनमें यह चीज मिलेगी लेकिन वे भी मजबूर हो जाते हैं जब उनके पास लड़का है तब तो वे कह सकते हैं कि हम इस प्रथा को बुरा समझते हैं लेकिन अगर लड़की है तो सारा सिद्धान्त एक तरफ रह जायगा। जहां शादी करने जायेंगे तो वहां उनसे कहा जायगा कि हमें इतना रुपया दो। उनके सिद्धान्त से इनके सिद्धान्त का मेल नहीं खाता है तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। इस पर ज्यादा मुझे कहना नहीं है, क्योंकि यह सारी चीजें ऐसी हैं कि इस पर ज्यादा कोई भाषण नहीं हो सकता। यह हर एक आदमी हर माननीय सदस्य क्या बाहर और क्या इस सदन में सभी लोग हिन्दुस्तान भर के लोग इस कुप्रथा को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि इससे बड़ा खराब परिणाम होता है। लेकिन फिर भी यह प्रथा चल रही है। तो हमें किसी तरह से इस प्रथा को मिटाना है कानून बनाकर मिटाना है और कानून के बाद इस तरह से प्रचार करना है ताकि जनता इस कानून को माने और वह कानून ठीक २ रूप से चल सके। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष –(श्री नारायणदास से) आप अपने दोनों संशोधन एक साथ पेश कर दें।

*श्री नारायणदास (जिला फैजाबाद)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री मल्ल जी के प्रस्ताव में यह संशोधन पेश करता हूं कि संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "दहेज" के पहले का शब्द "वर्तमान" निकाल दिया जाय। संकल्प की पंक्ति १ व २ में आये शब्द "समाज" के पहले शब्द "हिन्दू" बढ़ा दिया जाय।

अब यह इस प्रकार हो जाता है: "सदन का यह निश्चित मत है कि दहेज प्रथा से हिन्दू समाज का बहुत नुकसान हो रहा है अतः सरकार शीघ्र ही एक बिल पेश करे, ताकि इस कुप्रथा से हिन्दू समाज को बचाया जा सके।"

अध्यक्ष महोदय, यह जो दहेज प्रथा का प्रस्ताव आया हुआ है यह प्रथा हिन्दू समाज में जहां तक कि विवाह का प्रश्न है वहां पर हिन्दू समाज में मुख्यतः ८ किस्म के विवाह मान्य हैं। जिसमें देव, आर्श, प्रजापति, राक्षस, पैशाचिक, गांधर्व और स्वम्बर इत्यादि हैं। लेकिन किसी में भी यह व्यवस्था नहीं है कि दहेज प्रथा का कहीं भी जिक्र किया गया हो। अलबत्ता यह बात जरूर है कि जिस वक्त यह दहेज प्रथा चली होगी, उसमें एक भावना काम कर रही है और वह भावना जहां तक मैंने समझी है वह है धर्म शास्त्र की। शास्त्रों में लिखा है "जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" अर्थात माता और जन्मभूमि जो है वह स्वर्ग से भी बढ़ कर है और उसकी रक्षा के लिये अपने प्राण भी दे देना चाहिये, और वह कहते हैं—"यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा" अर्थात पुत्र और पुत्री दोनों जो हैं वह आत्मा के अंग हैं और समान हैं और इनके समान अधिकार हैं। इस तरह का उन्होंने नियम रखा मानव समाज के लिये कि स्त्री समाज का पुरुष में क्या स्थान होना चाहिये और यह अधिकार जो उन्होंने बताया है वह समान अधिकार बताया है। और इसी को हमारे संविधान में भी स्वीकार किया गया है कि चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो दोनों के अधिकार समान हैं चाहे सम्पति में हों, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, कहीं भी हों, अधिकार समान हैं। इस चीज को हमारी सरकार ने भी मान लिया है। लेकिन श्रीमन, जहां तक प्राचीन बातों का सवाल है यह दहेज प्रथा के रूप में तो दहेज प्रथा नहीं थी, लेकिन दहेज प्रथा के विकृत रूप में जो चीजें आगे हुई हैं वह इतनी दुःखदायक हुई है कि हमें उन पर थोड़ा सा विचार करना है। वह यह है कि जहां पर पहले यह भावना काम कर रही थी कि एक लड़का है और एक लड़की है दोनों युवा होते हैं। उस समय ऐसा तो था नहीं कि बचपन में शादी कर दी जाय। जब लड़का २५ वर्ष का और लड़की १८ वर्ष की हो जाती थी तो वे स्वयं एक-दूसरे से प्रेम करते थे और उसके बाद माता-पिता की आज्ञा से उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन गृहस्थ आश्रम में माता-पिता की क्या कर्त्तव्य है? एक नया जोड़ा जिस समय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है उसके लिए क्या-क्या वस्तुएं जरूरी हैं एक दम से उसके ऊपर भार नहीं डाला जा सकता था। पहले उनकी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए कुछ सामान और वस्तुओं की उनको भेंट जरूर दे दी जाती थी और यही चीज आगे बढ़ते-बढ़ते चाहे वह बड़े लोगों में हुई हो या छोटे लोगों में हुई हो भावना यही काम करती रही, लेकिन जिस वक्त राष्ट्र का रूप सामने आया और एक मनुष्य चाहे वह राजा हो या कोई भी हो उसके शब्द ही कानून बन गये उस समय यह जो धार्मिक और सुन्दर रूप इस प्रथा का था वह बदल गया और वह एक विकृत रूप में हो गयी। अगर एक राजकुमारी है उसकी शादी किसी राजकुमार से हो तो उसके साथ में सैकड़ों हाथी-घोड़े, धन-दौलत दास-दासी सभी जरूर जायं और वहां यह बात दिखाई जाती थी कि लोग किस प्रकार दास-दासी के रूप में एक लड़की को भी दे दिये जाते थे और यह गुलामी की निशानी थी। जिसमें लाखों आदमी गुलाम के रूप में रहते थे और वे दान के रूप में भी दे दिये जाते थे। इस तरीके से यह बढ़ते-बढ़ते ऐसी हालत में पहुंची कि हिन्दू समाज को उसने खोखला बनाना शुरू

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदास]

करें दिया और जो उसकी संगठन शक्ति थी, जो ओज था, जो बल था, जो संस्कृति थी, जो उसकी भावना थी उसमें सब में इस प्रथा ने एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई और इसका फल यह हुआ कि धीरे-धीरे हिन्दू समाज गिरता चला गया और गिरते-गिरते इस हालत में पहुंच गया कि भारतवर्ष जो कि सारे संसार में संस्कृति और सभ्यता के लिये प्रसिद्ध था और गुरू था उसकी हालत यह हो गयी कि वह गिरते-गिरते गुलाम हो गया और आज हमारे सामने जो समस्या पेश है, मुझे आपके सामने यह कहते हुए दुःख होता है कि हमारे भारतवर्ष के अन्दर इस प्रथा की वजह से बाल विवाह और अनमेल विवाह जैसी कुप्रथाएं पैदा हो गयीं और पिता कन्याओं को मिट्टी के मोल फेंकने लगे, उनको बेचने लगे और इस तरह से जो भ्रष्टाचार समाज में फैला और-और बातें हुई उसकी जीती-जागती मिसाल है कि हमारे देश में पौने तीन करोड़ बाल विधवाएं है, जिनमें युवा और वृद्धा है जिनके लिए कोई चारा नहीं, कोई काम नहीं है, कोई जरिया माश नहीं है सिवाय इसके कि निर्भर करें अपने भाइयों के ऊपर अपने सुसराल वालों के ऊपर और अपने भाग्य के ऊपर कि वह किस तरह से अपना जीवन बितायें।

आज मुझे कहते हुए दुःख होता है, महान दुःख होता है कि एक रिपोर्ट निकली है सन् १९४७ में उसमें मालूम यह हुआ कि इस तरह से जो अनेक काम हुए उनसे लगभग ५० लाख भ्रूण हत्यायें होती हैं। तो यह नैतिक पतन हमारे भारतवर्ष के लिए एक बड़ा कलंक था और है और जब तक इसको दूर नहीं किया जाता तबतक समाक की रक्षा नहीं हो सकती । हमारे सूबे के अन्दर हमारा स्त्री समाज ५२-५३ फी सदी है और वह शनैः शनैः उन्नति कर रहा है । हमारी सरकार अवश्य धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने महिला समाज को पुनः जीवनदान दिया है, उनके कल्याण के लिए एक विभाग खोल दिया है । लेकिन यह एक ऐसी चीज है कि पुरुष समाज जो कि ३६ करोड़ के करीब हिन्दुस्तान में रहता है उनमें आधी संख्या स्त्रियों की है । और स्त्री समाज ऐसी दशा में पड़ा हुआ है जहां न शिक्षा है, न उनके लिये कोई व्यवस्था है,न रोटी-कपड़े का सवाल है, उनकी बड़ी दुर्दशा है और उनकी हालत बहुत गिरी हुई है उसकी ऐसी समस्यायें जिन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और इस पर श्रीमन्, हमें जुट जाना चाहिये ।

जब तक हमारा आधा अंग जिसको हम अर्धांगिनी कहते हैं, वह नहीं सुधरता है, उन्नत नहीं होता है तब तक पुरुष पूर्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है और जब उसका आधा अंग गिरा रहेगा तो वह उन्नति नहीं कर सकता है । ऐसी दशा में श्रीमन्, हमें विशेष तौर से चाहे कानून से हो, चाहे सामाजिक क्रान्ति से हो जैसे भी हो श्रीमन्, हमें यदि स्त्री समाज को उठा कर के पुरुषों के बराबर ले जाना है तो हमें क्रान्ति करनी पड़ेगी । हमारा विश्वास है कि कांग्रेस ऐसी संस्था रही है जिसनें हमेशा इन चट्टानों का तथा इन कठिनाइयों का मुकबला किया है और इतिहास में यह स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा जिसने हमेशा इन बुराइयों से युद्ध किया है और कांग्रेस ने उसमें विजय प्राप्त की है । हमारे माननीय सदस्य गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करें क्योंकि आज हमारे स्त्री समाज की बडी भयंकर स्थिति है । ऐसी दशा में मैं चाहता हूं कि मेरा जो संशोधन है कि "वर्तमान" शब्द निकाल दिया जाय । वह इसीलिये कि यह जो दहेज की प्रथा है वह वर्तमान रूप में नहीं है बल्कि बहुत पुरानी चीज है और इसको हमें निकाल देना है ।

श्रीमन्, आज हमारे अलावा मुसलमान तथा ईसाई भाई हैं लेकिन उनके यहां यह चीज नहीं है । यह हिन्दू समाज में ही बहुत बुरी तरह से जड़ पकड़े हुये है इसलिये हिन्दू समाज से ही इसे निकालने का हमें प्रयत्न करना है । आज यह हो रहा है कि मध्यम श्रेणी के लोग जो अपने कन्याओं के पढ़ाने लिखाने में हजारों रुपया खर्च करते हैं, अपने पुत्रों के पढ़ाने में हजारों रुपया खर्च करते है । अगर वह एक लड़की की शादी करें तो ४,६ हजार रुपया कहां से दहेज के लिये लायें । क्या वह इसको सहन कर सकते हैं। आज ही नहीं बल्कि बहुत दिनों से हमें अखबारों में देखने को मिलता है कि बहुत सी ऐसी कन्यायें होतीं हैं जो

आत्महत्या कर लेती हैं अपने भाइयों और पिता आदि की मुक्ति के लिये जो रो-रो कर मर जाती हैं। ऐसी हालत में यह हमारे समाज का एक कोढ़ है जो हमारे समाज को पतन के गर्त में लिये जा रहा है । इसको हमें रोकना है । इसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है ।

श्री अध्यक्ष (श्री व्रजभूषण मिश्र से)--आपने जो संशोधन दिया है उसको उपस्थित कर दें ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प में यह संशोधन रखना चाहता हूं कि संकल्प की दूसरी पंक्ति में शब्द "सरकार" और "शीघ्र" के बीच "केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करे कि वह" यह वाक्यांश बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---इसका संशोधित रूप क्या होगा ?

श्री व्रजभूषण मिश्र---इसका संशोधित रूप यह हो जायगा कि "सदन का यह निश्चित मत है कि वर्तमान दहेज प्रथा से समाज का बहुत नुक्सान हो रहा है । अतः सरकार केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करे कि वह शीघ्र ही एक बिल पेश करे ताकि इस कुप्रथा से समाज को बचाया जा सके" । अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के प्रस्तुत करने से मेरा अभिप्राय यह है कि जहां तक इस संकल्प के आशय का सम्बन्ध है उसमें तो दो मत नहीं हैं । सभी लोग इस कुप्रथा से पीड़ित हैं और सभी चाहते हैं कि इसका अन्त हो और जितनी जल्दी अन्त हो उतना ही अच्छा है । किन्तु संकल्प को ध्यान से पढ़ने के बाद मैंने देखा कि एक प्रदेश में कोई संकल्प पास कर देने से या कानून बना देने से हमारा अभिप्राय सिद्ध नहीं हो सकेगा क्योंकि विवाह शादी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी होते हैं । एक प्रदेश का लड़का है और दूसरे प्रदेश की लड़की है । तो इस तरह से अन्तर प्रदेशीय विवाह होते हैं । यदि अपने प्रदेश में ऐसा कोई कानून बन गया और सरकार ने उस पर कार्यवाही कर दी तो ऐसी हालत में हमारा अभिप्राय कैसे सिद्ध होगा ? इस वास्ते इसके लिये सही पात्र तो हमारी केन्द्रीय सरकार ही है, जो यदि इस पर कदम उठाये तो हमारा उद्देश्य सिद्ध हो सकता है और जो हमारे प्रस्तावक महोदय हैं, मल्ल जी, उनका जो इरादा है वह तभी पूरा हो सकता है ।

जहां तक दहेज की कुप्रथा का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही कहा कि इसमें दो मत नहीं हो सकते । यह तो सही बात है कि दहेज की कुप्रथा के कारण समाज बहुत दुखी है और कन्याओं की शादी करना एक पहाड़ सा काम हो जाता है और जब से लड़की पैदा होती है तभी से वह अपने माता पिता पर एक भार स्वरूप हो जाती है और उसी दिन से उनको चिन्ता हो जाती है कि हमें इस बोझ को किसी न किसी दिन तय करना होगा । जहां सन्तान की उत्पत्ति के बाद खुशी होनी चाहिये वहां समाज की इस कुप्रथा के कारण माता-पिता दुखी होते हैं । इसलिये दहेज की कुप्रथा का अन्त होना आवश्यक है ।

अभी जैसा मैंने कहा, अगर मैं अपना दृष्टान्त दूं तो मेरी शादी सी० पी० में हुई है । मेरा लड़का भी वहां व्याहा हुआ है । तो यदि मल्ल जी यहां कानून बनवा दें और हम बारात लेकर वहां जायं और वहां से दहेज ले आयें तो हम बच जायंगे । इसके अलावा अगर यहां पर कानून बना हुआ है और उसका बन्धन हमारे ऊपर लगा हुआ है कि हम दहेज नहीं दे सकते तो हमारे पास पैसा होते हुये भी अगर दूसरे प्रदेश में हमारी लड़की की शादी लगती है तब भी हम नहीं कर सकते हैं । तो यह व्यावहारिक कठिनाई जो है इसको देखते हुये, मैं मल्ल जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें । इससे उनके प्रस्ताव को बल मिलेगा, मैं समझता हूं कि इससे उनके प्रस्ताव को कोई आघात नहीं पहुंच सकता । इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रेस करते हुये मल्ल जी से निवेदन करूंगा कि वे इसको स्वीकार कर लें ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मिश्र जी के इस संशोधन का स्वागत करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके अन्दर एक व्यापकता है। यद्यपि मूल प्रस्ताव में बहुत ही मंगल कामना है और जिस उद्देश्य और जिस भाव से प्रेरित होकर यह संकल्प इस सदन में रखा गया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय वह बहुत ही कम है, लेकिन उसमें संकोच की बात बहुत है। जैसा कि माननीय मिश्र जी ने बताया कि विवाह एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में होते हैं इसलिये इसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां होंगी। दहेज के सम्बन्ध में विविध प्रकार की परिभाषायें हो सकती हैं यानी उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां होंगी। पैतृक सम्बन्ध से इस सम्बन्ध में कन्याओं का अधिकार दिये जा रहे हैं। विवाह सम्बन्ध विच्छेद के उनको आज अधिकार दिये गये हैं उससे जो बुराइयां हैं पुरानी उनमें कमी आयेगी। तो पूरा सोच विचार करने के पश्चात् यह विधान बनाया जा सकता है और यह केन्द्रीय सरकार का ही कर्त्तव्य हो सकता है कि वह ऐसा विधान बनावे जो सारे देश पर लागू हो। इस सम्बन्ध में हिन्दू या मुसलमान का नाम लेना भी उचित नहीं है वह तो अब बहुत प्राचीनता का द्योतक हो गया है। अब तो कास्टलेस और क्रीडलेस सोसाइटी का निर्माण करना है इस सम्बन्ध में कानून सभी के लिये लागू होना चाहिये। यह थोड़ा बहुत सभी में सर्वत्र दिखाई देती है बुराई। हिन्दू समाज से जो लोग क्रिश्चियनिटी में गये हैं और वहां जो ठाकुर वगैरह या छोटी जाति के थे उनमें भी हम वह बुराइयां पाते हैं। मुसलमान भाइयों में और छोटे मुसलमान भाइयों में चाहे छोटे प्रमाण में हों उनके अन्दर भी यह बुराई दिखाई पड़ती है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल हिन्दुओं में ही यह बुराई है यद्यपि व्यापक रूप से हिन्दू समाज में है।

आदि मानव जाति ने अपना उद्देश्य बनाया था कि इस मनुष्य को अखंड ब्रह्मचारी रहना चाहिये। जैसे आम का वृक्ष है उस में आम का फल परिपक्व होकर सुन्दर और सुमधुर होता है, ऐसे ही लोगों को सुखकर जीवन बनाने के लिये मानव जीवन का उद्देश्य था कि वह विवाह न करे और यदि करे तो उसे संयम से विवाह करना था। फिर ऐसा एक संयम का प्रचार हुआ। लेकिन इस छोटे कार्य विवाह की ओर मनुष्य प्रेरित नहीं होता था। उसको विविध प्रकार से प्रलोभन दिला दिलाकर मनुष्य को इस काम के लिये बाध्य किया जाता था तब जाकर वह विवाह की बात करता था। वर्ना ब्रह्मचर्य की बात चलती थी। यह मेरी कोई कोरी कल्पना नहीं है। जहां तक हिन्दुओं का सम्बन्ध है वेदों के अन्दर भी मन्त्र आते हैं कि यह कन्या का जो विवाह है वह हम किसी सन्यासी के साथ नहीं कर रहे हैं और जहां तक मुझे स्मरण है उसमें राजनीतिज्ञों का विवरण है। और यहां तक बाद में यह भावना बढ़ी कि मनु जी के ध्यान में यहां तक आया कि "अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, स्वर्गं नैव च नैव च"। अर्थात् जिसके सन्तान नहीं होती उसकी गति नहीं होती, नहीं होती। उसका भी अभिप्राय यही था यदि आप विचार करें। इसलिये मैं इस आदरणीय सदन से अपील करना चाहता हूं कि वह गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करे और मानव जाति के आदिम इतिहास को हमें देखना है वहीं से इसका प्रलोभन है। वहां इसको कन्यादान कहा गया है और कन्यादान एक महादान माना जाता था और बड़ा ही मांगलिक कार्य माना जाता था इतना बड़ा पुनीत कार्य माना जाता था कि जिसकी शास्त्रों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। लेकिन ज्यों-ज्यों हमारे जीवन का उद्देश्य परिवर्तित होता गया और अर्थमय जीवन हो गया तो इस अर्थसंचालित संसार में हमको देखना पड़ा कि हमारे भौतिकवाद में हमारा सम्बन्ध केवल मुद्रा से रहे और रहा, लेकिन फिर भी इस देश के बड़े मंगल की बात है कि यहां माता-पिताओं के ऊपर यह भार आया। कन्याओं के जो स्वयंवर आदि की प्रथा थी या और ऐसी ही प्रथायें थीं उनमें बड़े दोष थे और यह बड़ा मंगल हुआ कि हम उस से हट कर माता-पिता के ऊपर आये और माता पिता को देखना पड़ता था कि लड़का भी अच्छा हो और उसके पास संपत्ति भी हो, सुशीलता भी हो, सच्चरित्रता भी हो और ऐसा एक भी आदमी जहां कहीं जिस तरह से भी हो उस को अपनी कन्या को देना चाहते थे और उत्तम से उत्तम घर में करना चाहते थे। यह उस के माता पिता की एक दृष्टि रहती थी लेकिन उन सब के पीछे एक अति उच्च भावना थी

लेकिन वह भावना समाज में आती गई और जैसा मैंने सदन में विनय किया कि आज इस अर्थ संचालित संसार में हमारे भाव परिवर्तित हो गए हैं और आज हम रुपया लेना ही अपना कर्त्तव्य समझने लगे हैं। यही नहीं जब एक गांव के अन्दर किसी ने कुछ अधिक सम्पत्ति ले ली तो दूसरा कल इस ईर्ष्या द्वेष में अधिक लेना चाहता है कि जिससे उसका मान अधिक हो और यह एक दूसरे की देखादेखी उसकी इतनी व्यापकता हो गई और वह प्रथा तो ऐसी है कि जिस में एक सन्तान उत्पत्ति करने में हम समझते हैं कि रुपया ही हमारा माध्यम है जिसके लिये क्या कहा जाय। और वहां पुरुषों की उत्पत्ति कम हो गई है। इस में हमारे आध्यात्मिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। इसमें कभी कोई दो मत नहीं हो सकते कि यह दहेज की प्रथा बुरी है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कुछ ऐसे अर्थ पिशाच हैं कि जिनके जीवन का उद्देश्य ही एक मात्र मुद्रा संचय है और वह कन्याओं को तिरस्कृत दृष्टि से देखने लगते हैं। वह चाहते हैं कि कन्याओं को जहां भी मौका मिले बहा दें ताकि पैसा न देना पड़े। तो इसके अन्दर यह एक दोष भी है कि लड़की का वह विवाह कर दें और कुछ देना न पड़े। चाहे जहां भी उसको व्याह दो। हमारा जो कानून बने उस में इसका भी कुछ संकेत होना चाहिये क्योंकि कन्याओं की इस बात से भी रक्षा हमें करनी है।

दहेज की परिभाषा हमारे संकल्प प्रस्तुत कर्ता महोदय ने नहीं की इसलिये मुझे इसका जिक्र करना पड़ रहा है। एक संस्कृत का श्लोक है कि लड़की की शादी कैसे करनी चाहिये :

"आदौ वरं पृच्छेत् पश्चात् तस्य कुलं धनम्।"

पहले लड़के को देखना चाहिये, उसके पश्चात् उसके पैतृक कुल को देखना चाहिये, रोगी है, कोढ़ी है, बुद्धि हीन है, जाड्य है, या कैसा है और उसके पश्चात् धन का स्थान आता है। तो इस तरह का एक उद्घोष था, एक स्लोगन था जो गिरते-गिरते गिर गया। उसके अन्दर कार, बंगला इत्यादि सब चीजें आ गईं। तो इस तरह से हमारी मातृ जाति पर भी एक अभिशाप आया जिस मातृ जाति के अपमान से हमारे देश पर बड़ी-बड़ी आपत्तियां आईं। वीमेनहुड आफ इंडिया, भारत का नारी जीवन जो है उस का संसार में एक इतना उच्च स्थान है कि कोई दूसरा देश उसकी बराबरी नहीं कर सकता है और उस देश की नारी के साथ उसके विवाह के सम्बन्ध में यह दहेज प्रथा एक काला कलंक है। इसकी जितनी भी निन्दा की जाय थोड़ी है। लेकिन दुःख की बात है कि बड़े-बड़े विद्वान, प्लेटफार्म पर बोलने वाले, बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ और न मालूम क्या-क्या उपाधिधारी, जब अपने पुत्र के विवाह का अवसर आता है तो इस सारे आदर्श को विस्मृत कर जाते हैं। प्लेटफार्म पर और सुधार के नाम पर तो वह भी कहते हैं कि दहेज प्रथा को बन्द होना चाहिये लेकिन जब स्वयं करना पड़ता है तो अपना आदर्श प्रस्तुत नहीं करते। कुछ लोग करते भी हैं, हमारा देश मंगल पथ की ओर चल रहा है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं कि जो ऐसा आदर्श प्रस्तुत नहीं करते। तो जहां हमें कानून का आश्रय लेना है उसके साथ में हमें लोकमत का आश्रय भी लेना होगा और लोकमत का आश्रय इस प्रकार लेना होगा कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसको भी हमें लोगों को दिखाना होगा। हमारे बापू का जीवन जो था उसका क्या उद्घोष था वह हमको देखना होगा। हमें प्राचीन ग्रन्थों को भी देखना होगा। उस से हमें कोई हानि नहीं होगी बल्कि हमारे अन्दर जो विषय भोग की सामग्री है, उसकी कैपेसिटी जो है वह वैराग्य के जीवन से अधिक बढ़ेगी। क्षणभंगुर जीवन के अन्दर लोक और परलोक दोनों आते हैं। हमारे विवाह के सम्बन्ध में ऐसा आदर्श बांधा गया है जिससे इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण हो, तो दहेज प्रथा की जितनी भी निन्दा की जाय थोड़ी है और दहेज के सम्बन्ध में जितना काम किया जाय वह भी थोड़ा है। अनेक पहलुओं से, अनेक दृष्टियों से, जितनी भी दृष्टि से हम विचार करें, शास्त्रीय दृष्टि से भी विचार करें तो सदन में इसके लिये कई दिन का समय चाहिये फिर हमको प्राचीन काल के इतिहास में जाना पड़ेगा। प्राचीन ग्रन्थों को देखना पड़ेगा। मानव जीवन का उद्देय क्या है भविष्य में क्या हो सकता है, और उसमें भौतिकवादियों और आध्यात्मवादियों के बीच झगड़ा पैदा हो जायगा, और आज का मानव यह नहीं चाहता। वह चाहता है कि

[श्री रामलखन मिश्र]

आज के व्यक्ति का आदर्श क्या हो, मैं गहन गुफा में चला गया लेकिन ऊपरी दृष्टि से भी यदि हम इस पर विचार करें तो भी हम किसी मात्रा और किसी अंश में इसका समर्थन नहीं कर सकते। ऐसी मान्यता हमें अवश्य रखनी होगी किन्तु यह विषय हमारे इस सदन का नहीं है।

मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि यह अच्छा हुआ कि हमारे सदन में इस प्रकार का संकल्प आया और उत्तर प्रदेश की सरकार की कृपा से इस सदन में यह प्रतिष्ठित हो जाय---किन्तु हमारी केन्द्रीय सरकार इसके लिये एक विधान बनावे जो सब जगह के लिये प्रचलित हो और सब जगह के लिये वह समान रूप से लगे। इस प्रकार के कानून केन्द्रीय सरकार बना रही है तो उसी क्रम में यह भी बन जाय। विवाह क्यों किया जाता है वह तो जिस समय मनुष्य की पशु संज्ञा थी उससे ऊपर उठने के लिये और ऊंचे उठने पर जब मानवता उसमें आयी तो उस मानवता से ऊपर उठने पर पहला प्रश्न उद्बालक ऋषि ने प्रथम बार विवाह के बन्धन में मनुष्य को बांधने का क्रम रखा और उस समय मनुष्य मानवता की मर्यादा से ऊपर आया। हमारी कन्याओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होता चला आया वह सब जानते हैं यह उनके साथ उपकार नहीं है बल्कि इस देश का उत्थान इसी प्रश्न में है कि हम उनको अधिक से अधिक स्वतंत्रता दें। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि उनके जीवन को संयमित करें और उनको उस वातावरण से ऊपर उठायें जिसमें वह आज दबी हुई हैं। किसी लड़की को जब यह पता चलता है कि उसके माता पिता को पैसे की वजह से कष्ट है और रुपया न होने की वजह से उनको अमानुषिक यातनायें उठानी पड़ती हैं तो उन लड़कियों ने आत्मघात किया है। उसका देश के सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे देश की सामाजिक उन्नति में अत्यन्त बाधा पड़ती है। तो हमें इस संकल्प के द्वारा यह पद लेना चाहिये और सुधार करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि प्रस्तावक महोदय, माननीय व्रजभूषण जी के संशोधन को जिस रूप में उन्होंने उपस्थित किया है, स्वीकार कर लें और इसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रेरणा दें जिससे कोई इस प्रकार का विधान सारे देश के लिये बन सके।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के प्रस्तावकों में मेरा भी नाम था, इत्तफाक से पहले नाम मल्ल जी का निकल आया। मेरा काम हलका हो गया। बदक़िस्मती से मैं उस समय मौजूद नहीं था, किन्तु मैं अपने दृष्टिकोण को सदन के सामने रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक जमाना था जब इस मुल्क में स्त्रियों की बड़ी प्रतिष्ठा होती थी। भारतवर्ष में जितनी प्रतिष्ठा स्त्रियों की होती थी दूसरे मुल्कों में नहीं होती थी। "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:" अर्थात् जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां पर देवता वास करते हैं। यही नहीं, किसी ने अगर स्त्री को दिया तो हक़ दिया, जमीन दी, घर में हिस्सा दिया। हिन्दुस्तान में तो स्त्री को अर्द्धांगिनी कहा गया है। स्त्री और पुरुष दोनों को मिलाकर पूरा अंग हुआ करता है। जब तक वह वामांग न आजाय तब तक पूरा अंग नहीं होता है। संकल्प और पूजा भी नहीं हुआ करती है। हमारे यहां की स्त्रियों की कहानी सुनकर दूसरे मुल्कों की स्त्रियों का उत्साह बढ़ा है और उनमें काम करने की शक्ति बढ़ी है। उस प्रतिष्ठा और आदर का यह प्रभाव हुआ है कि हमारे मुल्क में ऐसी-ऐसी स्त्रियां पैदा हुई हैं जिनका आदर्श आज भी गाया जाता है और जिनके सामने समस्त संसार ने सिर झुकाया है। जिस समय महारानी सीता को रावण ले गया तो उसने वहां उनको अशोक बाटिका में रखा। रावण ने महारानी सीता से कहा कि तुम एक बार अपनी तरफ मुझे ताक लेने दो और मेरा सर आप के क़दमों पर नजर है। तो उस समय महारानी सीता ने कहा कि "सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबहुंक नलिनी करहि विकासा" कि ऐ रावण सुन, क्या कभी खद्योत के प्रकाश में नलिनी खिला करती हैं? उसने कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मेरे पास तलवार है। तो उन्होंने कहा था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि ऐ नालायक, मेरे इस जिस्म को या तो महाराजा रामचन्द्र का खूबसूरत हाथ छू सकता है या तेरी तलवार छू सकती है। और अध्यक्ष महोदय, आप को भी मालूम है कि हमारे यहां औरतें तलवार उठाने में भी पीछे नहीं रहा करती थीं। स्वर्ग पर राक्षसों का राज्य हो गया। तुख-नन्दनी मैदान में आई और पैगाम भेजा। तीनों लोक का मालिक इन्द्र को फिर हो जाने दो और जिन्दा रहना चाहते हो तो पाताल चले जाओ। उन्होंने कहा कि आप कैसे बहादुर हैं। महारानी ने कहा कि क्या सबूत है कि तुम मुझसे बहादुर हो। मेरी शादी में मुझसे बहादुर नहीं तो मेरे बराबर बहादुर मनुष्य होना चाहिये। "योमांजयति संग्रामे, यो मे दर्पं व्यपोहति, यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति।" जैसा मैंने कहा, जो लड़ाई में मुझसे जीते और अगर जीते नहीं तो कम से कम मेरे मुक़ाबले का हो वही मेरे साथ शादी कर सकता है। यह हालत हमारे मुल्क की थी। जब हमारी स्त्रियों को इज्जत होती थी। लेकिन जमाना पलटा। चमकता हुआ सूरज ही गिरता है। प्रकृति का नियम है उत्थान से पतन और पतन से उत्थान होता है। उर्दू की कहावत है कि, "गुलाम क़ौम का सजदा हराम होता है।" किन्तु लड़के बेचे जाते हैं और कहीं लड़कियां बेची जाती हैं। ग़रीब जिसके पास पैसा नहीं है वह लड़की बेचता है और जिसके पास पैसा है, वह लड़का बेचता है। वह कहता है कि शादी में कितना दोगे, दहेज में कितना दोगे अब तय होने लगा कि कितना शादी में लगाया जायगा। नतीजा यह हुआ कि हमारे घर नरक बन गये। जहां पर शास्त्रार्थ हुआ करते थे कि ईश्वर सत्य है या असत्य है वहां आज यह खरीद-फरोख्त होने लगी है। माताओं ने कहा कि तुम हमारे बच्चों को पढ़ाओ मत, उनसे नौकरी थोड़े ही करानी है। अब इसका नतीजा क्या हुआ? जब लड़की पैदा होती है तो सबका चेहरा फीका पड़ जाता है। औरतों का भी, पुरुषों का ही नहीं। उनके दिमाग़ में चक्कर पैदा होने लगता है कि इतना शादी में, इतना दहेज में देना होगा। अब बददुआयें देना शुरू हुआ कि हे परमात्मा यह मर जावे तो अच्छा हो। फिर कौन पढ़ावे? कौन लिखावे?

अध्यक्ष महोदय, जिस समय हमारे शंकराचार्य शास्त्रार्थ करने के लिये मंडनमिश्र के यहां गये तो एक औरत से पूछा कि मंडनमिश्र का मकान कौन सा है? उसने कहा कि "जगद्ध्रुवं स्यात् जगद्ध्रुवं स्यात् कीरांगना यत्र गिरो गिरन्ति। द्वरस्थनीडान्तर सन्नि-रुद्ध जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः" अर्थ यह है छोटे में कि जिस दरवाजे में मैना और शुक बहस कर रहे हों कि संसार नित्य है या अनित्य वही मंडन मिश्र का मकान है। अब पहुंचे और प्रश्न उठा कि शास्त्रार्थ में मध्यस्थ कौन होगा। जनता ने कहा कि मण्डन मिश्र की स्त्री होगी। शंकराचार्य जी का विश्वास था कि विपक्षी की स्त्री होते हुये वह ठीक बात कहेगी। विजय के बाद उन्होंने कहा कि मुझे विजय पत्र दीजिये। उन्होंने कहा कि आप अभी आधे जीते हैं और अब मुझसे शास्त्रार्थ कीजिये। लेकिन आज हमारी लड़कियां पत्र भी नहीं लिख सकती हैं। शहरों की बेचारी लड़कियां तो कुछ पढ़ने लिखने लगी हैं, यहां पर अच्छी हवा है लेकिन देहात की लड़कियों को तो खत लिखना भी नहीं आता है। तो यह दहेज प्रथा ऐसी है जिसकी वजह से सभी परेशानी है। हां, जब स्त्रियां खुद पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं तो उनके बच्चे कैसे शिक्षित हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि एक अच्छे बड़े आदमी हैं जो खुद लड़की की शादी के लिये परेशान थे, वे मेरे यहां आये और कहा कि मेरी लड़की की शादी कहीं न कहीं तय करा दो। उनका नाम मैं नहीं लूंगा, आप उनको जानते हैं। जब मेरे लड़के की शादी होने लगी तो एक पंडित जी, एक शास्त्री जी आये और कहने लगे कि दक्षिणा क्या लोगे? मैंने कहा कि दक्षिणा की बात छोड़िये, लड़की दिखला दीजिये, अगर लड़की पसन्द आ गयी तो दक्षिणा की कोई बात नहीं है। फिर उनसे कहा कि एक जो कमजोरी है वह भी मैं बतला देता हूं और वह यह कि मैं हर जाति का छुआ हुआ खाता हूं। उन पंडित जी ने कहा कि दहेज की बात तय कर लो क्योंकि जब तुमको अपनी लड़की की शादी करनी होगी तब तुमको दहेज देना ही पड़ेगा, तुमको उस समय कोई लड़के वाला नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा कि अगर देना पड़ेगा तो मैं भले ही दे दूंगा, लेकिन अपने लड़के की शादी में मैं दहेज नहीं मागूंगा। तो श्रीमन्, यह उपदेशक लोगों की बात है जो इस तरह का विचार रखते हैं। मैं

[श्री सीताराम शुक्ल]

चाहता हूं कि उसके लिये कानून बन जाय, लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूं कि कानून बना देने से ही काम नहीं चलेगा । कानून तो आज रिश्वतखोरी बन्द करने के लिये बना हुआ है, लेकिन क्या उससे रिश्वतखोरी बन्द हो गयी है ? शराबखोरी के खिलाफ भी कानून बना हुआ है, कानून तो हरिजनों से छूआछूत के खिलाफ़ भी बना हुआ है, लेकिन मैं देखता हूं कि ये तीनों बातें आज भी मौजूद हैं। तो मैं मानता हूं कि केवल कानून बना देने से काम नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिये कोई ऐसी शर्त लगा दी जाय तो यह बुराई दूर हो सकती है। क्योंकि अगर शादी की बातचीत होगी और उसमें कुछ इस तरह की बातचीत होगी तो अगर देने वाला नहीं कहेगा तो दूसरा जरूर कह देगा। और चीज की तो पकड़ नहीं हो सकती है, लेकिन अगर यह शर्त लगा दी जाय कि इतने से ज्यादा बारात नहीं ले जा सकते, तो, जो लोग बड़ी बारात ले जायेंगे वे पकड़े जायेंगे। मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई शर्त अवश्य लगायी जाय कि इस हैसियत का आदमी इससे ज्यादा बारात नहीं ले जा सकता है। कोई पार्टी नहीं दे सकता है। जैसा कि हमारे भाई व्रजभूषण मिश्र जी ने कहा कि इसमें धनी आदमी अगर अपना पैसा खर्च करते हैं तो गरीब आदमी कर्ज ले लेकर खर्च करते हैं। इसलिये अगर शर्त लगा दी जाय तो उस से यह बुराई मिट सकती है। अजीब हालत है, जमींदारी टूट गयी। वह डाल ही न रही जिस पर आशियाना था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह चीज और ज्यादा बढ़ गयी।

अध्यक्ष महोदय, स्वराज्य हो गया। सब तरह से लोग खुश हैं लेकिन ३०-३० बरस की लड़कियां अभी मौजूद हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। घरों के अन्दर जवानी बीती जा रही है। बाल सफेद हो रहे हैं। ऐसे बहुत से वाकयात हुए हैं कि समझदार होशियार लड़कियों ने जहर खा लिया। ऐसी लड़कियां भी हैं जो हिन्दुस्तान का सिर ऊंचा करती हैं। ऐसी भी हैं जिन्होंने घर छोड़ दिया। दहेज की प्रथा के कारण बुड्ढों के साथ शादी हो जाती है और दो साल के बाद बाबा जी चल बसते हैं और वह नौजवान विधवा जीवन भर घर में सड़ा करती है। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि दहेज प्रथा को रोका जाय और इसके लिये कानून बनाया जाय। हमारे एक दोस्त ने कहा कि इसके लिये सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा जाय। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश सब मामलों में अग्रणी रहा है। आप इसको छोड़िये और अपने यहां कानून बनाने की बात कहिये, उनसे रिक्वेस्ट कीजिये कि वहां भी वे ऐसा कानून बनायें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)---अध्यक्ष महोदय, दहेज की प्रथा अच्छी है या बुरी यह विचार करने की बात है। बहरहाल, इसका जो भी नतीजा बाद में निकले, लेकिन एक बात मेरे नजदीक है वह यह है कि जिन लोगों की बिरादरी में और जिस समाज में दहेज की प्रथा है वह समाज बुरे हैं। दहेज की प्रथा उन कौमों में, उन विरादरियों में और उस समाज में होती है जिस समाज का ढांचा समाजवादी आधार पर बना हुआ नहीं होता। दहेज की प्रथा केवल उसी समाज में होती है, जिसका आर्थिक ढांचा समाजवादी उसूल पर न बनकर पूंजीवादी उसूल पर बनता है और जो अपनी पूंजीवादी मनोवृत्ति को नहीं छोड़ना चाहता तथा पूंजीवाद से फायदा उठाना चाहता है।

श्री अध्यक्ष---क्या आप संकल्प का विरोध कर रहे हैं ?

श्री खूबसिंह---यह मैं आखिर में कहूंगा, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, इस वक्त आपकी हमदर्दी है वह भी खत्म हो जायगी और हाउस की तो खत्म हो ही जायगी। बहरलाल, आपने जो यह स्वयं आज्ञा दी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में बड़े-बड़े अच्छे रेज्योलूशन विचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये आये, बड़े-बड़े उम्दा कानून बने, लेकिन ऐसा निकम्मा रेज्योलूशन इस सदन के सामने नहीं आया जैसा कि इस समय यह आया है। यह रेज्योलूशन पूंजीवाद का समर्थक है और जो पूंजीवादी मनोवृत्ति के आदमी हैं वह इससे कतराते हुये घबराते हैं।

श्री अध्यक्ष—तो फिर आप अगले रोज अपने भाषण को जारी रखें।

अब हम उठते हैं और सोमवार, दिनांक २७ अगस्त को ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २७ अगस्त, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२४ अगस्त, १९५६।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर)

सूची 'क'

देवरिया जिले के समस्त विद्यालयों की सूची जिनमें पुर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत कृषि की शिक्षा की व्यवस्था है।

क्रम संख्या	विद्यालयों के नाम	कृषि योग्य भूमि (एकड़ में)
१	बुद्ध इण्टर कालेज, कुशीनगर	३.५०
२	महात्मा गांधी इण्टर कालेज, सखबनियां	८.००
३	श्रीनेत इण्टर कालेज, इन्दुपुर	९.००
४	लघु माध्यमिक विद्यालय, इन्दुपुर	३.५०
५	लघु माध्यमिक विद्यालय, कसपा	३.००
६	लघु माध्यमिक विद्यालय, कठकुइयां	३.०६
७	लघु माध्यमिक विद्यालय, दुदही	२.६०
८	लघु माध्यमिक विद्यालय, सेमरा	९.३८
९	लघु माध्यमिक विद्यालय, बखापट्टी	४.७६
१०	लघु माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मीपुर मिश्र	१.०१
११	राजकीय इण्टर कालेज, देवरिया	५.५०
१२	उच्चतर माध्यमिक वि०, बसन्तपुर घूसी	२.३७
१३	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रुद्रपुर	३.८०
१४	लघु माध्यमिक विद्यालय, देवरिया	३.१५
१५	लघु माध्यमिक विद्यालय, बभनी	६.२४
१६	लघु माध्यमिक विद्यालय, सरांव	२.९६
१७	लघु माध्यमिक विद्यालय, बैकुण्ठपुर	५.०६
१८	लघु माध्यमिक विद्यालय, भरौली	४.००
१९	लघु माध्यमिक विद्यालय, सोनाड़ी	३.००
२०	लघु माध्यमिक विद्यालय, महेन	१.७०
२१	लघु माध्यमिक विद्यालय, रामपुर कारखाना	२.७०
२२	लघु माध्यमिक विद्यालय, मठलार	३.१०
२३	लघु माध्यमिक विद्यालय, बरडीहा	३.७२
२४	लघु माध्यमिक विद्यालय, चेरोवरठी	५.५०
२५	लघु माध्यमिक विद्यालय, भटनी	४.४५
२६	लघु माध्यमिक विद्यालय, डुमवलिया	२.४२
२७	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिण्डी	६.५०
२८	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महुआवारी	१.९५
२९	कि० जार्ज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरहज	३.००
३०	श्री कृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरहज	९.००
३१	स्वा० द० इण्टर का०, मठलार	१.००
३२	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रेवाली	१.७०
३३	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भागलपुर	३.८१
३४	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सलेमपुर	४.३०
३५	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पडरौना	२८.००
३६	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तुरपट्टी	

क्रम संख्या	विद्यालयों के नाम	कृषि योग्य भूमि (एकड़ में)
३७—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तमकुट्टी	.. ..	८.५०
३८—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जानकीनगर	.. ..	५.००
३९—बी० आर० डी०, देवरिया ..	.. ..	६.३५
४०—लघु माध्यमिक विद्यालय, तमकुट्टी ..	.. ..	५.३५
४१—लघु माध्यमिक विद्यालय, तस्थासुजान	.. ..	२.००
४२—लघु माध्यमिक विद्यालय, पिपराघाट ..	.. ..	२.१४
४३—लघु माध्यमिक विद्यालय, तुरपट्टी ..	.. ..	००.६४
४४—लघु माध्यमिक विद्यालय, मोती चक	.. ..	१०.००
४५—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मीगंज	.. ..	१२.००
४६—लघु माध्यमिक विद्यालय, हाटा ..	.. ..	१.९४
४७—लघु माध्यमिक विद्यालय, बालकुआं ..	.. ..	००.८६
४८—लघु माध्यमिक विद्यालय, देवगांव ..	.. ..	३.३७
४९—लघु माध्यमिक विद्यालय, अहिरौली बाजार	.. ..	५.४८
५०—लघु माध्यमिक विद्यालय, रामकोला ..	.. ..	३.०४
५१—लघु माध्यमिक विद्यालय, भठही ..	.. ..	२.५०
५२—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामकोला	.. ..	३.००
५३—लघु माध्यमिक विद्यालय, नौरंगिया ..	.. ..	१.००
५४—लघु माध्यमिक विद्यालय, खड्डा ..	.. ..	१.००
५५—लघु माध्यमिक विद्यालय, सोहनपुर ..	.. ..	१.६८
५६—लघु माध्यमिक विद्यालय, गाढ़ा ..	.. ..	२.००
५७—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बनकटा	.. ..	६.००
५८—बी० आर० डी०, भारपार ..	.. ..	१.००
५९—म० भा० भा० विद्यालय, भारपार ..	.. ..	३.००
६०—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मझौलीराज	.. ..	१.००
६१—लघु माध्यमिक विद्यालय, मझौलीराज	.. ..	२.६०
६२—लघु माध्यमिक विद्यालय, खामपार ..	.. ..	१.००
६३—लघु माध्यमिक विद्यालय, नन्दपुर ..	.. ..	७.००
६४—लघु माध्यमिक विद्यालय, खोरीवारी ..	.. ..	५.००
६५—लघु माध्यमिक विद्यालय, रामपुर अवस्थी	.. ..	३.१०
६६—लघु माध्यमिक विद्यालय, बधौचघाट ..	.. ..	३.१८
६७—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पपरदेवा	.. ..	३.५०
६८—मा० इण्टर कालेज, देवरिया ..	.. ..	१०.००
६९—सेवा समिति इण्टर कालेज, देवरिया ..	.. ..	१०.००
योग	..	३०५.२७

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर)

सूची 'ख'

देवरिया जिले के पुनर्व्यवस्थित विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों के नाम, नियुक्ति, तिथि व प्रगति का विवरण।

क्र० सं०	विद्यालयों के नाम	प्रचाराध्यापकों के नाम	अध्यापकों की नियुक्ति तिथि	प्रगति का विवरण मूल्य में (उपज) रु० आ० पा०	विशेष विवरण
१	बुद्ध इण्टर कालेज, कुशीनगर	.. मु० खलील सट्टोकी	.. १५-५-१९५४	१४६ ४ ०	
२	महात्मा मा० ए० का०, सलवनियां	.. श्री सुहावन प्रसाद वर्मा	.. १५-३-१९५४	५४७ ८ ६	
३	श्री नेत ई० का०, इन्दुपुर	.. श्री हृदयनारायण उपाध्याय	.. १५-७-१९५४	१९५५ ८ ०	
४	ल० मा० वि०, इन्दुपुर ..	.. श्री राजनाथ त्रिपाठी १	.. १५-७-१९५४	२१० ० ०	
५	ल० मा० वि०, कसया ..	.. श्री बसन्त नाथ सिंह	.. १५-७-१९५४	३३५ ० ०	
६	ल० मा० वि०, कठकुइयां	.. श्री राममिलन सिंह	.. १५-७-१९५४	४८ ४ ६	
७	ल० मा ० वि०, दुदही ..	.. श्री सुखराज प्रसाद गुप्त	.. १६-७-१९५४	७७ ७ ०	
८	ल० मा० वि०, सेमरा ..	.. श्री जगन्नाथ प्रसाद ..	.. १५-७-१९५४	४५३ ७ ६	
९	ल० मा० विद्यालय, बखा पट्टी	.. श्री राजनाथ त्रिपाठी २	.. १५-७-१९५४	३५ ५ ९	
१०	ल० मा० वि०, लक्ष्मीपुर मिश्र	.. श्री चन्द्रमा सिंह ..	.. १५-७-१९५४	९० ४ ०	दीक्षा हेतु गोरखपुर गए हैं।
११	रा० इ० कालेज, देवरिया	.. श्री सिद्धेश्वरी शरण	.. १५-७-१९५४	३५ ० ०	
१२	ल० मा० वि०, बसन्तपुर घूसी	.. श्री पारस नाथ सिंह	.. १५-७-१९५४	२६ ४ ०	दीक्षा हेतु गोरखपुर गए हैं।
१३	ल० मा० वि०, देवारिया ..	.. श्री श्याम सुन्दर लाल	.. १५-७-१९५४	२३० १३ ०	,, ,, ,,
१४	ल० मा० वि०, बभनी ..	.. श्री राघो प्रसाद पाण्डेय	.. १५-७-१९५४	३२३ ११ ६	
१५	ल० मा० वि०, सरांव ..	.. श्री रामनरेश यादव	.. १७-७-१९५४	९४ ० ०	दीक्षा हेतु गोरखपुर गए हैं।

१६	ल० मा० वि०, बकुण्ठपुर . .	. .	श्री भोला प्रसाद सिंह	. .	१५–७–१९५४	१२०	०	०	
१७	ल० मा० वि०, भरौली . .	. .	श्री चन्द्रिका प्रसाद पाण्डेय	. .	१५–७–१९५४	६	१२	०	
१८	ल० मा० वि०, सोनाड़ी . .	. .	श्री मुहम्मद अमीन	. .	१६–७–१९५४	११७	०	०	
१९	ल० मा० वि०, महेम . .	. .	श्री गोकरण त्रिवेदी	. .	१६–७–१९५४	३७	०	०	दीक्षा हेतु गोरखपुर गये हैं।
२०	ल० मा० वि०, रामपुर कारखाना	. .	श्री हरनारायण पति त्रिपाठी	. .	१६–७–१९५४	१८२	१४	६	
२१	ल० मा० विद्यालय, मठलार	. .	श्री रामनरेश त्रिपाठी	. .	१५–७–१९५४	२०४	२	०	
२२	ल० मा० वि०, बरडीहा . .	. .	श्री विश्वनाथ प्रसाद	. .	१५–७–१९५४	१९	४	०	
२३	ल० मा० वि०, चेरोवरठी	. .	श्री समी उल्लाह खां	. .	१६–७–१९५४	१००	०	०	
२४	ल० मा० वि०, भटनी . .	. .	श्री सुदामा प्रसाद मिश्र	. .	६–१–१९५६	१४८	०	०	
२५	ल० मा० वि० , डुमवलिया	. .	श्री सीताराम जोशी	. .	१५–७–१९५४	१००	०	०	
२६	उ० मा० वि०, पिण्डी . .	. .	श्री दासू नन्दन पटेल	. .	१५–७–१९५४	९५३	०	०	
२७	उ० मा० वि०, महुआवारी	. .	श्री कपिल देव पांडेय	. .	१५–७–१९५४	३४८	८	०	
२८	कि० जा० उ० मा० वि०, बरहज	. .	श्री रामबहादुर शुक्ल	. .	१५–७–१९५४	१७९	७	६	
२९	श्री कृष्ण उ० मा० वि०, बरहज	. .	श्री सारदा प्रसाद सिंह	. .	१५–७–१९५४	९७४	११	०	
३०	एस० डी० उ० मा० वि०, मठलार	. .	श्री रामनारायण सिंह	. .	१५–७–१९५४	६४	४	०	
३१	उ० मा० वि०, रेवाली . .	. .	श्री रामभाल सिंह . .	. .	१५–७–१९५४	४४	२	०	
३२	बी० जी० एम० भागलपुर	. .	श्री बन्धू दास . .	. .	१५–७–१९५४	७५४	८	६	दीक्षा हेतु गोरखपुर गये हैं।
३३	उ० मा० वि०, सलेमपुर . .	. .	श्री सुल्तान अहमद	. .	५–१–१९५६	१२४	४	०	
३४	उ० मा० वि०, पडरौना . .	. .	श्री विजय नारायण राय	. .	३१–१०–१९५५	४१२३	२	०	
३५	उ० मा० वि०, तुरपट्टी . .	. .	श्री रमाशंकर मिश्र	. .	१६–७–१९५४	८०१	७	०	
३६	उ० मा० वि०, तमकुही . .	. .	श्री चन्द्र देव वर्मा . .	. .	१५–३–१९५५	६९३	२	०	
३७	उ० मा० वि०, जानकी नगर	. .	श्री राम अवध सिंह	. .	१५–७–१९५४	१३५६	१२	९	
३८	बा० रा० दा० उ० मा० वि०, देवरिया	. .	श्री ज्वाला प्रसाद	. .	१५–७–१९५४	२१२८	४	९	
३९	ल० मा० वि० , तमकुट्टी	. .	श्री रमाशंकर मनि	. .	१५–७–१९५४	२३८	६	०	
४०	ल० मा० वि०, तस्थासुजान	. .	श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव	. .	१५–७–१९५४	१०२	६	०	दीक्षा हेतु गोरखपुर गये हैं।

क्रम सं०	विद्यालयों के नाम	प्रचाराध्यापकों के नाम	अध्यापकों की नियुक्ति तिथि	प्रगति का विवरण मूल्य में (उपज)			विशेष विवरण
				रु०	आ०	पा०	
४१	ल० मा० वि०, पिपराघाट	.. श्री मोहन सिंह ..	१५-७-१९५४	८८	८	०	दीक्षा हेतु गोरखपुर गये।
४२	ल० मा० वि०, तुरपट्टी ..	.. श्री तीर्थराज सिंह ..	१६-७-१९५४	१०	०	०	,, ,, ,,
४३	ल० मा० वि०, मोतीचक ..	.. श्री पंचानन्द द्विवेदी ..	१५-७-१९५४	१३५	०	०	
४४	उ० मा० वि०, लक्ष्मीगंज	.. श्री मदन मोहन लाल ..	१६-७-१९५४	१६८	०	०	
४५	ल० मा० वि०, हाटा ..	.. श्री कृष्ण मोहन वर्मा ..	१३-६-१९५५	३३१	९	९	
४६	ल० मा०, बालकुआ ..	.. श्री केशव प्रसाद पाण्डेय ..	१५-७-१९५५	५१	०	०	दीक्षा हेतु गोरखपुर गये।
४७	ल० मा० वि०, देवगांव ..	.. श्री दुखी प्रसाद ..	२०-४-१९५६	२५	०	०	
४८	ल० मा० वि०, अहिरौली बाजार	.. श्री सहाबुद्दीन अंसारी ..	१५-७-१९५४	८४७	४	०	
४९	ल० मा० वि०, रामकोला	.. श्री बंशीधर प्रसाद ..	१५-७-१९५४	५६	१	०	
५०	ल० मा० वि०, मठही ..	.. श्री राम प्रसाद चौबे ..	१५-७-१९५४	२	१	६	
५१	उ० मा० वि०, रामकोला	.. श्री हरीवंश पाठक ..	१५-७-१९५४	५७	५	०	
५२	ल० मा० वि०, नौरंगिया ..	.. श्री रामग्रधार पांडे ..	१५-७-१९५४	६	११	३	दीक्षा हेतु गोरखपुर गये।
५३	ल० मा० वि०, खड्डा ..	.. श्री रामनारायण सिंह यादव ..	६-८-१९५४	१०	०	०	,, ,,
५४	ल० मा० वि०, रुद्रपुर ..	.. श्री चैतन्य देव श्रीवास्तव ..	२६-१२-१९५५	२१८	२	६	
५५	ल० मा० वि०, सोहनपुर ..	.. श्री रामसिंह ..	१५-७-१९५४	९०	०	०	दीक्षा हेतु गोरखपुर गये।
५६	ल० मा०, गाढ़ा ..	.. श्री बंगाली प्रसाद ..	१५-७-१९५४	१८२	०	०	
५७	उ० मा० वि०, बनकटा	.. श्री परम हंस सिंह ..	१५-७-१९५४	१९२	१३	६	
५८	बा० रा० दा० इ० का०, मारपार	.. श्री सीताराम सिंह ..	१६-७-१९५४	२१०	०	०	
५९	मा० मो० मा० उ० मा० वि०, मारपार ..	श्री नवल किशोर लाल ..	१५-७-१९५४	६७५	८	०	
६०	उ० मा० वि०, मझौली राज	.. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ..	१५-७-१९५४	३४	१०	०	
६१	ल० मा० वि०, मझौली राज	.. श्री हरिवंश सिंह ..	१६-७-१९५४	१३०	८	०	
६२	ल० मा० वि०, खामपार	.. श्री सुरेश प्रसाद ..	१६-७-१९५४	७८	१५	०	
६३	ल० मा० वि०, नन्दपुर ..	.. श्री कैलाश राम ..	१५-७-१९५४	७४	०	०	

६४	ल० मा० वि०, खारीवारी	.. श्री नन्द किशोर सिंह	..	१६–७–१९५४	६९ १२ ०
६५	ल० मा० वि०, बघौच घाट	.. श्री हंसनाथ पांडे	..	१६–७–१९५४	३२२ ० ०
६६	ल० मा० वि०, पथर देवा	.. श्री राजकुमार सिंह	..	१५–७–१९५४	१९७ १० ०
६७	ल० मा० वि०, रामपुर अवस्थी	.. श्री राघव सिंह	..	१५–७–१९५४	५१ ५ ६ दीक्षा हेतु गोरखपुर गये।
६८	उ० मा० वि०, देवरिया	.. श्री रामनाथ सिंह	..	१८–१–१९५६	२५३ १४ ०
६९	सेवा स० इ० का०, देवरिया	.. श्री दूध नाथ शुक्ल	..	२८–४–१९५६	योजना अप्रैल ५६ से लागू की गई है।

योग .. २९,५९४–७–९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१६१ एल० ए०—१९५६—७९६।